राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ५६ वां दिवस [संख्या ३३

बुधवार, ६ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री भीमसेन।

भेड़ पालकों को दी गई सहायता

१२०५. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)**: क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) भेड़ व ऊन विभाग की ओर से अब तक किन किन भेड़-पालकों एवं फार्म-ऑनर्स को कितनी कितनी जमीन एवं धन-राशि सरकार की ओर से सहायतार्थ एवं ऋण के रूप में दी गई है?

(ब) सहायता एवं ऋण देने के आधार क्या हैं?

मंत्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (अ) कोई भी धन-राशि एवं जमीन भेड़-पालकों एवं फार्म-ऑनर्स को सहायतार्थ एवं ऋण के रूप में नहीं दी गई हैं।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीमसेन: जब कोई काम नहीं किया गया तो इस विभाग की क्या उपयोगिता है?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है। आपने पूछा कि उनको धन-राशि एवं जमीन सहायतार्थ के रूप में दी गई, क्या उसका मैंने जवाब 'नहीं' दे दिया? बाकी क्या उपयोगिता है इसके लिए और भी दूसरी स्कीमें बहुत हैं।

श्री मूलचन्द डागा: क्या सरकार की योजना है कि भेड़ पालने वालों के लिए जमीन दी जायगी?

श्री नाथूराम मिर्धा: अभी कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जिला बोर्ड द्वारा आयोजित शल्य चिकित्सा शिविर लालसोट

१२०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) लालसोट में जिला बोर्ड की तरफ से आयोजित शल्य चिकित्सा शिविर पर कुल खर्च कितना हुआ?

(२) जिला बोर्ड के नामजद सदस्य राजेन्द्रकुमार जैन के टी. ए., डी. ए. के कितने रुपये किस दर से वसूल किये?

(३) क्या यह सच है कि जिला बोर्ड के सदस्यों को दो बार अध्यक्ष के चुनाव की सूचना दी गई और उनको आने-जाने का टी.ए., डी.ए. दिया गया जब कि न तो अध्यक्ष का चुनाव ही हुआ और न शपथ ग्रहण ही?

Page No.2

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई : (१) ४२१२ रुपये १६ न० पै० ।

(२) श्री राजेन्द्रकुमार जैन ने कुल ३५६५ रु० मात्र टी.ए. व डी.ए. के वसूल किए । यह अगस्त १९५६ तक तो ५ आने प्रतिमील रोड माइलेज व ५ रु० प्रतिदिन डी.ए. के हिसाब से एवं इसके पश्चात् ६ आने प्रति मील रोड माइलेज व ७ रु० प्रति दिन डी.ए. के हिसाब से ।

(३) जी हां ।

श्री बेनाराम: पांच आने किस हिसाब से दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) :—वहां के रूल्स थे उसके मुताबिक दिया गया था ।

श्री बेनाराम: मोटर का किराया ड्योढा मिलेगा, ऐसा रूल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: रूल्स के मुताबिक दिया गया है ।

श्री बेनाराम : इसकी एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के थ्रू जांच हुई है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, जांच की गई है ।

श्री बेनाराम : क्या रिजल्ट निकला उसका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जांच हो रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच हुई है और हो रही है, इसका क्या मतलब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने पूछा कि जांच की गई है क्या, मैंने कहा हां की गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने, "की जा रही है" भी कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: दोनों की एक ही मंशा है ।

श्री गिरधारीलाल : यह जांच कब शुरू की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई तारीख तो नहीं है । लेकिन ऐसी शिकायत आई थी कि लोगों के टी. ए., डी. ए. की वसूली हुई, उस संबंध में जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को भेजी गई है जांच के लिए । वह तो सब ने ही वसूल किए हैं और रूल्स के मुताबिक कार्यवाही की गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल ।

सिकराय बांध

१२०७. **श्री गज्जा पटेल**, (दौसा सु०): क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गांव डोली तहसील सिकराय का बांध आज से आठ साल पहले बनाया गया था ?

(२) यदि हां, तो उस गांव में जो किसान वगैरह रहते थे उन्हें आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ?

(३) अब वह मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) तहसील सिकराय में डोली गांव के पास भंडारी नामक बांध सन् १९५२ में बनाया गया है ।

(२) मुआवजे के कागजात विचाराधीन हैं ।

(३) मुआवजा शीघ्र ही चुकाया जायेगा ।

श्री गज्जा पटेल : कुल कितने काश्तकारों की जमीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कह सकता।

श्री गज्जा पटेल : कितना मुआवजा है जो दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४७,००० रुपये की रकम रखी थी।

श्री गज्जा पटेल : यह कब तक दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से पे होता है। उसको तकाजा करेंगे तो जल्दी दिला दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह योजना बनने के पहले, मुआवजा देने के पैसे, पहले से तय नहीं होते ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह राजस्थान बनने के पहले का केस है।

रावराजा सरदारसिंह (उनियारा) : बंध बनने से पहले एक्वायरमेन्ट के नोटिसेज होते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : होते हैं। यह राजस्थान बनने के पहले का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२०८।

श्री मोहरसिंह :

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

भेड़ों के लिये चरागाह की व्यवस्था

१२०९. **श्री गिरधारी लाल** (नोखा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर जिले में भेड़ों के लिए चरागाहों की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि भेड़ों को चराने के प्रश्न पर बीकानेर जिले में गांवों में बहुधा परस्पर झगड़े होते रहते हैं ?

(३) बीकानेर जिले में चरागाहों की उचित व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मंत्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंध रखता है।

(२) यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंध रखता है।

(३) यह प्रश्न राजस्व विभाग से पूछा जाये।

श्री अध्यक्ष।

श्री शिवनारायसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

हॉस्पिटल सरदार शहर के चिकित्सकों के विरुद्ध की गई शिकायतें

१२११. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरदार शहर की जनता ने सरकारी अस्पताल के डा. रावत व लेडी डा. रावत के विरुद्ध सरकार के सम्मुख शिकायतें पेश की हैं ? क्या सरकार ने उपरोक्त शिकायतों की कोई जांच करवाई है, तथा जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, एक गुमनाम शिकायत आई थी जिसमें गरीब मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की शिकायत थी और इस शिकायत पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कोई जांच नहीं करवाई गई।

Page No.4

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या केवल एक ही शिकायत आई थी, और कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक ही शिकायत आई थी और वह भी गुमनाम की थी और गुमनाम की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

शिकायत यह थी, गरीब मरीजों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफिक कम्पलेन्ट नहीं थी । गुमनाम शिकायत थी और गुमनाम शिकायत पर ऐसा नियम है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए ।

रावराजा श्री सरदारसिंह: अगर व्यवहार है तो कैसा है ? अच्छा है, बुरा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यवहार बहुत अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

जयपुर-कोटपुतली बस सर्विस

१२१२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोटपुतली से जयपुर चलने वाली बसों का निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा गया है कि इतने अधिक यातायात वाले मार्ग पर क्या ये गाड़ियां उपयुक्त हैं ?

(२) क्या यात्रियों (सवारियों) की सुविधा के लिए सरकार न्यू मॉडल की डिजल गाडियां लगवाने का विचार रखती है तथा इस सड़क पर कुछ गाडी और बढ़ाई जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में बोरियों की तरह यात्रियों को ठूसा जाता है मगर अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते ?

(४) यदि हां, तो क्या इसके लिए पूरी सावधानी रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आगाह किया जायेगा ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) हां ।

(२) परमिट देते समय नई गाड़ियों को हमेशा तरजीह दी जाती है ?

(३) असुविधा संबंधी शिकायत आने पर आर. टी. ए. द्वारा विचार किया जा सकता है ।

ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. कोटपुतली ने इस रोड पर गाड़ियां बढ़ाने के लिए आर. टी. ओ. ऑफिस को लिखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखा होगा । मुझे पता नहीं है, फिर एस. डी. ओ. के लिखने से ही गाड़ियां नहीं बढ़ती हैं । उसके तो नियम हैं और नियमों के मुताबिक दरख्वास्तें आती हैं और उनको मंजूर किया जाता है और फिर कानून के मुताबिक कार्यवाही होती है ।

श्री रामकरणसिंह : जैसी वहां जनता की तरफ से रिपोर्ट हुई है और वहां के एस. डी. ओ. ने लिखा कि यह गाड़ियां बहुत कम हैं । क्या यह काफी नहीं है कि इन चीजों को देखते हुए जो आवश्यकता है उसके लिये एडवरटाइजमेन्ट करके गाड़ियां बढ़ाई जायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कमी की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या अब इसके बारे में जानकारी करके गाड़ियां बढ़ाई जायेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह सरकार के हाथ में नहीं है । इसके लिए एक विधान है, कानून है और प्रोसीजर है, उसके मुताबिक ही कार्यवाही होती है ।

श्री अध्यक्ष: श्री जयसिंह राणावत ।

विद्युत् व्यवस्था, भीलवाड़ा

१२१३. **श्री जयसिंह राणावत** (आसींद): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भीलवाडा नगर के विकास को दृष्टिगत रखते हुये जो टरवाइन्स विदेश से मंगाई गई थी वे किस लागत की थीं और कब भीलवाड़ा पहुंची ?

(ख) उनके विदेशों में ऑर्डर प्लेस करने के समय से लेकर अब तक जो दर्मियानी वक्त निकला उसमें प्राथमिक पूर्तियां किस स्थानीय अधिकारी द्वारा क्यों नहीं की गई ?

(ग) उनके हिस्से (पार्ट्स) स्टेशन भीलवाड़ा पर यथा समय किस कारण से नहीं छुड़ाये गये और उसका डेमरेज कितना लगा ?

(घ) अब इनका उपयोग भीलवाड़ा में नहीं करने का क्या कारण है ?

(ङ) क्या वहां के नागरिकों की घरेलू आवश्यकताओं एवं छोटे बड़े उद्योग धन्धों के हेतु वर्तमान में जो बिजली सप्लाई हो रही है, वह पर्याप्त मात्रा में है ?

(च) यदि नहीं, तो भविष्य के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) टर्बोऑल्टर्नेटर सेट्स जिनका भीलवाड़ा के लिए आदेश दिया गया था उनकी लागत ८,१७,६४२ रु० है और वे भीलवाड़ा नहीं पहुंचे ।

(ख) ड्राइंग्स तैयार करना आदि प्रारम्भिक कार्य इस विभाग द्वारा पूरा किया जा चुका था ।

(ग) बॉयलर के वे पा[illegible]ड़ा पहुंचे समय पर छुड़ा लिए गए और उसका कोई डेमरेज नहीं दिया गया ।

(घ) इन टर्बोऑल्टर्नेटर सेट्स को भरतपुर में काम में लिया जा रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा की वर्तमान मांग कम क्षमता वाले डीजल सेट्स से पूरी की जा सकती है ।

(ङ) नहीं ।

(च) भीलवाड़ा की घरेलू तथा उद्योग धन्धों की मांग को पूरा करने के लिए एक ५०० कि. वाट डीजल जनरेटिंग सेट लगाने का निश्चय किया गया है ।

श्री जयसिंह राणावत: क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो यह उत्तर दिया है कि डेमरेज नहीं दिया गया, क्या इसकी दुबारा जांच करायेंगे और मेरा यह कहना है कि सामान स्टेशन पर पड़ा रहा, क्या इसकी पुष्टि करायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास: सामान समय पर छुड़ा लिया गया था और उसका कोई डेमरेज नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास ।

नगरपालिकायें

१२१४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर म्युनिसिपैलिटीज खतरनाक व बीमारी फैलाने वाली जगहों का प्रबंध करने में असमर्थ रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री पूनमचंद विश्नोई): जी नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास: सूचना नहीं है यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: हमारे डिपार्टमेन्ट को ऐसी सूचना नहीं है न यह ध्यान में

Page No.6

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लाया गया कि इस तरह की खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या आपके ख्याल में है कि वहां पर म्युनिसिपैलिटी के पास में कूड़ा करकट उठाने की गाडियां नहीं होने की वजह से वह कूडा दो तीन दिन पडा रहता है और इस वजह से हैजे वगैरह की बीमारियां वहां हुई इसकी सूचना आपके पास है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन उनके पास पूरे साधन नहीं हैं, यह हम जानते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो साधनों को देने के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: यह म्युनिसिपैलिटी खुद प्रबंध करे । वह अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करे या अपनी कोई स्कीम भेजे या डवलपमेन्ट के लिए लोन चाहती है, तो ऐसा करे तो हम जरूर मदद कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नगरपालिका कुछ नहीं करती है तो क्या आप कोई योजना बनाने के लिए तैयार हैं और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। यह एक आम कम्प्लेन्ट है, हरएक म्युनिसिपैलिटी की सफाई की शिकायत है। ऐसी बात नहीं है कि कोई खतरनाक बीमारी उसकी वजह से पैदा हुई हो। दूसरे रोज उठ जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन तीन दिन तक वहां नर्क का ढेर पड़ा रहता है घरों के सामने और आम सड़क पर। आप कहते हैं कि वे नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है, तो उसकी खिलाफत करते हैं। अभी म्युनिसिपैलिटी ने टैक्स लगाये थे तो लोगों ने आन्दोलन किया टैक्स की खिलाफत की और वह वापिस ले लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इसका प्रबन्ध करवाने के लिये म्युनिसिपैलिटी को बाध्य क्यों नहीं करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाध्य किया है, तो वे कहते हैं कि पूरा पैसा नहीं है और पैसे के लिए टैक्स लगायें तो वे टैक्स देने से रिफ्यूज कर दें तो इसकी जिम्मेदारी नागरिकों पर है, म्युनिसिपैलिटी पर नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने लोन मांगा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सफाई के लिये कोई लोन नहीं देते हैं । हम केवल डेवलपमेन्ट के लिए लोन देते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): क्या म्युनिसिपैलिटी में मैजोरिटी पार्टी कांग्रेस की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा हो सकता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी पब्लिक की है। उसके सदस्य न तो गवर्नमेंन्ट के नोमीनेटेड हैं और न कांग्रेस के नोमीनेटेड हैं।

श्री अर्जुनदास : Why don't you answer the question straight? Is that majority party of the Congress or anti-Congress ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता : I am not in the know of it at this time, but my submission is that Municipality is a local affair and it is for the public to see the whole thing.

श्री अर्जुनदास : Is it a fact that the Government does not propose to take any action against it because it consists of the Congress party ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता :It is not so.

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

मोरेल बांध

१२१६. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बांध मोरेल से गत ५ वर्ष में कितनी सिंचाई हुई है तथा इसके पेटे में कितना पानी सिंचाई के बाद बचा है जिससे कितनी सिंचाई और हो सकती है ?

(ख) इस बान्ध की केनाल का कार्य क्यों रुका पड़ा है तथा यह कब तक बन सकेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) बन्ध मोरेल से पिछले ५ वर्ष में हुई सिंचाई उसके बाद बचे हुए पानी तथा उससे और जो सिंचाई हो सकती है उसके विवरण की सूची इस प्रकार है :—

बन्ध मोरेल से ५ वर्ष में निम्न सिंचाई हुई है :—

सन् १९५१-५२ में	९९ एकड़
१९५२-५३ में	३०४९ एकड़
१९५३-५४ में	४४०२ एकड़
१९५४-५५ में	४३७६ एकड़
१९५५-५६ में	८८९२ एकड़
१९५६-५७ में	२३०१ एकड़

पेटे में सिंचाई के बाद में निम्न पानी बचा व उससे सिंचाई और हो सकती है :—

३१-३-५२	को ९ फुट ४ इन्च	३६३० एकड़
मार्च सन् ५३ में	१९ फुट डेढ इन्च	१०८१० एकड़
सन् ५४-५५ में	१४ फुट	४६४० एकड़
सन् ५५-५६ में	२७ फु. ६ ई.	२०४३ एकड़
सन् ५५-५६ में	२७ फु. ६ इ.	२०४३ एकड़
सन् ५६-५७ में	२७ फुट	२११८० एकड़

(ख) मुख्य नहरों का कार्य करीब करीब सम्पूर्ण है। उससे निकलने वाले माइनरों का काम कुछ बाकी है जो चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने की तजवीज है।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय मन्त्री महोदय क्या बतायेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की तजवीज है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

पशु चिकित्सा

१२१७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या लालसोट, दौसा तथा चाकसू तहसीलों में चलती फिरती पशु चिकित्सालय नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे चिकित्सालय इन तीनों तहसीलों के लिए खोलेगी और उसका हैड क्वार्टर लालसोट में रखेगी ?

(ग) अगर हां, तो कब ? और नहीं तो क्यों ?

मंत्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । सरकार की नीतिक अभी चल पशु चिकित्सालय जिला स्थानों पर हीं खोलने की है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

सुल्तानपुर तहसील दीगोद में चोरियां

१२१८. श्री रामनारायणवर्मा (पीपल्दासु.) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) थाना सुल्तानपुर तहसील दीगोद में १ नवम्बर सन् ५७ से अब तक कितनी चोरियां हुई ?

(ख) उक्त चोरियों में कितने रुपयों का सामान एवं जानवर गये? इनमें कितनी चोरियां बरामद हुईं ?

(ग) शेष चोरियां बरामद न होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) १ नवम्बर १९५७ से फरवरी, १९५८ तक थाना सुल्तानपुर के क्षेत्र में १० सच्चे चोरी के प्रकरण घटित हुए ।

(ख) उन प्रकरणों में ३५०५ रुपये नकद, ५० रुपये मूल्य के पशु और १५४४ रु० १ आने के मूल्य की अन्य संपत्ति अपहृत हुई । इनमें से ३ प्रकरणों का पता लगा लिया गया है ।

(ग) इनमें से एक प्रकरण का पता नहीं चला है और ५ प्रकरण जेर तजवीज हैं ।

प्रश्न संख्या १२१९

श्री अध्यक्ष: श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२०

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२१

श्री मोहरसिंह (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२२

श्री होतीलाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२३

श्री बहादुरसिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२४

श्री मोती बाबा (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२५

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२६

श्री मोगाजी भाई (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

पीतल के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

१२२७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु.) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पीतल के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये क्या न्यूनतम वेतन निर्धारित है ?

(ख) किशनगढ में ऐसे कारखाने कौन कौन से हैं और उनमें श्रमिकों को निर्धारित वेतन दिया जाता है या नहीं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री श्रम विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जी नहीं, क्योंकि पीतल के कारखानों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बस सर्विसेज धौलपुर

१२२८. श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर सब-डिविजन में कितनी बसें किस किस रूट पर चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बसों में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ज्यादा फासलों पर सीटें लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

Page No.9

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) धौलपुर सब-डिविजन में निम्नलिखित रूटों पर बसें चलती हैं:

नाम रूट	सं. यात्रीवाहन
१. धौलपुर-आगरा	११
२. धौलपुर-आगरा ग्वालियर	२
३. धौलपुर-बसेडी भरतपुर	२
४. धौलपुर-राजाखेडा	६
५. धौलपुर-बारी बसेडी	९
६. धौलपुर-सरमथुरा	४
७. धौलपुर-बलाना-नवाब की बसी	१
८. धौलपुर-सरमथुरा-करौली	२
९. राजाखेडा-सिदाकापुरा	१
१०. धौलपुर-सेपाऊ	३
११. धौलपुर-सेपाऊ-नवाब की बसी	३
१२. बसेडी-रूपवास	१

(२) ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।
(३) सवाल नहीं उठता ।

श्री सूबेदारसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि बस की अगली सीट का पिछला हिस्सा और पिछली सीट के आगे के हिस्से के बीच में कितना गैप होना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुझे याद नहीं है कि कितना गैप होना चाहिए । आप बताएं पर्टीक्यूलर बस में किसी में सीट की कमी हो और स्पेसिफिक इंस्टान्स पर नाप तौल करवा दूंगा ।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि मुसाफिरों को बैठने की तकलीफ होती है क्योंकि उस जगह बहुत कम गुन्जायश होती है और आना-जाना नहीं हो सकता है मुसाफिरों का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप स्पेसिफिक इंस्टान्स नहीं बतलाना चाहते । मैं निवेदन करूं कि प्रत्येक बस में उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सीट्स होती हैं। अगर किसी में नहीं हैं तो आप विशेष तौर से शिकायत बतायें, तो उसकी नाप तोल करवा कर कुछ कमी हो तो उसे पूरी कराने की कोशिश करूंगा।

श्री सूबेदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्युश्चन साफ था कि किस तरह से मुसाफिरों को तकलीफ होती है। वहां पर फासला ज्यादा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए नियम होंगे कि कितनी सीटें होनी चाहिये।

श्री सूबेदारसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बताऊंगा कि वहां पर जो मैकेनिक इन्सपेक्टर है, वह बस वालों से मिल कर सीटों की केपेसिटी को बढ़ा देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सीटों की केपेसिटी जो फिक्स की जाती है वह मैकेनिक इन्सपेक्टर करता है। यदि किसी में आपके हिसाब से जो नियम दिये गये हैं कि अमुक गाड़ी की केपेसिटी इतनी होनी चाहिये, उससे ज्यादा अगर सीटों की केपेसिटी मुकर्रर कर दी है, तो पर्टीक्यूलर बस की लिखित रूप में मुझे शिकायत पेश कीजिये। मैं उसकी नाप तोल करवाऊंगा और अगर उसमें स्पेसिफिकेशन के अनुसार सीटों की केपेसिटी जितनी होनी चाहिये उससे ज्यादा है तो मैं उसका प्रबन्ध करवाऊंगा ।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि बस नं० २३७ आर. जे. डी. की ४४ सीटों की केपेसिटी को बढ़ा कर ४८ कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर यह सूचना आप पहले ही दे देते तो न इतना कष्ट आपको करना पड़ता और न मुझे करना पड़ता और मैं साफ इसी प्वाइन्ट पर जवाब दे देता।

श्री मुरलीधर व्यास : नाप तोल क्या करवायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नाप होता है कि स्पेस का कितना है डिस्टेन्स और गाडी का तोल वेट होता है, इसलिये कहता हूं तोल।

(हँसी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सवारियों का तोल किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवारियों का नहीं, गाड़ी का ।

जसवन्त सागर बांध

१२२९. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जसवन्त सागर बांध पिचियाक तहसील बिलाड़ा में सन् १९५७-५८ में कितने फुट पानी आया तथा उसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

(ख) उक्त बांध किस तारीख को खाली हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जसवन्त सागर बांध, पीचियाक तहसील, बिलाड़ा में इस वर्ष सन् १९५७-५८ में कुल पानी १२.९६ फुट तक आया था। पानी के बंटवारे के लिये बने हुए चार्ट के अनुसार भावी व अन्य गांव वालों के बीच हिस्सेदार पानी दिया गया ।

(ख) बांध का पानी २३-१०-५७ को खत्म हो गया।

श्री तेजाराम गहलोत : पानी के वितरण का जो चार्ट बनाया है वह किस आधार पर बनाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब तक जिस आधार पर पानी दिया जाता है उस आधार पर चार्ट बनाया गया है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जिस आधार पर पानी दिया जाता है उस आधार पर चार्ट नहीं बनाया है ? गंगा और जसवन्त सागर दोनों के बंटवारे के बारे में चार्ट नहीं बनाया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : तालाब में कितना पानी है, कितना पानी दिया जाना चाहिये, उसी के माफिक चार्ट बनाया जाता है।

श्री बेनाराम : क्या यह सही है कि वहां की जनता ने पानी वितरण कमेटी बनाने के लिये निवेदन किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री शंकरलाल : पानी वितरण का आधार क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस तालाब में कितनी ऊंचाई पर पानी होता है उसको देखते हुए कितने गांवों में पानी दिया जा सकता है, उसी आधार पर दिया जाता है।

श्री तेजाराम : क्या यह सही है कि बांध में आये हुए पानी में से ज्यादा से ज्यादा कितना हिस्सा दिया जा सकता है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ध्यान जरूर रखा जाता है।

प्रश्न संख्या १२३०

श्री बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

पशु चिकित्सा विभाग के मोटर ड्राइवरों का फिक्सेशन

१२३१. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

पशु चिकित्सा विभाग में कितने मोटर ड्राइवर हैं तथा उनका फिक्सेशन युनिफाइड स्केल में कब हुआ है ?

Page No.11

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। आगामी टर्न पर जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: In next week.

थानेदारों के स्थानान्तरण

१२३२. **श्री शिवचरणदास** (मांडल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा से चार थानेदारों का तबादला गत दस महीनों में किया गया है?

(ख) यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या यह सही है कि गंगापुर कस्बे में दिनांक २५ जनवरी की रात को १३ ताले टूटे यानी नकबजनी की घटनायें हुईं?

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी बरामद हुईं?

(ङ) क्या यह सही है कि वहां के मौजूदा थानेदार के विरुद्ध काफी शिकायतें होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी नहीं, अन्तिम दस माह में थाना गंगापुर में केवल २ एस. आई. स्थानान्तरित हुए।

(ख) एस. आई. श्री भोपालसिंह ७-६-५७ को प्रशासकीय कारणों से स्थानान्तरित हुए एवं उनके उत्तराधिकारी एस. आई. श्री शिवसिंह दिनांक ८-८-५७ को स्थानान्तरित हुए क्योंकि वे सी. आई. के पद पर उन्नत किये गये।

(ग) जी नहीं, दिनांक २५-१२-५८ की रात्रि को गंगापुर में नकबजनी व चोरी नहीं हुई किन्तु दिनांक २४-१-५८ को रात्रि को निःसंदेह ३ नकबजनी हुई।

(घ) सभी ३ नकबजनी अनुसन्धान के अन्तर्गत हैं और शीघ्र ही उनका पता लग जाने की आशा है, क्योंकि अपराधियों का नामांकन हो गया है।

(ङ) जी नहीं, थाने गंगापुर के वर्तमान थानेदार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ।

श्री शिवचरणदास: २५ जनवरी को नगरपालिका का ताला तोड़ा गया है क्या उसकी शिकायत पेश नहीं हुई?

श्री रामकिशोर व्यास: ताला टूटा होगा, तीन नकबजनी हुई हैं, यह मैंने कहा है।

श्री शिवचरणदास: २५ जनवरी को नगरपालिका के ताले टूटे हैं और एफ. आई. आर. पेश हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास: अलग अलग केस की जानकारी इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर): जो तीन नकबजनी हुई हैं उनमें से क्या एक म्युनिसिपैलिटी का ताला तोड़ने से संबंध रखती है?

श्री रामकिशोर व्यास: हो सकता है।

श्री भैरोंसिह: हो सकता से काम नहीं चलेगा, पूरी बात बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास: मुझसे यह पूछा था कितनी नकबजनी हुई उसका उत्तर दे दिया।

श्री भैरोंसिह: कितनी नकबजनी हुई इसके बारे में पूछा था आप उत्तर में कहते हैं तीन हुई जब कि ये कहते हैं १३ हुई। तीन ही हुई हैं, तो उनके नाम भी मालूम होने चाहियें।

श्री शिवचरणदास: श्री नारायणसिंह एस. आई. का तबादला कब हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास: डेट बता तो दी।

श्री शिवचरण दास: और बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास: गोपालसिंह ...

Page No.12

श्री शिवचरणदास : मैं नारायणसिंह के बारे में पूछ रहा हूं ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिवसिंह का ८-८-५७ को तबादला हुआ ।

श्री शिवचरणदास : गजसिंह के बाद नारायणसिंह को बदला है और उनके बाद में गोपालसिंह को और उनके बाद में शिवसिंह आने हैं । १० महीनों में ४ थानेदारों का तबादला किया गया है वह किस कारण से किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि दो का तबादला किया गया है ।

श्री शिवचरणदास : मैं कह रहा हूं कि नारायणसिंह और गोपालसिंह को ६ महीनों और ३ महीनों के बाद बदला गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आज ९ अप्रेल ५८ है और ७ जून ५७ तक का तबादला मैंने बताया है, इन १० महीनों के बीच में और किसी को पलटा हो तो बता दें ?

श्री तनसिंह (बाडमेर) : यह प्रश्न आपके पास उत्तर के लिये कब आया ? उस नोटिस से १० महीने माने जायेंगे न कि आप उत्तर देंगे उससे ।

श्री रामकिशोर व्यास : ७ जून ५७ तक का मैंने बताया है ।

श्री शिवचरणदास : मैं यह जानना चाहता हूं कि गोपालसिंह का तबादला क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इससे पहले किया गया होगा ।

श्री शिवचरणदास : मैंने नाम बताये हैं गोपालसिंह और नारायणसिंह ।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना यह है कि चार तबादले नहीं हुए दो ही हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें केल्कुलेशन का सवाल है । मंत्री महोदय १० महीने समझते हैं आज से और प्रश्न-कर्त्ता समझते हैं जिस दिन उन्होंने प्रश्न दिया उस दिन से ।

श्री अध्यक्ष : इतने समय में भी नहीं हुआ होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जिनके नाम बताये उन दोनों का तबादला जल्दी जल्दी हुआ है जिसका कारण भी बताया है ।

आबूरोड भंडार बस सर्विस

१२३३. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) (श्री दलपतसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

आबूरोड से भंडार तक जो मोटर सर्विस चलती है वह तोड़ा नामक जगह पर क्यों पलटी जाती है जब कि आबूरोड से भंडार तक पूरा एरिया राजस्थान में है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बस बदलने का कारण यह है कि आबूरोड से तोड़ा पालड़ी तक स्टेट ट्रान्सपोर्ट की बस चलती है और तोड़ा से भंडार तक अन्य व्यक्ति की बस चलती है ।

श्री अनोपसिंह : बस बदलने से मुसाफिरों को तकलीफ होती है, क्या उसका ध्यान सरकार को है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तकलीफ मुसाफिरों को जरूर होती है, लेकिन स्टेट बस सर्विस दूसरे के इलाके में दखल नहीं करती और उसकी बस हमारे इलाके में नहीं चल सकती ।

श्री अनोपसिंह : स्टेट बस सर्विस को ही आगे क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें झगड़ा चल रहा है । पहले जिसकी मोनोपोली थी, उसने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है, उसका सोहन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लाल नाम है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकेगा।

श्री अर्जुनदास: क्या हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर निकाला है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

मुन्सिफ कोर्ट सांचोर

१२२४. श्री तनसिंह (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में): क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जिला जालोर के सांचोर मुंसिफ कोर्ट में सन् ५५-५६ व ५६-५७ व ५७-५८ में प्रतिवर्ष कितने कितने दावे रजिस्टर हुए और उनमें से प्रति वर्ष कितने कितने फैसले हुए ?

(ख) उन मुकद्दमात में से कितने मुकद्दमात में अपील मंजूर हुई तथा कितनी अपीलें खारिज हुई ?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जिला जालोर के सांचोर मुंसिफ के न्यायालय में सन् १९५५ से सन् १९५७ तक जितने मुकद्दमे दायर किये गये तथा फैसले हुए उनके आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

सन्	संख्या मुकद्दमे जो दायर हुए	संख्या मुकद्दमे जो फैसले हुए
१९५५	५१२	६६०
१९५६	४४८	५३७
१९५७	५१२	४८०

(ख) इस संबंध में १९५७ के अन्त तक की जानकारी नीचे लिखी तालिका में दी गई है:

संख्या	सन्	संख्या मकद्दमे जो अपील में गये	परिणाम इतिवृत: अपील स्वीकृत	अस्वीकृत	ट्रांसफर
१.	१९५५	२९	४	१५	१०
२.	१९५६	३२	८	२४	
३.	१९५७	३८	१३	२५	

ट्रांसफर की गई अपीलों के निर्णय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

नगरपालिका नावां

१२३५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) नावां म्युनिसिपल बोर्ड को कब और क्यों भंग किया गया ?

(२) उपरोक्त नगरपालिका के चुनाव कराने के लिये निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कब की गई ?

(३) क्या यह सही है कि मतदाता सूची को बने हुए लगभग ७ मास हो जाने पर अभी तक उसे जनता के निरीक्षणार्थ समक्ष नहीं रखा गया है ?

(४) उपरोक्त नगरपालिका के चुनाव कब तक संपन्न होंगे ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री पूनमचद विश्नोई): (१) डिस्ट्रिक्ट जज, मेड़ता द्वारा दिनांक २३-१२-५५ को नगरपालिका के चुनाव अवैध घोषित करने पर सरकार ने बोर्ड को दिनांक २०-३-५६ को भंग कर दिया।

Page No.14

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(२) सर्व प्रथम निर्वाचन अधिकारी दिनांक १०-४-५६ को नियुक्त किये गये थे, किन्तु समय समय पर परिवर्तन हो जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी बदलने पड़े। इस समय सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, परबतसर दिनांक २२-११-५७ से निर्वाचन अधिकारी का कार्य कर रहे हैं।

(३) मतदाताओं की सूचियां नवम्बर ५७ में तैयार हो गई थीं व दिनांक २७-१-५८ को उनका प्राथमिक प्रकाशन कर दिया है।

(४) चुनाव, प्रोग्राम के अनुसार दिनांक १ मई १६५८ तक संपन्न हो जावेंगे।

सी.सी. एफ. के कार्यालय के लेखकों को हैड आफिस अलाउन्स न दिया जाना

१२३६. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि सी. सी. एफ. ने ४ क्लर्क्स फोरेस्ट सैटिलमेण्ट व कंजरवेटर जयपुर के आफिस में रखे हैं ?

(ख) क्या इन्हें हैड आफिस अलाउन्स दिया जाता है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

मन्त्री, वन विभाग : (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं दिया जाता है।

(ग) ये क्लर्क सी. सी. एफ. के ऑफिस स्ट्रेन्थ पर नहीं हैं और आरजी तौर पर काम करने बुलाये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आरजी तौर पर काम करने वाले दूसरे क्लर्क्स को अलाउन्स मिलता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

दौसा तहसील में घटित चोरियां

१२३७. श्री रामधन (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दौसा तहसील में सन् १६५७ में कितनी चोरियां हुई जिसमें कितने रुपये का माल गया ?

(ख) उनमें से कितने चोर पकड़े गये व उनमें कितनी चोरियां बरामद हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):(क) ३६ चोरियां घटित हुई और २४,४१०.८१ पैसे के मूल्य के माल की चोरी हुई।

(ख) ३० व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया था। १३ चोरियों का पता चल गया है।

श्री रामधन : इसमें से कितने चोरों को सजा हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं इस समय निवेदन नहीं कर सकता।

श्री रामधन : जो चोरियां बरामद हुई, उसका माल उनके मालिकों को मिल गया है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका उत्तर भी इस समय नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

प्रश्न संख्या १२३८

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री आबिदअली ।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२४०

श्री बाल मुकुन्द ।
(अनुपस्थित)

श्री धन्नालाल हरित ।

नगरपालिका बारां

१२४१. श्री धन्नालाल हरित (छाबड़ा-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) म्युनिसिपल बोर्ड, बारां भीमगंज की जमीन को पुरुषार्थियों को मुफ्त देने का जो प्रस्ताव पास कर स्वीकृति हेतु सरकार के पास भेजा था उसको प्रथम बार स्वीकार एवं द्वितीय बार अस्वीकार करने का क्या कारण है? कृपया दोनों आज्ञाओं की सूचियां सदन की मेज पर रखें ?

(ख) क्या उक्त भूमि को प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थियों द्वारा फिर कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार की उक्त जमीन को देने अथवा न देने के बारे में क्या नीति है ?

(ग) क्या बारां के हरिजन बाढ़ पीड़ितों का कोलोनी बनाने हेतु उक्त जमीन उनको प्रदान किये जाने का प्रार्थना-पत्र भी आया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) जी हां। रिलीफ एवं रिहैबिलिटेशन विभाग ने इसको ठीक नहीं समझा, इस हेतु सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। दोनों आज्ञाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १२३९

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबडा): क्या यह सही है कि यह जमीन पुरुषार्थियों को इसलिये देने का विचार रखा गया था कि म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हो रहे थे और म्युनिसिपिल कमेटी के चुनाव में उनसे वोट लेने थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रस्ताव कब रखा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहला आॅर्डर मार्च में हुआ था और दूसरा आॅर्डर बाद में हुआ है। इसमें चुनाव की बात नहीं थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : चुनाव के पहिले जमीन दी गई और चुनाव के बाद अस्वीकार कर दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तमाम फैसले चुनाव के दरम्यान ही होते हैं, पांच साल के होते हैं, तो पांच साल में होते हैं और तीन साल के होते हैं तो तीन साल में होते हैं। यह फैसला २१ मार्च, ५७ का है और दूसरा फैसला है, १८-४-५७ का और इलेक्शन हुआ है, वह मेरे ख्याल से दिसम्बर या फरव.. में हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: आपको मालूम नहीं है, इलेक्शन इन्हीं दिनों में हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनरल इलेक्शन १२ मार्च तक पूरे राजस्थान में खतम हो गये थे, और आॅर्डर २१ मार्च का है, इसलिये इलेक्शन का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल बोर्ड के अब हुवे हैं थोड़े दिनों पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर शहर की जल व्यवस्था को सुधारने सम्बन्धी व्यवस्था

१२४२. **श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या बीकानेर शहर की जल व्यवस्था सुधारने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) बीकानेर शहर में रिजरवायर निर्माण का जो आश्वासन दिया गया है उसका कार्य कब से प्रारंभ होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पुनर्गठन योजना विचाराधीन है।

श्री गिरधारीलाल : कब से विचाराधीन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : थोडे अर्से से।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने एक प्रश्न का जवाब दे दिया है दूसरे प्रश्न का नहीं दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक प्रश्न में सारे प्रश्न आ गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या इस प्रकार का आश्वासन चुनाव के समय मुख्य मंत्री जी ने दिया था कि आपके यहां पानी की समस्या हल होगी और जल्दी ही रिजरवायर बनाया जायगा ? क्या इस प्रकार का चुनाव के समय आश्वासन दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ठीक से पता नहीं। वैसे मान सकते हैं कि आश्वासन दिया होगा, तब ही विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : थोडे अर्से से।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक पूरी कर दी जायगी। यह पानी का सवाल है, इस पर गंभीरता से उत्तर मिलना चाहिये। यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निश्चित अवधि नहीं बता सकता क्योंकि १८-२० योजनाएं चल रही हैं, जो तीन साल से चल रही हैं। आपके यहां की जो समस्या है, उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले योजना बनेगी, फिर एस्टीमेट तैयार होगा, सेंक्शन होगी, इसमें लाखों रुपया का मामला होगा, धन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना होगा। इसमें समय लगेगा।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ तो निश्चित समय आप बता सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फौरन एक्सचेंज की भी डिफीकल्टी है, उसको देखते हुए निश्चित अवधि बताना कठिन है।

श्री अर्जुनदास : Would that be complete before the next General Elections ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं निश्चित अवधि के लिये नहीं कह सकता, जनरल इलेक्शन के पहले के लिये भी नहीं कह सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा): प्रश्नकर्त्ता के लिये पानी का इन्तजाम कब तक हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी बराबर मिल रहा है।

श्री भीमसेन : क्या रिजरवायर बनाने की योजना बीकानेर स्टेट के समय पूरी हो चुकी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर योजना ही तो दुःख दे रही है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला नागौर में बांधों व तालाबों का निर्माण

१२४३. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला नागौर में छोटी और बड़ी सिंचाई योजना के अन्तर्गत किस किस तहसील में बांध अथवा तालाब बनाये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) उनमें से कितने बन गये हैं ?

(ग) कितनों का काम चल रहा है और किन किन तहसीलों में ?

(घ) डेगाना तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कौन कौन से काम लिये जायेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) तहसील डेगाना : भेरुंदा, पुनलीतासर, थावला, प्रतापसागर, लाडपुरा, मोरी ।

तहसील परबतसर : पीरजी का नाका, भकरी, खारीया ।

तहसील मेडता : हरसोलाव, लाखोताव, कुण्डल ।

तहसील नागौर : खींवसर ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) भेरुंदा योजना का काम शीघ्र ही शुरु होने की आशा है, तदुपरान्त उपरोक्त दी हुई अन्य योजनाएं भी सर्वेक्षण के बाद लाभदायक मालूम होने पर शुरू की जा सकती हैं ।

श्री मदनसिंह : हरसोल में कैसा चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका काम थोड़ा चल रहा है ।

श्री मदनसिंह : हरसोल में सिंचाई का काम ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): जिन जगहों का नाम लिया है, उनका सर्वे कब हुआ था, इन वर्क्स का ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ का तो हो गया है, कुछ का होना है । मैं डेट्स नहीं बता सकता ।

श्री श्रीभानसिंह : जिनके नाम लिये गये हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जहां सर्वे हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जिनका बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : बांध बनाये जाने की योजना है, जिससे सर्वे का प्रश्न अलग है ।

श्री भैरोंसिंह : कोई योजना बन जाने पर शुरू हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भेरुंदा योजना के बारे में टेण्डर इनवाइट कर लिया है और मैं डेफीनेट कह सकता हूं और किसी योजना का काम शुरू हो चुका है, इसके लिये मैं नहीं कह सकता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय मंत्रीजी ने यह किस आधार पर कहा है कि कुछ का सर्वे हो चुका है और कुछ का बाकी है ? यह किस आधार पर कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : महकमें के आधार पर ।

श्री दयाकृष्ण विजय : एं जी ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेण्ट के आधार पर।

श्री दयाकृष्ण विजय : सर्वे कब हुआ है यह बतलायें ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप अलग से सवाल पूछ लीजिये, मैं बता दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : If the Department has wrongly informed, is the Hon'ble Minister prepared to take action against the department ?

श्री रामकिशोर व्यास : Certainly.

श्री श्रीभानसिंह: According to the basic statistics, no survey has been made during the Second Five Year Plan.

श्री रामकिशोर व्यास : वह अलग से बात है, मैं अलग से बता दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister prepared to say in which year survey has been made ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से प्रश्न है। कलेक्टर रिकमण्ड करता है और उसकी हम सर्वे कर लेते हैं। अब यह जानना चाहें कि किस किस का सर्वे हो चुका है, मैं डेफीनट नहीं बता सकता कि फलां का नहीं हुआ है, फलां का हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : आपने जो इन्फोर्मेशन दी है, वह गलत हो तो क्या एक्शन लेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मदनसिंह : मैंने हरसोल के लिये पूछा था।

श्री रामकिशोर व्यास : उसका उत्तर दे दिया, वह मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप हरसोल जाकर आये हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सजेस्ट किया गया है कि अगर इस वर्क को अण्डरटेक कर लिया तो यह रेम्युनरेटिव होगा या अनरेम्युनरेटिव ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मानकचन्द कोठारी।
प्रश्न संख्या १२४४
(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

भाखरा से प्राप्त होने वाली बिजली का वितरण

१२४५. **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह बात सही है कि भाखरा से आने वाली बिजली झुंझनूं जिले में पहले उन्हीं शहरों और कस्बों में दी जायेगी जिनमें पहले से ही बिजली की व्यवस्था है ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बिजली ग्रामों में किसानों को खेती अथवा छोटे उद्योग-धंधों के उपयोग के लिये नहीं दी जायेगी ?

(ग) अगर हां, तो क्यों और नहीं, तो कब तक ?

(घ) इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) पंजाब से जब भाखरा नांगल बिजली प्राप्त हो जावेगी, उसी समय ग्रामों और कस्बों को दी जायेगी।

Page No.19

(श्री रामकिशोर व्यास)

(घ) ३३ के. वी. ट्रांसमिशन लाईन राजगढ से पिलानी चिड़ावा, झुंझनु तक तथा ११ के. वी. ट्रांसमिशन लाईन लक्ष्मणगढ से नवलगढ़ तक चिडावा से सूरजगढ़ और खेतड़ी तक बन रही है।

श्री भैरोंसिह : इसका जवाब दुबारा होना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा सुन लीजिये। (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) पंजाब से जब भाखरा नांगल बिजली प्राप्त हो जावेगी उसी समय ग्रामों और कस्बों को दी जावेगी।

(घ) ३३ के. वी. ट्रांसमिशन लाईन राजगढ से पिलानी चिडावा झुंझनुं तक तथा ११ के. वी. ट्रांसमिशन लाईन लक्ष्मणगढ से नवलगढ तक चिडावा से सूरजगढ और खेतड़ी तक बन रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पंजाब सरकार, भाखरा से बिजली प्राप्त होगी, उसे राजस्थान को देने में असमर्थ होगी क्योंकि वहां काफी बिजली ले ली जायेगी। क्या ऐसा कोई वादविवाद राजस्थान सरकार के साथ चल रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात सही नहीं है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): क्या यह सही है कि भाखरा की बिजली पंजाब में लग चुकी है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है।

श्री संतोशचन्द्र अग्रवाल : क्या झुंझनुं जिले को बिजली का कनेक्शन भाखरा से नहीं मिलेगा?

श्री रामकिशोर व्यास: मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

कृषि फार्म सूरतगढ

१२४६. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

कृषि फॉर्म सूरतगढ में कुल कितने हजार बीघा जमीन ली गई है? गत वर्ष व इस वर्ष कितने बीघा काश्त की गई और कितने बीघा खाली बंजड रही? इसकी तालिका मेज पर रखी जावे।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): यह फार्म भारत सरकार के जरिये चलता है। इसलिये आपने जो सूचना मांगी है, वह उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होने पर मैं आपकी सेवा में जवाब पेश कर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह : यह फार्म भारत सरकार के पास छोड़ी जायगी, तो जमीन किसके अण्डर में है?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या?

श्री श्योपतसिंह : यह जमीन राजस्थान गवर्नमेण्ट के एरिया में है या बाहर है?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की धरती पर है।

श्री भैरोंसिह : इस फार्म के सुपरविजन में राजस्थान सरकार का क्या हाथ है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी कुछ भी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस एरिया में एक उप कृषि अधिकारी को वहां नियुक्त किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी थोड़े दिन पहले हुआ है।

श्री भैरोंसिह : आप कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का कुछ हाथ नहीं है, फिर यह नियुक्ति किस आधार पर हुई?

Page No.20

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने दिन नहीं था, यह कागज चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो आॅर्डर हुआ है, वह इसलिये किया कि राजस्थान सरकार के सुपरविजन में रहे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले तो नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : जिस अधिकारी की नियुक्ति हुई है, वह अब क्यों हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने कहा कि काम काज ठीक नहीं चल रहा है, इसलिये अपने हाथ में ले लें । यह सुझाव उन्होंने मान लिया और कहा कि अच्छी बात है आप शुरू कीजिये । इसलिये हमने एक आदमी को रखा है ।

श्री अध्यक्ष : वह आपका एम्प्लॉइ है या सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा एम्प्लॉइ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार की नियुक्ति के पहले राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि इसके सुपरविजन में राजस्थान सरकार का हाथ होना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां यह बात करने के बाद ही तो माना है कि एक आदमी रख सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस आदमी का जिसकी राजस्थान सरकार की सलाह से नियुक्ति हुई है, सुपरविजन में हाथ रहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुपरविजन में तो हाथ नहीं रहेगा, कमेटी में चार-पांच आदमी बैठते हैं और आपस में डिस्कशन होता है ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह चंचु प्रवेश है या मुख प्रवेश है ?

(निस्तब्धता)

श्री तनसिंह : तो यह भी पूछा कि कितनी जमीन है·······

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, यह मैं बता दूं ३० हजार एकड़ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस अधिकारी की नियुक्ति के पहले, इस अधिकारी का लाइन आॅफ एक्शन क्या होगा, यह राजस्थान सरकार ने तय किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सब बातें अब तय करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह सब तय किये जाने से पहले ही नियुक्ति हो गई फिर वह अब क्या काम कर रहा हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने छोटी सी बात पूछी उसका पता नहीं था अब अधिकारी नियुक्त किया है तो वे हमको जानकारी देंगे ।

श्री श्योपतसिंह : जब आपको यह भी नहीं बताया गया कि कितने भाग में काश्त की गई और कितनी बंजड पड़ी हुई है, फिर आपको वे क्या जानकारी देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमको पता नहीं तभी तो उनसे बातचीत की और अधिकारी की नियुक्ति की है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त इस अधिकारी से वह कमेटी सलाह लेना उचित नहीं समझेगी तो नहीं लेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बात यह है कि कमेटी बैठ कर निश्चय निर्णय करती है, वहां हमारा नुमायन्दा भी बैठेगा, यह जरूरी नहीं है कि हर एक की राय मानी ही जाय, वहां जो बहुमत से ठीक होगा वही तय किया जायगा ।

Page No.21

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्रीय सरकार के आदेश हैं कि राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की ओर से चलने वाली जो योजनाएं हैं उनके संबंध में राजस्थान सरकार को जानकारी नहीं दे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह उन्हीं की जमीन है ।

श्री श्योपतसिंह : पर जो राजस्थान में काम होता है, उसकी जानकारी रखना जरूरी नहीं है क्या, कि क्या हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जानकारी कौन रखे, जिस आदमी का किसी फार्म में इन्ट्रेस्ट नहीं हो तो वह क्यों जानकारी रखे ?

श्री श्योपतसिंह : राजस्थान में जो हो रहा है, वह क्या हो रहा है, इसकी जानकारी राजस्थान सरकार को रखनी चाहिये कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां, जहां अधिकार नहीं हो, वहां फालतू पंचायती नहीं करनी चाहिये ।

श्री श्योपतसिंह : यह राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि जो फार्म राजस्थान के अन्दर चल रहा है, उसके बारे में जानकारी रखे कि वह फार्म ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोगों ने शिकायत की उसी के आधार पर हमने कहा कि हमारा भी हाथ सुपरविजन में होना चाहिये तो, उन्होंने इसे मान लिया और एक हमारा आदमी रख लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि हमारा हाथ रखें तो, वह राजस्थान सरकार के सिर पर हाथ रखें या काम में हाथ रखें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आपने सुना नहीं ।

श्री तनसिंह : आपकी तथा कथित फालतू पंचायती में जो आदमी रखा है, वह किस योग्यता का है, क्या वह मेट्रिक्युलेट भी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब यह फालतू की पंचायती नहीं है, उन्होंने कहा कि आपको जानकारी रखनी चाहिये थी, उसके लिये मैंने कहा कि उस वक्त हमको अधिकार नहीं था । योग्यता अच्छी है, डिप्टी डायरेक्टर की योग्यता का है ।

श्री भैरोंसिंह : फालतू प्रकार का जवाब नहीं दें तो अच्छा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप फालतू समझते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपका दिमाग फालतू है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको और हम दुनियां जानती है ।

श्री भैरोंसिंह : फालतू आदमी से ऐसी ही बातें होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

अजमेर जयपुर सड़क की मरम्मत

१२१५. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार को विदित है कि मदनगंज (किशनगढ़) में अजमेर जयपुर

Page No.22

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

रोड जो नेशनल हाई वे है, अजमेर रोड की चौकी चुंगी से लगा कर जयपुर रोड की चौकी चुंगी तक खराब हो रही है व उसमें काफ़ी खड्डे हो रहे हैं व आसपास सड़क पटरी खराब व नीची है कि जिससे तांगा वग़ैरह नीचे गिर जाता है।

(ब) यदि हां, तो सरकार इसको दुरुस्त कराने का इरादा रखती है?

(स) यदि हां, तो इसका काम कब तक चालू हो जावेगा?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (अ) सही नहीं है। पटरी अवश्य थोड़ी नीची है।

(ब) जी हां।

(स) आगामी वित्तीय वर्ष में।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सड़क खराब नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, पटरी दोनों तरफ़ से थोड़ी नीची है?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सड़क भी खराब है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क तो ठीक है, म्युनिसिपैलिटी की चुंगी पोस्ट्स हैं, उनके बीच में सड़क ठीक है, खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

यज्ञ नारायण हास्पिटल, किशनगढ़

१२२०. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़, में कितने डॉक्टर नियुक्त हैं? उनमें से कितने छुट्टी पर हैं व कितने अर्से के लिये?

(ख) क्या जो डॉक्टर छुट्टी पर गये हैं उनकी जगह दूसरे डॉक्टर की नियुक्ति करदी गई है?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ३ की स्वीकृति है, दो डॉक्टर छुट्टी पर गये हुए हैं, जो छुट्टी पर गये हैं, चार चार महीने की छुट्टी पर गये हैं।

१. डॉ० आर. के. शर्मा १-११-५७ से

२. डॉ० टी. सी. जैन २६-१२-५७ से।

(ख) जी हां, डॉ० एस. के. पाण्डे का स्थानान्तरण डॉ० टी. सी. जैन की अनुपस्थिति काल के लिये कर दिया गया है जिन्होंने ८-२-५८ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। दूसरे डॉक्टर के स्थान के लिये कोई डॉक्टर की नियुक्ति अथवा स्थानान्तर नहीं किया गया है, क्योंकि डॉक्टरों का अभाव है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री पुरुषोत्तमलाल : एक की नियुक्ति कब हो जायगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपलब्ध होते ही हो जायगी, अभी ट्रेनिंग में गये हुए हैं। होशियार होकर आयेंगे तो और अच्छा काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

Page No.23

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

१२२१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रिश्वत निरोधक विभाग द्वारा अब तक कुल कितने केसेज़ की जांच की गई है तथा कितने केसेज़ अब कितने अर्से से पेन्डिंग हैं ?

(ख) कृपया उपरोक्त दोनों प्रकार के केसेज़ की डिपार्टमेन्ट वाइज़, विस्तृत विवरण सहित सूची सदन की मेज़ पर रखें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) ६१ मामलों की जांच हो कर क्रिमिनल केसेज़ रजिस्टर हुए। २८१ केसेज़ पेण्डिंग हैं, पेण्डिंग केसेज़ तारीख १०-६-५७ के बाद के हैं जिनकी जांच हो रही है।

(ख) ऐसा करना जन हित में उचित नहीं होगा, क्योंकि यह एन्क्वायरीज़ कोन्फ़िडेन्शियल होती है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ़ आर्डर सर, मन्त्री महोदय ने अभी जवाब में कहा कि ऐसा करना जन हित में उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात वे अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचाते और अध्यक्ष महोदय, का इसके बारे में यह निर्णय होता तो ठीक था। पर जब क्वेश्चन एडमिट कर लिया गया तब मन्त्री महोदय की ओर से यह कहने का अधिकार नहीं है, ऐसा करना जन हित में उचित नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहूंगा कि इस स्टेज पर क्वेश्चन का जवाब देने से क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार कह कर बच सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो एन्क्वायरीज हो रही हैं वे कान्फ़िडेन्शियल हैं, उनका नाम बताना जनहित में उचित नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : नाम थोड़े ही पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कितनी संख्या है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें पूछा गया है, विस्तृत विवरण ....

श्री अध्यक्ष : नाम आप नहीं बतायें पर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आंकड़े बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो ग्रोब्जेक्शनेबिल चीज़ है उसको आप साफ़ कहें। नाम नहीं बतायें।

श्री रामकिशोर व्यास : कितनी संख्या है, यह बताने में एतराज़ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो बताइये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : We will treat this as unstarred Question.

(नाम सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं हुई)।

श्री रामकिशोर व्यास : कल आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री होती लाल।
(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोती बाबा।

नटों द्वारा की जाने वाली चोरियों से फैला हुआ आतंक-जिला पाली

१२२४. **श्री मोती बाबा चौधरी** (बाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले में नटों द्वारा की जानेवाली चोरियों से बहुत आतंक छाया हुआ है ?

(ख) सन् १९५६-५७ व ५७-५८ में उक्त जिले में नटों द्वारा कहां कहां पर चोरियां की गई तथा कितनी बरामद हुई ?

(श्री मोती बाबा चौधरी)

(ग) क्या सरकार ने उक्त जाति को कहीं बसाने की योजना बनाई है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी नहीं, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आतंक नहीं है।

(ख) सन् १९५६-५७ एवं ५७-५८ में चोरी व नक़बजनी के केवल ४ प्रकरणों से नट संलग्न पाये गये। वे ग्राम रूपसिंह का गुढ़ा एवं सादड़ी थाना देसूरी, लटारा, थाना तख्तगढ एवं ढ़ाढ़ा थाना पाली में घटित हुए व प्रयासों के बावजूद भी उनमें से किसी का भी पता नहीं लगा।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

जिला बोर्डों व नगरपालिकाओं के सचिवों की नियुक्ति

१२२५. श्री रिद्धीचन्द पालीवाल (गंगापुर) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्त र देने की कृपा करेंगे:

(१) म्युनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर गवर्नमेन्ट द्वारा की जाती है?

(२) सन् १९५६ तथा सन् १९५७ में कितने सचिव कहां कहां किस स्केल पर नियुक्त किये गये?

(३) क्या सरकार इनकी नियुक्ति भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करेगी ?

स्वायत शासन उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द): (१) सचिवों की नियुक्ति म्युनिसिपल बोर्डों में तो राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट, १९५१ की धारा २११ और २१३ के अन्तर्गत की जाती है और सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ में उन्हें पृथक पृथक एक्टों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है तथा ज़िला बोर्डों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट की धारा ७३ के अन्तर्गत की जाती है।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

बुनकर सहकारी समिति बांसवाडा

१२२६. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बुनकर सहकारी समिति, बांसवाड़ा कब रजिस्टर्ड की गई? उक्त समिति के शेयर कितने हैं तथा शेयर होल्डर्स को वार्षिक क्या ग्रान्ट दी जाती है? अगर नहीं, तो क्यों?

(ख) उक्त समिति के प्रबन्धक व पदाधिकारी कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मन्त्री सहकारी विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) तहसील बांसवाड़ा में कोई बुनकर सहकारी समिति पंजीबद्ध नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : समिति बनाने के लिये कितनी एप्लीकेशन्स आईं?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

Page No.25

(श्री अध्यक्ष)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री आबिद अली ।

(अनुपस्थित)

श्री बाल मुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द कोठारी

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२-१ म. प.

राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७ अग्रेतर विचार–विमर्श एवं प्रवर समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : कल वेअर हाउसेज बिल पर वाद-विवाद हो रहा था।

श्री अनोपसिंह : माननीय अध्यक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व मैं यह निवेदन करन चाहता हूं कि मैं कल इस विधेयक पर बोल रहा था, इसलिए आज बोलने की आज्ञा दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : आपको आदेश मिल चुके थे कि कल ही समाप्त करदें ।

श्री अनोपसिंह : मेरे साथ अन्याय क्यों किया जावे जब दूसरों को ज्यादा समय दिया गया और मुझे पूरा समय नही दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वेअर हाउस बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है । जैसा इस विधेयक में शुरु में ही लिखा हुआ है : 'स्वतंत्र गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये तथा उनकी ठीक देख रेख एवं नियन्त्रण का प्रावधान करने के लिये यह रखा गया है । इस विधेयक के अनुसार गोदाम बनाये जावेंगे और उसमें कृषि उत्पादन पदार्थ रखे जावेंगे और उसके बाद फिर उसके आधार पर रूरल क्रेडिट की वृद्धि की योजना है । इस दृष्टि से यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसलिये जो इस विधेयक के संबंध में प्रस्ताव रखा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं ।

इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों विधेयकों के जो रूप हमारे सामने आये उससे लोगों में थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ है । वेअर हाउस का हिन्दी शब्द गोदाम कहने से थोड़ी गलतफहमी हुई । इस गोदाम का अर्थ यह समझते हैं कि जहां पर कोई चीज रखी जावे । यह सरकारी, गैरसरकारी या किसी भी संगठन और सोसाइटीज का भी हो सकता है । लेकिन वेअर हाउस का अर्थ इससे अधिक है, वह इसलिये है कि वेअर हाउस में जो सामान रखा जावेगा उसकी लोगों को रसीद मिलेगी और उस रसीद के आधार पर जमा कराने वाला बैंक आदि कहीं से उस रसीद को दिखा कर अर्थ प्राप्त कर सकता है । जहां तक मैं समझती हूं इसका यही मतलब हो सकता है । जैसा कि इस क्लॉज में विधेयक म एक प्रावधान रखा गया है । इससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा । आजकल होता क्या है कि जो उत्पादन किसान करता है, उसको तत्काल ही अपनी पैसे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बाजार में बेचना पड़ता है । जब वेअर हाउस की सुविधा उसको हो जावेगी, तो वह अपना सामान वहां पर जमा करा देगा और रसीद ले लेगा । उस रसीद के आधार पर वह अपनी जरूरत का पैसा प्राप्त कर सकेगा । लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा अधिक सोच विचारने की आवश्यकता और गुंजायश है । सेइयूल

(डा० चन्द्रकला)

में बताया गया है कि वहां पर क्या क्या चीजें रखी जायेंगी। वेअर हाउस किस प्रकार का होगा। कोई रेफ्रिजेटर होगा या एअर कण्डिशन्ड होगा जिसमें टमाटर वेजिटेबल या दूध वगैरा भी रख लेंगे। यदि वेअर हाउस विकसित हो जावे, तो सभी चीजों को अच्छी तरह से रखा जा सकेगा। लेकिन ये चीजें तो ऐसी होंगी जो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। इन खराब होने वाली चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन इसके लिये समय समय पर सरकार सूचना देती रहेगी कि कौनसी चीजें वेअर हाउस में रखी जावेंगी। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि ये वेअर हाउस अधिकतर किसानों के हित के लिये होंगे और किसान अधिकतर पढ़े लिखे नहीं हैं जिससे कि हम उनको इतना जल्दी राजपत्रों और दूसरे पत्रों में इसका प्रकाशन करके अखबारों के जरिये अच्छी तरह से उनका मार्ग दर्शन कर सकें। इसलिये उन्हें बड़ा घाटा और नुकसान रह सकता है। इसलिये मैं तो यह सोचती हूं कि जिस तरह से हमारे भारत सरकार की योजना है, उसी के अनुसार यहां पर भी एक दो वेअर हाउस तो सरकारी-स्तर पर चलाये जाकर नमूने के तौर पर कार्य किया जाए और उसके बाद स्वतन्त्र वेअर हाउसेज की स्थापना की जाए। उसके बाद लोगों को स्वतन्त्र वेअर हाउस चलाने की सुविधा दी जाती तो भी ज्यादा अच्छा रहता। मैं नहीं समझ सकती कि इसमें सरकार को क्या दिक्कत है। मैं जानती हूं कि एग्रीकल्चर विभाग में काफी स्टाफ है और काफी लोग काम करने वाले हैं। मंत्री महोदय ऐसा पहले क्यों नहीं करते कि एक या दो वेअर हाउस सरकारी स्तर पर चलाएं और उसके आधार पर बाद में दूसरे वेअर हाउस कायम किये जावें।

जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की हमारी योजना नई है। पहले केवल जयपुर और बोम्बे में, प्रान्त के थोड़े से हिस्से में यह योजना चालू थी और वहीं पर नाम मात्र को वेअर हाउस काम कर रहे थे। यह एक तरह की एकदम नई योजना है। इसलिये स्वतन्त्र व्यक्तियों के हाथों में इसे देने के पहले सरकार को चाहिये कि अपने हाथ में यह काम ले, सरकार को इसे अपने हाथ में लेना भी चाहिये ऐसा मैं महसूस करती हूं। इसके अतिरिक्त इसका बहुत संबंध किसान जनता से होगा। मैं तो यह समझती हूं कि सहकारी समितियों को सुविधा देने के लिये इसकी बड़ी जरूरत है तो क्यों न सहकारी समितियां भी अपने वेअर हाउस चलाएं। एक व्यक्ति के हाथ में यह काम सौंप देना कि वह वेअर हाउस चलाए, कहां तक सफल हो सकता है। यह तो प्रयोग के बाद में प्रत्यक्ष होने वाली बात है।

इसके अलावा इसमें लाईसेंस देने और लेने की छोटी छोटी बातें हैं उसके विषय में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि यह वेअर हाउस की जो कल्पना है वह बहुत सुन्दर है और इससे बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है। बहुत से किसानों को लाभ होगा जिन्हें इसके वगैर इतनी तकलीफ होती है। जिस समय नाज वगैरा पैदा होता है, तो उनको मजबूरी से बेचना पड़ता है और जितना फायदा उनको उसका मिलना चाहिये नहीं मिल सकता। इसलिये जो योजना बनाई जावे वह इस तरह बनाई जानी चाहिये कि जिससे उन काश्तकारों को पूरा पूरा फायदा मिल सके और फिर अन्त में जैसा इसका उद्देश्य है कि हमारा रूरल क्रेडिट है वह विकसित हो। इसके संबंध में अन्य छोटी मोटी बातों को बता कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती। लेकिन मैं यह चाहती हूं कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में दे दिया जावे और वहां पर सब बातों पर सोच विचार होगा और फिर इसको लिया जावे तो अधिक अच्छा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेअर हाउस का स्टेट द्वारा निर्माण किया जावेगा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और जो प्राइवेट होंगे उन दोनों को मिलाया जा रहा है । मेरे खयाल से माननीय सदस्य को इसमें भ्रान्ति है इसके लिये नया अलग सेण्ट्रल एक्ट पास हो चुका है,

The Agricultural Produce Development and Warehousing) Corporation Act, 1956 (Central Act No. 28 of 1956)

सेण्ट्रल एक्ट की एक दफा में साफ़ है:—

"Functions of the State Warehousing Corporation: Subject to the provisions of this Act, a State Warehousing Corporation may acquire and build godowns and warehouse at such places within the State as it may, in consultation with the Central Warehousing Corporation, determine."

इससे यह साफ है कि जो गोदाम जो स्टेट निर्माण कराना चाहती है, वे इस एक्ट के मातहत करेंगे । लेकिन इसके अलावा यह बहुत जरूरी है कि स्टेट इतने वेअर हाउस निर्माण नहीं कर सकती, इसलिये प्राइवेट वेअर हाउस करने के लिये यह बिल लाया गया है । इसलिये माननीय सदस्यों को जो भ्रान्ति है उसका निराकरण कर देना चाहता हूं ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, इसमें ऐसे क्लॉज हैं जिनको दूर कर देना चाहिये । एक बात उन्होंने कही कि सस्पेन्शन और केन्सेलेशन के लिये जो क्लॉज है, उसको देखते हुए अपील का प्रोवीजन नहीं रखा है । मैं निवेदन करूंगा कि दफा २६ है, उसमें साफ है कि कैंसल या सस्पेण्ड किया जावेगा, तो अपील हो सकेगी । इसलिये उनकी यह बात भी निरर्थक है । एक बात यह भी कही गई कि केन्सेलेशन के वाद लाइसेन्स दे दिया जावेगा, माल रखा हुआ है, उसका क्या होगा ? उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे खयाल से इस बिल के क्लॉज १० में साफ उल्लेख है कि उसको बिजनेस को वाइण्ड-अप करने का मौका दिया जावेगा । इसका मतलब यह है कि माल जिसका हो उसको दे दिया जाय । इसमें भी मेरे खयाल से अपील वह कर सकता है ।

तीसरी बात "प्रेस्काइब्ड" शब्द के लिये कहा गया है । मैं मानता हूं कि इसमें उल्लेख होना चाहिये कि कौनसी ऑथोरिटी होगी जो रजिस्ट्रेशन करेगी, कौन सी ऑथोरिटी अपील सुनेगी, हालांकि इसमें इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं है । इसके बारे में यह निवेदन करना है कि राज्य सरकार स्पष्ट नहीं कर सकी है कि कोई मार्केटिंग ऑफिसर इसके लिये ऑथोरिटी होगा या कोई दूसरा होगा, इसलिये माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर दें । जो अपीलेट ऑथोरिटी है, रजिस्टरिंग ऑथोरिटी है इसके लिये, कोई अफसर मुकर्रर होना चाहिये । इसका यही स्पष्टीकरण हो सकता है, अमेण्डमेंट से हो सकता है । इसको सिलेक्ट कमेटी में इसके लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है । डेमोक्रेसी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, उनके प्रिन्सिपल्स को ही हम तय कर सकते हैं बाकी चीजों के लिये सरकार को अधिकार देते हैं और वे उनको करते हैं । ऑथोरिटी के बारे में शंका है तो इसके लिये अमेण्डमेण्ट हो सकता है और तय कर सकते हैं कि क्या और किस तरीके से हो ।

मेरी भी कुछ शंकायें हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अर्जुनदास : शंकायें हैं तो सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (अपना भाषण जारी रखते हुए) : जैसी वेयर हाउस की डेफीनेशन है, क्लॉज ३ दिया हुआ है कि कोई वेयर हाउस बिना लाईसेंस के नहीं चल सकेगा । वेअर हाउस की डेफीनेशन देखें तो मालूम होगा कि मामूली सा मकान हो कोई उसमें चीज रख कर जावेगा वह उसके अन्तर्गत आ जावेगा, लेकिन क्लॉक रूम्स, दी प्रेमिसेज ऑफ अदर पब्लिक केरीयर्स इसमें नहीं आवेंगी । बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वेयर हाउसेज प्रोसेसिंग कार्य करें, किसानों को इससे लाभ पहुंचे । एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कहा है कि साइण्टिफिक बेसिस पर लाना चाहते हैं, लेकिन यह मालूम इससे

(श्री सोहनलाल भटनागर)

नहीं होता है कि वे साइन्टिफिक बेसिस क्या हैं। छोटी सी दुकान हो, मकान हो, इस डेफीनेशन में आ जावेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं इसमें उन बातों का प्रावधान होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र डागा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने अपनी ओर से किसी इन्फोर्मेशन के आधार पर नवीन विचार प्रकट किये हैं। जो इस बिल के एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स हैं उनमें, मैं समझता हूं कि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार किस प्रकार के वेअर हाउसेज कायम करना चाहती है। सरकार की मंशा है कि सरकार की योजना के अनुसार पब्लिक भी खोले इस बात का एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स में जिक्र नहीं है और जिक्र न हो तो इस सदन के महानुभाव सदस्यों को किस प्रकार से मालूम हो कि इस बिल का मकसद क्या है? अभी माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उनसे बिल के आने पर नई रोशनी पड़ जाती है इसलिये इस बिल को मौजूदा रोशनी में देखने के साथ साथ नई रोशनी में भी देखना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह बात कहूंगा कि पहले, चूंकि यह बात डाउटफुल है, मंत्री महोदय ने एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स रखे हैं वे सही हैं या माननीय सदस्य ने रीजन्स रखे हैं वे सही हैं, इसमें उनको एड किया जायगा यह स्पष्ट हो जाय। बहतर तो यह होगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि इसको भली प्रकार देख लिया जाये। यह भी देखने की बात है कि यह मूल बिल है, अमेण्डमेन्ट बिल नहीं है, इसलिये मूल बिल बनाते वक्त भली प्रकार से देखना चाहिये। दो चार क्लॉजेज का अमेण्डमेन्ट होता तो प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं होती। बिल नवीन प्रकार का बनाने जा रहे हैं। समाज में एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं और वह भी उस समाज में जो भारतवर्ष की एक विशाल समाज है, कृषक समाज, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। इसलिये कोई बात करनी हो, तो पहले अच्छी तरह से, भली प्रकार से उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये ताकि कोई डाउट न रहे, हमारे कृषक समाज में भलाई के बदले बुराई पैदा न हो।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के बारे में विचार करने के पहले इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अच्छा है जिससे बाद में हाउस भली प्रकार से विचार कर सकेगा।

श्री पुरुशोतम लाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष, वेअर हाउस बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उससे सहमत हूं और उसके पक्ष में बोलना चाहता हूं।

इस बिल के एक क्लॉज में यह बतलाया गया है कि "माल तोलने वालों, नमूने निकालने वालों और वर्गीकरण करने वालों द्वारा लाइसेंस लिया जाना : (१) निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित रीति से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर व निर्धारित फीस का भुगतान किया जाने पर, उन व्यक्तियों को जिन्होंने ऐसी निर्धारित योग्यतायें प्राप्त कर रखी हों"........मैं यह निवदन करूंगा कि क्या तोलने वालों और नमूना निकालने वालों के लिये सरकार ने ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, अथवा उनके लिये क्या योग्यतायें प्राप्त निश्चित की हैं, यह सरकार ने नहीं बताया। इसके बाद योग्यतायें रख कर लाइसेंस भी ले ले तो उसको फिर हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। स्कूल में कोई लड़का पढ़ता है यदि वह एक मर्तबा मेट्रिक, इण्टर, बी. ए. पास कर लेता है और उन योग्यताओं का सर्टीफिकेट हासिल कर लेता है तो फिर उसको दुबारा सर्टीफिकेट हासिल करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार तोलने वगरा की जब उन्होंने योग्यतायें हासिल कर लाईसेंस ले लिया है तो भी फिर उसको रिन्यू कराना होगा और उसके लिये एप्लीकेशन देनी होगी और उसको भी अधिकारी चाहे तो लाईसेंस रिन्यू

Page No.29

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

करें या मन्सूख कर दे । मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब एक मर्तबा योग्यताएं हासिल करली, और जब किसी को लाईसेंस दे दिया जाय और फिर अधिकारी चाहे तो उसको कैंसिल व इनकार कर सकता है, यह क्यों ? ये दोनों बातें जो इसमें रखी गई हैं, वे उपयुक्त नहीं हैं । माल निकालने वाला एक हमाल होता है, क्या उसकी ताकत की योग्यता का अन्दाज लगाया जायगा या उसे क्या पाठ पढ़ाया जायगा, यह बात समझ में नहीं आई ? नमूना निकालने का जो काम है वह हर एक कोई निकाल लेता है, उसमें योग्यता क्या ? इस प्रकार से इसमें और भी कई कमियां हैं । अनुसूची में यह बताया कि गेहूं, जो, चना, मक्का, फिर धा । यह धान कौन सा फिर बाकी रह गया है । मेरी समझ में नहीं आया कि यह 'धान' शब्द क्या फिर बाकी रह गया है ?

एक माननीय सदस्य : चावल ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसी तरह से फलों में आम, मौसमी, सन्तरे तो हैं । लेकिन अंगूर फिर कहां चले गये ? अंगूर भी आने (हंसी) चाहियें थे, क्योंकि वे तो जल्दी ही सड़ जाते हैं । आप सब तरह के वेअर हाउसेज बनाते हैं तो उनके लिये और भी कई प्रकार के फल हो सकते हैं, वे भी सूची में दाखिल किये जाने चाहियें थे ।

इस तरह से जो माल का नुकसान होगा या सील लगाने के बाद यदि माल में बढोतरी होगी क्योंकि वेअर हाउसेज साईंटिफिक तरीके से बनेंगे तो फिर उस में सील लगने का सवाल नहीं होगा वैसी हालत में सील लग जाने के कारण यदि अनाज में वृद्धि हुई और उसी प्रकार से जो नमूने के लिये माल निकाला गया उसमें यदि किसी प्रकार की कमी हुई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा यह इस बिल में बताया नहीं गया है ।

नुकसान का देनदार कौन होगा इस बारे में झगड़ा होगा, अपील का भी अधिकार इसमें रखा गया है, अपील का अधिकारी क्या एक्सपर्ट होगा और क्या उसे ही यह अधिकार दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूं इस बिल में इस प्रकार की बात भी रखी गई है कि बिना लाईसेन्स के दूसरा व्यक्ति कोई इस प्रकार का कारोबार नहीं कर सकता । उसमें यह बताया गया है कि कोई गोदाम वाला किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा इसके लिये बताऊं कि गोदाम वाले का कोई रिश्तेदार है अगर वह गोदाम में माल रखता है, तो यह उसे अधिकार है कि वो उससे पैसा ले या न ले ऐसी हालत में यह प्रोविजन रखा गया है कि भेद भाव करने पर वह लाइसेन्स केन्सिल कर दिया जायगा, उपयुक्त नहीं है ।

इसके साथ साथ यह भी है कि बिना लाइसेन्स गोदाम दूसरा बना नहीं सकेगा और माल रख नहीं सकता । एक काश्तकार है जो अपने मकान से माल लाकर मंडी में बेचता है, मंडी में वह माल नहीं बिकता है और उसे दूसरी ओर पैसा चाहिये और वैसी हालत में लाइसेन्सयुक्त गोदाम उसके लिये खाली नहीं है और न वह किसी आड़तिये के यहां माल ही रख सकता है, न रसीद देकर ही उसके ऊपर पैसा ले सकता है ऐसी स्थिति में होगा क्या उसकी दशा क्या होगी इन सब बातों का समावेश होना आवश्यक है । यह ऐसा महत्वपूर्ण बिल है जिसे हम पहले पहल राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं ऐसी हालत में इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द अवश्य ही करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में सब से पहले माननीय कृषि मंत्री को धन्यवाद देऊंगा । अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह एक इस प्रकार का कानून है जिसकी प्रतीक्षा कई दिनों से की जा रही थी । मुझे इस बात की खुशी है कि देर से ही सही किन्तु यह कानून विधान सभा में विचारार्थ प्रस्तुत हो गया है । कल बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इस बिल को विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, लेकिन जिस समय यह प्रस्ताव आया था उस समय में कुछ ऐसा समझा हुआ था कि यह बिल इतना आवश्यक

(श्री भैरोंसिंह)

हूं कि अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया तो संभव है जितना जल्दी इस कानून से काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, प्रवर समिति में जाने के कारण कुछ विलम्ब का भय है, उस भय से जो राहत हम काश्तकारों को इस कानून के जरिये दिलाना चाहते हैं, वह राहत शीघ्रातिशीघ्र नहीं पहुंच सकेगी । उसके बाद जिस समय फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके समर्थन में बात कही और उसके साथ यह भी कहा कि माल गोदामों में जमा कराने के बाद जो रसीद मिलेगी वह रसीद ट्रान्सफरेबल होगी । ट्रान्सफरेबल रसीद के साथ साथ उन्होंने इसका पर्यायवाची शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने यह कहा कि यह काम नेगोसिबेल रिसीट के आधार पर होगा । मैं तो ऐसा समझता हूं माननीय कृषि मंत्री महोदय इस अन्तर को समझ नहीं पाये होंगे कि ट्रांस्फरेबल रिसीट और नेगोसिबेल रिसीट इन दोनों में क्या अन्तर है । प्रेक्टिकली एक है । लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार की बात रखी तो मुझे संदेह हुआ शायद माननीय कृषि मंत्री किसी हद तक सही है । मैंने इस बिल को शुरू से लेकर आखिर तक देखा फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि कृषि मंत्री महोदय ने जो बात कही थी वह किस हद तक सही है क्या मैं यह बात मान कर चल सकता हूं । ऐसी हालत में मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि उन्होंने वास्तविक रूप से इस बिल की क्या मंशा है इस ओर ध्यान नहीं दिया । कानून अवश्य बना है किन्तु इसका प्रभाव किस प्रकार होगा और इसके प्रभाव से काश्तकारों को किस प्रकार से राहत मिलेगी; इस दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो यह कानून जहां तक इसको कार्य रूप में परिणित करने का संबंध है मेरे दृष्टिकोण से अपर्याप्त है । जिस प्रकार की यहां बहस हुई, और जिन बातों की ओर संकेत किया गया उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों का समावेश इसमें नहीं किया गया है, कुछ कानून के विशेष आधार होते हैं उस दृष्टि से यह कानून नहीं बन पाया है । काश्तकारों के संबंध में जितनी भी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, उन सब रिपोर्टों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि काश्तकारों को रकम मिले, उधार मिले, रूरल क्रेडिट पोईन्ट को सुलभ बनाने की हर रिपोर्ट में राय जाहिर की गई है । अब प्रश्न यह आता है कि जिस चीज को हम सुलभ बनाना चाहते हैं वह किस प्रकार बन सकती है । यह तो जो कानून हम बना रहे हैं, उससे क्या सुलभ बन सकती है या इसमें कुछ हेर फेर करने से कुछ ज्यादा शुभ बन सकती है, ये दोनों बातें हैं । जिस प्रकार का यह कानून है उसमें कुछ सहूलियत की बातें आयी हैं । अगर इसमें भी कुछ संशोधन और कर दिया जाता है, कुछ शंकाओं का निराकरण हो सकता है, तो यह ज्यादा सुलभ हम बना देंगे । सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वेअर हाउसेज का निर्माण साइन्टिफिक तरीके से होना चाहिये। साइन्टिफिक यह इस प्रकार का वर्ड है कि हर आदमी विचार करेगा जितने भी वेअर हाउसेज बनने जा रहे हैं वे इस प्रकार के बनेंगे जिसमें कोई भी चीज रखने पर खराब नहीं हो सकेगी : लेकिन मेरा यह कथन है कि साइन्टिफिक गोदाम है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करेगा, कौन अधिकारी निर्णय करेगा कि इस वेअर हाउस में चीज रखने से खराब नहीं होगी या नमी नहीं आयेगी । जो चीजें हम साइन्टिफिक वे में करने जा रहे हैं वैसी हालत में वैसी हमें यह सोचना होगा कि एक लाइसेंस होल्डर है वह अपने गोदामों को लिपा पुता कर कह देता है कि मेरा वेअर हाउस का साइन्टिफिक तरीके से निर्माण हुआ है, इसमें अनाज के रखने से किसी प्रकार भी नुक्सान नहीं होगा । उसी तरह जिसने एक मकान बना रखा है वह भी कह सकता है कि मैंने भी इसे साइन्टिफिक वे में बनाया है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जब वेअर हाउसेज के संबंध में किसी भी प्रकार के आधारों का निर्माण नहीं होगा, कि ये किस प्रकार के बने हुए होने चाहिये तब तक मुझे भय है कि जो रूरल क्रेडिट को हम चलाना चाहते हैं वहां कहीं यह न हो जाय कि किसान अपना माल भी रखें और उनको नुक्सान उठाना पड़ जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें लाईसेन्स का प्रावधान भी रखा गया है, लाईसेंस किस प्रकार मिलेगा, और किस कारण से लाइसेंस रिजेक्ट किया जा सकेगा इसमें कन्डीशन्स हैं । इसमें

Page No.31

(श्री भैंरोंसिंह)

सबसे बड़ी तमाशे की चीज है जो मेरी दृष्टि में है वह यह कि सरकार ने अपने हाथ में डिस्क्रिशन रखा है, उसके लिये एक लाइन बढ़ा दी है :

"that applicant is competent to conduct such warehouse."

मैं समझ नहीं पाया, कोम्पीटेंट वड क्या है ? शाब्दिक अर्थ लिया जाय तो ठीक निकलता है । कोम्पीटेंसी सिद्ध किस प्रकार की जायगी कोम्पीटेन्सी के संबंध में वेदर ही इज कोम्पीटेन्ट ओर नोट । इसके गाईडिंग प्रिन्सिपल्स क्या हैं, उसका अभाव है ? मुझे भय है जिसको लाइसेंस देने का अधिकार देते हैं वह अधिकारी इसका दुरुपयोग कर सकता है । माननीय मंत्री महोदय कहेंगे जैसी कि उनकी आदत है, हर सरकार के अधिकारी पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं । सिद्धांत की दृष्टि से यह बात ठीक है कि हर सरकारी अधिकारी के कार्य में अविश्वास नहीं करना चाहिये । लेकिन जिस किसी भी सरकारी अधिकारी को हम इस कार्य के लिये नियुक्त करते हैं, उनको जब तक अपना डिसक्रीशन एप्लाई करने के लिये गाइड नहीं करेंगे मनुष्य का स्वभाव है कि वह गलती कर बठता है, उसी तरह से सरकारी अधिकारी से भी गलती हो सकती है, जब गलती हो जाती है, तो उसमें मेलाफाइड इन्टेंशन हो जाता है और इस तरह से गलतियां निरन्तर बढ़ती जाती हैं ।

तो वैसी सूरत में ये इस प्रकार की शंकाऐं होती हैं । मुझे अकेले को नहीं, बल्कि आम तोर से सभी माननीय सदस्यों को इन अधिकारियों पर सन्देह होता है । ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि कानून बनाने में कुछ बडे गाईडिंग प्रिन्सपल रखने चाहिये, जिनसे सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से करते रहें और कोई सदस्य उन पर सन्देह नहीं कर सके ।

अगर यह वर्ड कम्पीटेन्ट यहां रहा तो नश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस का दुरुपयोग होगा । बाकी जो दो कन्डीशन्स हैं वे तामील हो सकती हैं । जमानत की एक कन्डीशन है वह पूरी हो सकती है, इन्स्पेक्शन का काम भी कराया जाकर साबित कराया जा सकता है कि यह स्थान उपयुक्त है । पर यह तीसरी कन्डीशन जो कम्पीटेन्सी की है, इसकी आड़ में फिर भी वह कह सकता है, कभी भी कह सकता है कि यह कम्पीटेन्ट है या नहीं ।

अब दूसरा प्रश्न है एग्जम्प्शन का । मैं समझ नहीं पाया कि सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई । मैं मानता हूं हमें कहीं कानून में एग्जम्प्शन की भी शरण लेनी पड़ती है पर किस हद तक क्यों और किसके लिये यह प्रेस्क्राइब करना जरूरी होता है । जब तक प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं तब तक यह कह कर :

"The State Government may by notification in the official gazette, for reason to be recorded, exempt any person from all or any of the provisions of this Act."

इसका मतलब यह हुआ है कि जिस व्यक्ति का किसी अधिकारी ने कॉम्पीटेंट न समझ कर उसका लाईसेंस केंसिल कर दिया और इस कारण भी कर दिया कि किसी वेअर हाउस के लाइसेंस होल्डर ने ज्यादती की, किसी प्रकार की और इसके बाद उसका लाइसेंस केंसल कर दिया । पर उससे ऊपर के अधिकारी की ओपीनियन दूसरी है, सरकार की उच्च श्रेणी की ओपीनियन दूसरी है, उनका स्तर जो है उस स्तर के लोग विचार करें कि इसको तो वेअर हाउस का लाइसेंस देना है, तो वे और कहेंगे कि इसकी ज्यादतियों के बावजूद उसे रन करने दो । तो इस प्रकार की छूट देनी है, तो सरकार इस प्रकार का निर्णय दे सकती है । गजट में नोटिस निकाल सकती है कि अमुक श्रेणी के, अमुक प्रकार के व्यक्ति को या वेअर हाउस को इस एक्ट के दायरे से मुक्त करते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति लाइसेंस के बिना, इस प्रकार का बिजनेस करने वाले लोग, व्यापार नहीं कर सकते तो दूसरे को कहेंगे कि लाईसेंस कराना पड़ेगा । एक विशेष रियायत के लिये, दिक्कत को दूर करने के लिये स्पष्ट रूप से सदन में मांग रखिये कि इन कारणों से सरकार से अवश्य

(श्री भैरोंसिंह)

कता पड़ेगी कि अमुक चीज में एग्जम्प्शन करना है और यदि अमुक चीज में एग्जम्प्शन नहीं किया गया तो कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं, वेअर हाउस को करने रखने में कठिनाई आ सकती हैं। तो बात समझ में आ सकती है। पर यह कह कर गजट में नोटिफिकेशन शाया करके इस कानून के प्रावधान के प्रभाव से बचाने के लिये किसी वर्ग को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। संपूर्ण कानून के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं तो सन्देह होता है कि क्या आवश्यकता महसूस हुई और में चाहूंगा कि कृषि मंत्री इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण करें। लेकिन केवल स्पष्टीकरण कर भी दिया तो उसका उत्तर फिर हम नहीं दे सकेंगे। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि कि यदि एग्जम्प्शन करना है, तो यहां बैठकर इसे अच्छी तरह डिसकस नहीं कर सकते। यदि कमेटी में यह जावेगा तो सभी माननीय सदस्य वहां बैठकर उचित निर्णय ले सकेंगे कि एग्जम्प्शन की क्यों आवश्यकता है?

कल जिस प्रकार का प्रश्न आया था और उस पर जैसे मंत्री महोदय ने कहा था कि नेगोशियेबल रिसीट नहीं होगी। तो यह कानून निरर्थक है। इस सारी व्यवस्था पर सन्देह होने लगता है। राजस्थानी भाषा में नाम लूं तो जिस तरह से हुंडी सिकारी जाती है वैसे यह रसीद सिकारी जानी चाहिये। पर हुंडियों में तो होता क्या है? हर सेठ की हुंडी नहीं सिकारी जाती। जिसकी बिजनेस में धाक है, साख है, विश्वास है या बिजनेस में विश्वास प्राप्त किये हुए है उसकी हुंडी सिकारी जावेगी। पर यह हमने व्यवस्था की है प्राईवेट वेअर हाउसेज की। सरकारी वेअर हाउसेज एवं कोआपवेटिव बेसिस पर वेअर हाउसेज बनाने वालों की।

में यह भी निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार की सहकारिता की नीति सफल नहीं है। आंकड़े जरूर आप देते हैं कि निरन्तर बढ़ती जा रही है, सहकारी समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सारे देश का शासन और अपने प्रान्त का शासन हम कोआपरेटिव बेसिस पर करना चाहते हैं, इसका ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है। पर वास्तविक स्थिति इस कोआपरेटिव नीति की देखी जावे मूल देखा जावे तो मैं निस्संकोच भाव से कह सकता हूं कि हमारी कोआपरेशन की पालिसी डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही है। जिस समाज का आप इस पर ढांचा बनाने जा रहे हैं, उस समाज का ढांचा तो क्या उस पर बनेगा पर आपका खुद का ढांचा खराब होता जा रहा है। आज की स्थिति में जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त सेठ की हुंडी सिकारी जावेगी, उसी तरह से सरकार के कब्जे में अगर ये होंगे तो रिसीट उसकी सिकारी जावेगी, चाहे फिर सरकार के कामों में कितना ही घोटाला हो, कितनी ही कमजोरियां हों। सारी कमजोरियां होने के बावजूद भी लोग इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि मनी एक्सचेंज होता जावेगा। रिसीट एक दूसरे को ट्रांस्फर होती जायेगी और इस पर पैसा भी मिलता जावेगा।

बाकी की दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं कोआपरेटिव की और प्राइवेट तौर पर चलाने वालों की। इस बिल के द्वारा इस बात की जरूर व्यवस्था की गई है कि पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी ली जावे। पर वह सिक्योरिटी किस प्रकार कितनी तादाद में और किस तरह होगी, इसके लिये मैं समझता हूं कि रूल में प्रेस्क्राइब्ड करने की व्यवस्था नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता। पर प्रश्न आता है माल के एवज में कितने वेअर हाउ सेज किस ग्रेड के होंगे। इसके लिये ग्रेड फिक्स करनी होगी। एक में ५० लाख तक का सामान जमा करा सकते हैं, एक में दस लाख जमा करा सकते हैं और एक में दस हजार ही जमा करा सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारे पास में माल के लिये कितनी सिक्योरिटी जमा करानी होगी, इसके लिये हमें ग्रेड्स् तय करने होंगे। जब तक यह न हो जाय तब तक डिस्क्रेशन के आधार पर सिक्योरिटी के प्रश्न को लेकर किसी के लाइसेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। मन चाहें जिस ढंग का वे लाइसेंस दे सकते हैं। जहां सिक्योरिटी का प्रश्न आता है सिक्योरिटी होने के बाद भी जनता में विश्वास होना इन्डिविजुअल व्यक्ति की साख से संबंधित है। लोग इसको एप्रीसियेट करेंगे या नहीं इसके बारे में मतभेद हो सकता है। यदि इन्डिविजुअल कैपिसिटी के आधार पर वेअर हाउस रन कर सकते हैं, तो रिसीट के [illegible] में उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

सिक्योरिटी को देख कर विश्वास किया जा सकता है। पर मेरी ओपीनियन एसी है इस बारे में कि यदि किसी ने इस प्रकार के काम धन्धा करने वालों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी है तो वह चाहे एक रसीद दे या हजार रसीद उसकी वे रसीदें हुंडियों की तरह बाजार में सिकरने वाली नहीं हैं और इसका मतलब यह होगा कि ऐसे वेअर हाउस में अगर किसी का सामान जमा हो गया तो माल भी ब्लाक हो जावेगा और जिस रूरल क्रैडिटिंग की बात हम करते हैं वह भी लागू नहीं होगी । तो इन चीजों को द्रष्टि में रखते हुए इसके लिये हमें निश्चित रूप से नियम बनाने पड़ेंगे । इनके सम्बन्ध में हाउस में अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा । हाउस भी इसमें कान्ट्रीब्यूट कर सकते हैं । नियमों में भी सहूलियतें लाने का प्रयत्न करेंगे । पर नियमों का भी प्रावधान इसमें नहीं है । अत: यह प्रवर समिति में जाए । यह मेरी इच्छा है । अब दूसरा नम्बर है कोआपरेटिव बेसिस पर चलने वाले वेअर हाउसेज का । एक बार ऐसा प्रश्न यहां पूछा गया कि कोआपरेटिव सोसायटियां किस प्रकार से फंक्शन करती हैं । मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि जितनी कोआपरेटिव सोसायटियां इस वक्त रन कर रही हैं, उनमें सब नहीं, पर ९० प्रतिशत कोआपरेटिव सोसायटियां जो आज चल रहीं हैं, उनका दृष्टिकोण एक रहता है कि जैसा आज के समाजवादी समाज व्यवस्था के युग में कैपीटलिस्टों का रहता है कि अपना एक पसा इन्वेस्ट नहीं करना । यदि फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है या कारखाना चलाना है या कोई धन्धा करना है, कोई कन्सर्न चलाना है तो जनरली कैपीटलिस्टों का दृष्टिकोण यह रहता है कि अपनी पूंजी नहीं लगानी है, अपनी पूंजी लगाते हैं तो इन्कम टैक्स का प्रश्न आता है, टैक्सेशन पोलिसी के अन्तर्गत दिक्कतें आती हैं, इसलिये उन्होंने एक टैकटिक्स अपनाई है कि जो कुछ मनी इन्वेस्ट करना है वह सरकार से कराना है, सरकार का रुपया उसी में लगवाना है, रुपये का प्रवन्ध हमें करना है और उस प्रबन्ध के द्वारा हम जितना पैसा खींच सकें खींच लेना । यह दृष्टिकोण है । मैं इसके कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं, पर इस समय नहीं चाहता उनको उपस्थित करना । सरकार ने आज कितनी ही पुरानी फैक्टरियां और मिलें दे रक्खी हैं इन पूंजी पतियों को, वे व्यवस्था करती हैं इनको, पैसा लगाती है राजस्थान सरकार, अब उसमें घाटा होता है, तो वह राजस्थान सरकार का और अगर मुनाफा होता है तो उन पूंजी पतियों का । तो आज जो दृष्टिकोण इन लोगों ने बना लिया है, वही दृष्टि कोण करीब २ इन कोआपरेटिव सोसायटियों वालों ने बना रक्खा है । आज कोआपरेटिव समिति कौन चलावेगा ? जिसको कुछ सरकार से कर्जा लेना है । मैं मानता हूं कर्जा लेना कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

कर्जे में यदि कोई इन्डस्ट्रियल डेवलप्मेंट होता है, कॉटेज इन्डस्ट्रीज द्वारा जीवन निर्वाह के साधनों को जुटाने में यदि किसी आदमी को धन की आवश्यकता है तो धन लिया जाय । लेकिन उसका उपयोग किया जाय । उसका सदुपयोग होना चाहिये । लेकिन मैं इसके बिलकुल विपरीत बात देखता हूं । आज जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह सब पैसा लेकर हजम करने के लिये बनी हैं । मैं आपको बताऊं मैंने डिस्ट्रिक्ट सीकर का सर्वे किया है । वहां पर जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सब में गबन हुआ है । किसी सोसाइटी का दस हजार रुपया खा गए और किसी सोसाइटी का १५ हजार रुपया खा गये । इसके बारे में कई बार यहां पर सदन के अन्दर प्रश्न भी पूछे जाते हैं । एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि श्रीमाधोपुर सहकारी समिति के दस बारह हजार रुपये वहां के लोग खा गए । सन् ५५ में उसकी रिपोर्ट मिली और सन् ५५ से लेकर आज सन् ५८ तक हमारे मंत्रीगण सोते रहे और किसी प्रकार का कोई एक्शन उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया । उस सोसाइटी के शेयर होल्डर्स रोते हैं । जब इनके बारे में विधान सभा में प्रश्न पूछते हैं, तो मंत्री लोग मखोल करते हैं और इस बात की चिन्ता नहीं करते कि गरीबों का पैसा दूसरे लोग खा गए । हम पैसों का प्रोटेक्शन नहीं करते । उस कोआपरेटिव बेसिस पर जिन पर कि यह सोसाइटीज चलतीं हैं अगर

(श्री भैरोंसिंह)

उन्हीं कोआपरेटिव बेसिस पर वेअर हाउसेज को चलाने का लाइसेंस दिया तो मुझे संदेह है कि लोग उसकी भी कीमत करने वाले नहीं है । अब वेअर हाउसेज को चलाने के लिये एक प्रश्न आयेगा और वह यह कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरह वेअर हाउसेज के ऊपर भी काफी लोन दिया जायेगा । मैं मानता हूं कि किसी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये लोन मिलना चाहिये । लोन मिलने में मुझे आपत्ति नहीं है । वेअर हाउसेज का साइन्टेफिक ढंग से निर्माण करने के लिये वेअर हाउसेज को पैसा मिलेगा और सरकार के पैसे से वेअर हाउसेज का निर्माण होगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, छोटी सोसाइटीज का हाल बताऊं । मैं नाम तो नहीं बताना चाहता, नाम लेना एक बुरी बात लगेगी । वैसे इस सदन को, सदन का नाम भी नहीं लेना चाहिये, कई राजस्थान के जिम्मेदार व्यक्तियों ने अपने घर वालों के नाम से सोसाइटियां बना रक्खी हैं जिसके सदस्य केवल घरवाले ही हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य नहीं है । उसमें हिसाब-किताब की तो आवश्यकता रहती नहीं हैं । घर का कोई भी एक आदमी उसका हिसाब रख लेता है और सारा परिवार जो कोआपरेटिव बेसिस पर बना है, लेकिन उस परिवार को भी कोआपरेटिव बना रहे हैं । मैं नहीं समझता कि हम जो कोआपरेटिव बेसिस समाज में लाना चाहते हैं, वह किस प्रकार से परिवारों में घुस गया है । लेकिन कई परिवारों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं । अब मैं आपको बताऊं कि वेअर हाउसेज खोलने के लिये जो लाइसेंस दिये जायेंगे वह लाइसेंस देने में उन लोंगो को प्रिफरेंस दिया जायेगा जो कि कोआपरेटिव सोसाइटीज खोले हुए हैं, तो ऐसे ही सोसाइटी वालों को लाइसेंस दे दिया जायेगा । आप अन्दाजा लगाइये कि ऐसे वेअर हाउसेज की कीमत कैसे होगी जो कि इस तरह कोआपरेटिव बेसिस पर बनेंगे । मैं कृषि मंत्री से माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि सरकारी स्तर पर जो वेअर हाउसेज के निर्माण करने की योजना है, उसी को हम प्रोत्साहन दें । कोआपरेटिव सोसाइटीज के आधार पर अगर यह व्यवस्था की तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि हम जिन काश्तकारों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनको नुकसान होगा । यह सारा का सारा अनुभव का प्रश्न है । आगे वर्ष या डेढ़ वर्ष के बाद में यह वेअरहाउसेज बनेंगे तो इनका हम सभी को अनुभव होगा । तब हम बता सकेंगे कि कोआपरेटिव बेसिस पर आपने जितने भी वेअर हाउसेज बनाये थे, उनकी क्या कीमत हो रही है और यदि इन्डीविजुअल्स को इस प्रकार के लाईसेंस दिए तो हमें काफी सतर्कता बरतनी पड़ेगी । कहीं ऐसा न हो कि काश्तकारों का धन एकदम ब्लाक हो जाये और जो वह ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वह उनको नहीं मिले । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह निवेदन करूंगा और उनकी भावना को एप्रीशियेट करते हुए निवेदन करूंगा कि वेअर हाउसेज की आज बहुत आवश्यकता है । फिर बैंक कमीशन की भी तो रिपोर्ट में ऐसा उद्धरण है । आज जो क्रैडिटिंग की अवस्था है, यदि इस प्रकार के वेअरहाउसेज बन गये तो वह दुगनी और तिगुणी बढ़ जायेगी । आज की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं कि वेअरहाउसेज का निर्माण हो, लेकिन एक इनफेन्सी के लिये एक अच्छी व्यवस्था लानी पड़ेगी । नई चीज के एस्टेब्लिस करने में जो कमियां रहेंगी वह दूर करनी होंगी। क्रैडिटिंग की आज आवश्यकता है । हमने मनी लेन्डर्स एक्ट पास किया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज तो प्राईवेट एजेन्सीज के द्वारा पैसा मिलता था वह नहीं मिलता है··

श्री श्रीभानसिंह : We have not passed yet the Money-lender's Act, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मुझे ऐसा ध्यान था कि जिन दिनों पिछले सेशन में मैं अनुपस्थित था, यह बिल पास कर दिया होगा ।

एक माननीय सदस्य : सदन में तो आया था ।

श्री भैरोंसिंह : सदन में आया था और सिलेक्ट कमेटी को दिया गया था ।

Page No.35

श्री अध्यक्ष : The Rajastnan Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1957.

श्री भैरोंसिंह : मनीलेंडर्स बिल भी था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह लैप्स हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : खैर , मुझे उस वादविवाद में नहीं जाना है । मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि आज कल जितने भी लेजिस्लेशन इस क्रेडिटिंग के संबंध में आ रहे हैं वह इसलिये आ रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकारों का शोषण बंद हो । हम ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि प्राईवेट एजेन्सीज द्वारा जो मनी लेन्डिग होता है वह अब नहीं होगा और काश्तकारों का शोषण अब नहीं रहेगा । एक इस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर आज जितनी प्राईवेट एजेन्सीज उधार देने की व्यवस्था करती थी, वह अवरुद्ध होने जा रही है । हमारी राज्य सरकार ने कई इस प्रकार के कोआपरेटिव बेसिस के ऊपर बैंकों का निर्माण किया है और लैन्ड मोर्टगेज बेंक का भी निर्माण किया है । आज परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि क्रैडिटिंग के संबंध में जल्दी कदम उठाने चाहिए । लेकिन हमारे सामने कई मूलभूत बातें होते हुए भी कमियां आती हैं और उनको दूर करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का संकेत अभी किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था मेरे पास भी इस बिल के विपरीत कई इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं और उन्होंने मांग की है कि यदि वेअर हाउसेज जो सरकार बनाने जा रही है उनका निर्माण हो गया तो जो आड़तिये होते हैं उनका क्या होगा ? मैं यह मानता हूं कि इन वेअर हाउसेज का निर्माण होने के बाद जो आड़तिये ज्यादा मुनाफा कमाते थे, अब उनके लिये गुंजाइश नहीं होगी । उनके सामने कम्पीटीशन आ जायेगा । कोई व्यक्ति चाहेगा तो उसमें अपना सामान रखेगा और यदि उसको रिसीट या रिटर्न का विश्वास होगा तो वेअर हाउसेज में सामान रखेगा । हमें इन वेअर हाउसेज को आड़तियों के कम्पेरिजन में चालू करना है । यह बिल जिस दिन इस विधान सभा में पेश हुआ है और जिस दिन आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस दिन तक ये आड़तिये इसमें अडचनें पैदा करने की कोशिश करेंगे । उनके कम्पेरिजन में हम लोगो को आने के लिये काफी सतर्कता बरतनी होगी । ये आड़तिये यह कोशिश करेंगे कि जितनी भी गलत फहमी इस बिल के बारे में फैलाई जाये अच्छा है । तो ऐसी स्थिति में यह भी हमें करना पड़ेगा कि या तो इन आड़तियों को वेअर हाउसेज में प्रोवाइड करना होगा, तौल के काम में या और किसी काम में इनको रखना होगा। इससे एक बड़ा फायदा हमारा होगा और वह यह कि हमारी बेकारी की समस्या भी दूर हो जायेगी और बेकारी की समस्या का भी हल निकल सकेगा और फिर वह लोग एक्सपीरियेन्स्ड होंगे और जब इन वेअर हाउसेज में काम करने लगेंगे तो हमें लाभ होगा । लाइसेंस देने की प्रणाली, लाइसेंस रिजेक्ट करने की प्रणाली, वेयर हाउसेज के निर्माण करने का, सरकार किस सूरत में एक्जेम्प्ट कर सकती है, इसको और इसके अलावा जो सब से मोटा अधिकार वेअर हाउसेज के अधिकारियों को दिया है कि वह रीजनेबल टाइम का नोटिस देकर किसी व्यक्ति को कह सकता है कि अपना सामान उठाओ । अगर वह सामान नहीं उठायेगा तो एट दी कोस्ट एण्ड रिस्क ऑफ दो डिपोजीटर उस सारी चीज को नीलाम कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कानून आज तक बना नहीं था, लेकिन माननीय कृषि मन्त्री अगर इस प्रकार का कानून लाते हैं, तो उसका मजबूरी से स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता को देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम जिन डिपोजिटर्स के ऊपर संदेह का वातावरण बनाते हैं तो और उस डिपोजिटर को इस प्रकार का अधिकार दें कि रीजनेबल नोटिस दें। तो रीजनेबल नोटिस क्या होगा इसका कोई वाकया नहीं है रीजनेबल नोटिस दो दिन का भी हो सकता है। दो दिन का ही नहीं हो सकता है । मेरा मकान टूटने वाला है कोई भी कह सकता है कि मेरे वेअर हाउस की हालत अच्छी नहीं है और बरसात आने वाली है। अगर दो दिन में माल को नहीं हटाया तो माल खराब हो जायगा और उस

(श्री भैंरोंसिंह)

खराबी से बचाने के लिये उस माल को नीलाम करना होगा। वेअर हाउसेज के संबंध में जब तक सख्त नियम नहीं बनाये जायेंगे, तो इस प्रकार की चीज बनेगी कि एक आदमी बरसात का बहाना लेकर वह माल को नीलाम कर सकता है। वह कह सकता है कि बरसात की संभावना थी और मकान मेरा चूता था जिसके कारण अनाज के खराब होने का संदेह था, तो मैं समझता था कि दो दिन का नोटिस रीजनेबल है। एक तरफ दो दिन का नोटिस है और दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि कोई अपना माल रख कर कलकत्ता या बम्बई चला गया तो उस पर उस दो दिन के नोटिस की तामील नहीं हो सकती है या १०-१२ दिन का नोटिस दे दिया और कह दिया कि रीजनेबल पीरियड का नोटिस दे दिया। नोटिस दे दिया के और माल नहीं उठाते हैं तो वह धारा है, कि ऑक्सन करो। तो यहां, अध्यक्ष महोदय, वेअर हाउस को गाइड करना पड़ेगा, यहां वेअर हाउस को सलाह देनी पड़ेगी, उन पर डाइरेक्ट सुपरवीजन रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में केवल वेअर हाउस का मालिक अपनी स्वेच्छा से माल को नीलाम नहीं कर सकता है, बल्कि अच्छा तो यह है कि जिस काश्तकार को नोटिस दिया है, जिस डिपाजिटर को नोटिस दिया है कि तुम्हारा माल अमुक समय से पहले उठा लिया जाय अगर माल नहीं उठाया जायगा तो माल को नीलाम किया जा सकता है। आज कल कई लोकल बोडीज बनी हुई हैं, पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें भी हो सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज भी हो सकती हैं, उनको नोटिस नहीं दें तो जहां नीलाम करने का प्रश्न आता है तो कम से कम सरकार को, या तहसील को कम से कम नोटिस देना पड़ेगा या नोटिस की सूचना देनी पड़ेगी कि अमुक के माल को हम नीलाम करने वाले हैं उसकी तामील करा दो। उसके बावजूद भी अगर वह नहीं आता है, तो मजबूर होकर उसको नीलाम कर दिया जाय। लेकिन वेअर हाउस के मालिक को अधिकार नहीं दिया जाय कि रीजनेबल टाइम का नोटिस देकर माल को नीलाम करदे। सरकार को इस पर अपना सुपरवीजन रखना पड़ेगा। उनके साथ में स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तो जो मैंने संदेह प्रकट किया है वह बात यहां पर हमारे सामने आयेगी कि थोड़े से नोटिस के अन्दर कि वेअर हाउस के मालिक ने इस तरह से माल फरोख्त कर दिया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जल्दी यह बिल बने और जल्दी प्रभाव में आये। और माननीय मन्त्री महोदय को यह संदेह हो कि हमारी ओर से डिलेइंग टेकटिक्स अपनाई जा रही हैं, तो मैं उनको उन माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है की ओर से विश्वास दिला सकता हूं कि वह इस बात को मन्जूर कर लेंगे कि इस बिल को कमेटी में भेज दिया जाय और वह ५ या ६ दिन में इस पर विचार करके वापिस हाउस में भेज दे और जिस समय सदन स्थगित हो दूसरे सेशन के लिये उसके पहले पहले अपनी रिपोर्ट ले ले और रिपोर्ट लेने के बाद में यदि आवश्यकता समझें तो इस सम्बन्ध में सदन में विचार करलें और पारित करलें। सिर्फ यह जिद लेकर कि मैंने यह बिल पेश कर दिया वह उचित है और किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, सदन को इसको पास करना चाहिये, तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों के प्रति वेअर हाउसेज के प्रति, उन डिपाजिट करने वालों के प्रति और इस सदन के प्रति एक प्रकार का अन्याय होगा। ऐसी स्थिति म फिर माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव आया है, उसको स्वीकार करलें। यदि नहीं करते हैं, तो सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के अहमियत के मामले को जल्दी से पारित नहीं होने दें और प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से इस पर काफी बहस हो चुकी है और भी कई स्टेज हैं बहस के।

श्री भैरोंसिंह : वह यह मन्जूर करलें तो बहस ही खतम हो जाय।

श्री मदनसिंह : मुझे भी दो चार शब्द कहने हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार से सदन में बहस को खत्म करदें और बिल को पास कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं ह।

(विराम)

आप विचार करलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सिलेक्ट कमेटी की लिस्ट आप (श्री नाथूराम मिर्धा) बनाकर दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप यह कहें कि हम डबल टाइम पर काम नहीं कर सकते हैं और कोरम पूरा नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : आप ऐसे मेम्बर्स को रखें जो कोरम में इन्ट्रेस्टेड हों। उनको न रखें कि इस बात का खतरा हो।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिन्होंने खास अच्छी तरह से इसमें वाद-विवाद किया है, इसकी अहमियत को लेकर उन्हें कोरम में लेकर जल्दी से जल्दी कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा होगा।

(प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव बाद में लिया गया)।

राजस्थान वन संशोधन) विधेयक १९५८

(विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : We now go to the Forest Amendment Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट एमेन्डमेन्ट बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स दिये हैं उसके अन्दर इस प्रकार से दिया गया है :—

"The Rajasthan Forest Act, has been modelled on the Indian Forest Act, 1927 of the Central Legislature. When the latter Act was framed, the price of a tree standing in any forest was considerably less than Rs. 50/- and so the compensation of Rs. 50/-.

तो मैं यह समझता हूं कि जब यह बिल १९५३ में पास हुआ था, तो यह कहा गया था कि ५० रु० एक पेड़ की कीमत है और आज पेडों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। इस नाते इस विधेयक के द्वारा फोरेस्ट बिल में इस प्रकार का संशोधन पेनाल्टी क्लॉज के बारे में लाया गया है। जब इस प्रकार का फोरेस्ट बिल सदन के सामने लाते हैं तो फोरेस्ट विभाग की दूसरी बातों पर भी प्रकाश डालना पड़ता है जैसे, कि एक तरफ पेडों की चूंकि कीमत ज्यादा बढ़ गई है, तो पेनल्टी वसूल करने का जहां प्रश्न आया कि पहले जहां ५००) रु० की पेनल्टी थी वहां सरकार ने उसको २०००) रु० कर दिया है। तो इस तरह से सरकार यह कहती है कि कम से कम १० टाईम्स कीमतें बढ़ी हैं, तो क्या सदन यह नहीं जान सकता कि सरकार जहां पर इस प्रकार से जंगलात के ठेके देती है, वहां पर जो सन् ५३ में कीमतें थीं उन कीमतों से १० गुना वह ठेके की रकम होनी चाहिए या नहीं? तो इस नाते मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पानरवा के जंगल का जो ठेका दिया गया है वह किस कीमत पर दिया गया है? . . . .

श्री अध्यक्ष : पानरवा के मामले से इस बात का संबंध नहीं है। हरेक मामले को इसमें लाने की कोशिश न करें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं यह उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से मन्त्री महोदय ने अपने उद्देश्यों में यह लिखा है कि हम अनुभव करते हैं कि पेड़ों की कीमतें जो हैं, वह १० गुणा बढ़ गई हैं। जब कीमतें हमारी बढ़ रही हैं और फोरेस्ट बिल पर विचार कर रहे हैं, तो क्या यह न्यायसंगत नहीं होगा कि सरकार जंगलों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है? क्या वास्तव में यह बिल जरूरी है कि या नहीं? केवल एक जगह पेनल्टी इम्पोज करने के लिये १० गुना कीमत अधिक मान लें और जब ठेका देने की बात आती है, तो १० गुनी कीमत क्यों नहीं मिलती है? यह कहां तक न्यायसंगत है कि ५४ के अन्दर जब ठेका दिया गया है, उस समय १८ हजार रुपये में दिया गया वह सन् ५७ में रिन्यू किया जाता है और वह १८ हजार रुपये में रिन्यू कर दिया जाता है तो क्या जो उसकी कीमत थी उससे १० गुनी कीमत बढा कर वह दिया गया है? वह कीमत बढ़ी है और बाकी के जो ठेकेदार लोग थे उन्होंने अनुभव किया है कि वास्तव में कीमतें बढ़ी हैं और डेढ लाख में वह लेने को तैयार थे। डेढ़ लाख रुपया आफर किया है तो सरकार एक तरफ तो बिल लाती है तो सरकार को अपने दामन को साफ करके आना चाहिए। वहां सरकार ने इस चीज को अनुभव किया या नहीं कि जंगलात की कीमतें बढी हैं या नहीं? जब सरकार यह अनुभव करती है कि जंगलात की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सरकार जो ठेके दे रही हैं उसमें सरकार को बढी हुई कीमत नहीं मिले। लेकिन जहां जनता से वसूल करने का सवाल है कि किसी ने एक पेड़ को काट लिया या आग लेकर जंगल में चला गया या और आग को वहां पर छोड़ दिया, इस प्रकार का आफेन्स हो वहां सरकार को जहां कीमत वसूल करने का सवाल आता है, वहां पर ५०० के बजाय २ हजार की कीमत करदी, लेकिन जहां ठेकेदार से कीमत वसूल करने का सवाल आता है वहां १८ हजार के बजाय १ लाख ८० हजार रुपये की कीमत करदे तो हम मानते हैं कि वास्तव में सरकार को इस प्रकार की शिकायत अनुभव हो रही है।

और यदि सरकार को इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव हुई है, तो फिर सरकार इस सम्पूर्ण बिल पर पुनः विचार करे। किस प्रकार कीमत बढी है, किस प्रकार सरकार को लीज देना चाहिये और कितना देना चाहिये इस प्रकार सम्पूर्णरूप से इस पर विचार करना चाहिये और विचार करने का अवसर आया है। दूसरे रूप में प्रसंग सामने आता है, सदन के सामने प्रसंग आता है, उस पर भी विचार करना चाहिये। मैं यह बात नहीं कहता कि प्रवर समिति के पास जाने से क्या निर्णय होगा? यदि निर्णय के बारे में ही कहना है तो यह देखना पड़ेगा कि जब ठेके पर देने का सवाल आता है तो इसकी इतनी कीमत बढ़नी चाहिये या नहीं?

१ म. प.

दूसरा प्रसंग आता है कि जो लोग वास्तव में जंगलों में रहते हैं, जो बाउन्डरी जंगलात की है उसमें रहने वाले आदिवासी या बनवासी लोग हैं उनको जो कठिनाइयां हो रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। वास्तव में उनकी सीमा पहाड़ और जंगलों में होनी चाहिये थी। फोरेस्ट का डिमारकेशन हुआ उस समय उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। आज उन पर अधिक पेनल्टी इम्पोज की जारही है इसके लिये इस बिल में प्रावधान है कि यदि ऐसे किसी आदमी को फोरेस्ट के अधिकारियों ने अपराध करते हुए पाया, तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास करे। अब इस बिल में प्रावधान किया है कि पहले मजिस्ट्रेट के पास उसको नहीं ले जावे और अपने ऑफिसर के पास लेजावे और वह चाहे तो उस पर पेनल्टी इम्पोज करे और नहीं तो उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है। इस प्रकार के कई उदाहरण मिले हैं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनको तंग किया जाता है। छोटे छोटे गार्ड्स और रेन्जर्स हैं, वे उनसे रकम ले लेते हैं और फिर सीनियर ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है। यदि मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के प्रोविजन के अन्तर्गत कुछ नहीं ले

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

पाते तो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो प्रोविजन रखा है, उसके अनुसार डिपार्टमेन्टल कार्यवाही होगी, उससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। इस प्रकार सारे फोरेस्ट के बारे में जो नीति है, पेनल्टी इम्पोज करने का प्रश्न है और जैसा कि सदन में आरोप लगाया गया है कि मनमाने ढंग से ठेका देते हैं इन सारी बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता है।

श्री हीराभाई : यह बिल जो पेश हुआ है.....

श्री नाथूराम मिर्धा : There is no motion regarding Select Committee.

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन पेश होने के बाद उनका होता है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा है कि पहले जंगल की कीमत थी वह कम थी और अब दस गुनी बढ़ गई है, इसलिये इसमें सरकार का मुआवजा भी बढ़ा दिया है और अपराध करने वालों की सजा भी बढ़ा दी है। मैं यह नहीं समझ सका कि अपराध पहले भी करते थे, वे भी मुलजिम थे और अपराध अब जो करते हैं, वे भी मुलजिम हैं। इसको देखते हुए यह मालूम होता है कि पहले जो ५०० रुपये की बात थी उसके बजाय अब दो हजार तक के जुरमाने की सजा दी जायेगी। यह हो गया कि जहां ५० रु. मूल में कीमत थी उसके ५०० रु. तक बढ़ गये। इतनी वृद्धि करदी गई तो इसका कारण क्या है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। पहले जैसा जंगल था वैसा ही अब है और डिपार्टमेन्टल पहले जैसा था वैसा ही अब है। दूसरे कतल के मामले में सजा नहीं बढ़ाई गई, दंड नहीं बढ़ाया गया, जो शुरू से चला आ रहा है, उसी के मताबिक अब भी चला आ रहा है, तो जंगल के मामले में कीमत गरीबों के लिये क्यों बढ़ाई जाती है। गरीबों के लिये तो बढ़ादी जाती है और अमीरों के लिये जैसा है वैसा ही है। ऐसी स्थिति में जो बिल लाया गया है, उसको प्रवर समिति में भेजा जावे और उस पर वहां विचार किया जावे, नहीं तो यह गरीबों का गला काटने वाला है। नहीं तो संबंधित अधिकारियों के पास रिपोर्ट की जायेगी और जांच करेंगे। यदि उनकी जेब गर्म नहीं होएगी तो चालान अदालत में पेश होगा ऐसी हालत में उन गरीबों को १००-५० रुपये वकीलों को देने पड़ेंगे, जेवर और जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके लिये इस तरह की बात होगी और जिनके पास पैसा है वे जेब भर कर फैसला करा सकते हैं, तो यहां पर भी पैसों का सवाल आ गया। सौदेबाजी की बात बढ़ गई। भ्रष्टाचार की सौदेबाजी बढ़नी चाहिये थी। सोच समझ कर ऐसा बिल पेश करना चाहिये था। यह तो गरीबों के लिये विश्वासघात कर दिया और अमीर पकड़ में आवेंगे नहीं, ५ रुपये एक जेब से दूसरी जेब में रख देंगे और केस नहीं बनेगा। जिनके पास में पैसा नहीं है उन पर केस बनता है सरकार की तरफ से तो पैरवी होगी और जो लोग अनपढ़ हैं और जिनको बोलना आवे नहीं उनको वकील करना पड़ेगा, जानवर गिरवी रखने पड़ेंगे ऐसी स्थिति में गरीबों पर इसको लागू नहीं करना चाहिये। सोच विचार करके रखना चाहिये था। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक जगह एक गरीब आदमी ने एक जंगल में से लकड़ी काटी थी तब उसका पीछा करते हुए रेन्जर साहब उसके घर पर आये फिर घड़ा भर दूध, ढाई सेर घी और १०० भुट्टे वहां से गये और उसने फिर २५ रुपये रिश्वत में मांगे और कहा कि तुमने लकड़ी काटी है, इसलिये तुम २५ रुपये दे दो। उसने कहा कि मैंने लकड़ी नहीं काटी और उसने २५ रुपये नहीं दिये। जब उसने रुपये नहीं दिये तो उससे रिश्वत मांगने के रूपये चढ़ते गये और आखिर में उससे ९० रू. मांगे गये। तब उस आदमी ने उस रेन्जर की शिकायत करदी। डी. एफ. ओ. साहब के पास तीन चार गवाह लेकर गये उसके साथ मैं भी था। ५० माइल चल कर तीन चार गवाह लेकर डी. एफ. ओ. साहब के पास गये, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं ली। मुझे उन्होंने कहा कि एम. एल. ए. साहब इन

(श्री हीराभाई)

छोटी बातों में क्यों पड़ते हो, आपस में समझा दो। मैंने कहा झंझट में मैं भी नहीं पड़ना चाहता, समझते हों तो समझा दो। तीन बार रूपया खर्च करके हम बांस वाडा गये गवाह लेकर के, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं ली दो तीन आदमी हमारी पार्टी के गये। केशवचन्द्र को बुलाकर कहा कि राजीनामा करवादो। उसन कहा मैं कैसे कह सकता हूं, आपस में समझ लो। ऐसा कहकर वापिस भेज दिया। उसी वक्त वापिस गया और राजीनामा करने से इन्कार कर दिया। फिर बिना जाने, बिना नोटिस दिये ३७९ का केस बनाकर पुलिस को दे दिया।

पुलिस वालों ने कहा कि ३७९ के अन्दर यह मामला पुलिस वाले ले सकते हैं, क्योंकि केस झूठा है। पुलिस वालों को गवाही लेनी चाहिए लेकिन गवाही नहीं ली। और उसको कमरे में रोक लिया। मैं वहां से होकर निकल रहा था, मैंने कहा इन्सपैक्टर साहब, जमानत लेते हो, तो इसे छोड़ दीजिये और जमानत ले लीजिये। उन्होंने उत्तर दिया, भाई, ऐसे ही ले जाओ। मैंने कहा ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार के कानून में दखल नहीं दे सकता, इसलिये जमानत ले ली। उसने कहा कि केस नहीं बना है, रेन्जर ने भेजा है, इसलिये अब समाप्त हो जायगा, अब तंग होना बन्द हो जायगा। इस तरह पांच गाड़ी लकड़ी की छोड़ दी और जो राजीनामा लिखवाया उसमें १५ रुपया खर्च हो गया और इधर उधर भटका। उसके बाद स्थिति यह होती है कि आखिर पांच गाड़ी लकड़ी से नुकसान किसका हुआ, सरकार का नुकसान हुआ। पांच गाड़ी लकड़ी पर, एक गाडी के लिए २५ रुपया होता है, तो कितना रुपया हो सकता है, १२५ रुपया हो सकता है, उसका रेन्जर ने बाट कर लिया, लेकिन नुकसान हमारा हुआ। ऐसी स्थिति में जो जंगलात कर्मचारी हैं, उनके लिए इस प्रकार की कार्यवाही करे कि जहां जंगलात के कर्मचारियों को भेजें, वे वहां जंगलात की रक्षा करें। उन जंगलात कर्मचारियों के ऊपर जंगलात आफिसर होते हैं और उनके ऊपर मिनिस्टर होते हैं, वे अपनी नींद निकालते हैं (हंसी) हम कहते हैं कि रतलाम होकर आये हो, उधर होकर आये हो, देखा नहीं होगा, ऐसी वैसी बात करके हमको दूर कर देते हैं, टाल देते हैं। मैं कहता हूं कि यह टालने की बात नहीं है। अभी जैसे गंगानगर रेल लेकर गये थे, उसी तरह मोटर लेकर वहां जाओ और देखो कि जंगल की क्या हालत है। जंगलात आफिसर वहां के लोगों का क्या तमाशा कर रहे हैं। इस तरह से तमाशा हो रहा है कि लोगों को भ्रष्टाचार के रिश्वत खोरी के अन्दर फंसाया जा रहा है और उनसे तीन गुना मुआवजा ले रहे हैं, आमदनी बढाने के लिए किया है, तो फिर सजा और दन्ड क्यों बढादी है। ऐसी स्थिति में जो कानून सरकार लाये, उसको हम मन्जूर कर लें। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव है इसलिये इस बिल को मन्जूर न किया जाये और सलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर काफी विचार करे और विचार करने के बाद मंजूर होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो हर तरह से लोगों को मुश्किलात होने वाली है और इस बिल से और ज्यादा होने वाली है। इतना ही मुझे कहना है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीकर से आने वाले सदस्य ने इस अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एण्ड रीजन्स में बताया है कि सेकिंड वर्ल्ड वार की वजह से दरख्तों की कीमत बढ गई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि सेकिंड वर्ल्ड वार १० वर्ष पहले हुई और फोरेस्ट कानून १९५४ में बना और अब सरकार की आंख खुली है कि पहले से १० गुनी, २० गुनी कीमत बढ़ गई है, यह ठीक नहीं है। इसके साथ ही हम महसूस करें कि इस एरिया के अन्दर, जंगल में रहने वाला जो काश्तकार है, जो जंगलों से फायदा उठाता है, उसकी मुश्किलात कितनी बढ़ गई है। जिस तरह दरख्तों की आमदनी १० ज्यादा बढ़ गई है, मैं समझता हूं अगर माननीय

(राव राजा श्री सरदारसिंह)

मन्त्री जी ऐसे जंगलात का मुलाहिजा करें, तो उन्हें मालूम होगा कि १०० गुनी उनकी मुश्किलात बढ गई हैं। पहले आपको उन मुश्किलात को दूर करने का प्रयत्न करने का प्रावीजन रखना चाहिये था, फिर उसके बाद १० गुने के बजाय २० गुनी कीमत लेते, तो कोई हर्जा नहीं था, उसे लोग अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने इसमें लिखा ह कि टिम्बर क कीमत आज बढी है। लेकिन टिम्बर कहां कहां होता है, वह खास खास जगह ही होता है। टिम्बर राजस्थान में हर जगह नहीं है। आपने इसमें टिम्बर को डिफाइन नहीं किया, आपने इसमें प्लेसेज को डिफाइन नहीं किया। टिम्बर की आड़ में लोगों का शिकार करेंगे और लोग बागों की जेब गर्म होगी। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज भी जंगलों में यह हाल हो रहा है कि जो भी व्यक्ति लकड़ी काटेगा, उससे ५० रुपये की जगह हजार रुपया जुर्माना ले लिया जायगा। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तक तो आपने डिमार्केशन का कहीं निश्चय नहीं किया ह, यह फसला नहीं किया है कि यह खेती की जमीन है। आज दिन तक डिमार्केशन हो रहा है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि मेरे उनियारा तहसील आमली एक गांव है, उसके पास टोंक नवाब साहब की जगह है, गलवानिया बन रहा है, वहां जो जंगलात की जमीन है वह नहीं आई और जो जमीन काश्तकारों के पास है, वह आई है और डिमार्केशन हो गया। तहसीलदार और कलेक्टर ने जो एरिया जंगलात का नहीं था, तहसील का एरिया था, वह जमीन लिख दी। उस पर तीन साल कब्जा करके छोड़ दिया। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जब तक आपके फोरेस्ट आफिसर, सेटलमेंट आफिसर सब जगह डिमार्केशन का निर्णय न कर लें, यह मालूम न हो जाय कि यह जमीन जंगलात की है, यह निर्णय नहीं हो जाय कि टिम्बर अधिकतर बांसवाड़े में होता है, उदयपुर में होता है, उसके बाद विचार हो तो ठीक है। आपने सिर्फ लिख दिया कि लकड़ी की २५ गुनी कीमत बढ़ गई है, उसको देखते हुए आप काश्तकारों से, गरीब काश्तकारों से ज्यादा जुर्माना वसूल करेंगे। इसमें सरकार को तो आमदनी हो जायगी, लेकिन उनको आमदनी का क्या विचार होगा। इसके साथ ही जंगलों में नाकेदार रहते हैं, इस तरह के कानून से नाकेदारों को छूट मिल जायगी। गांव वाले नाकेदार को नजराना देना शुरू कर देंगे। नाकेदार कहेंगे कि फलों जगह ज्यादा आमदनी होती है, इसलिये वहां का नाकेदार बनाया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह सेकिंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह दरख्तों की आमदनी बढी है, उसी तरह इस एरिया के अन्दर रहने वाले काश्तकारों की मुश्किलात बढी हैं। पहले उन मुश्किलात को हल करिये, उसके बाद जाकर आप इस बिल को पास करिये : आप अपनी आमदनी बढा रहे हैं और काश्तकारों की मुश्किलात को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, यह कहां तक न्यायसंगत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ५००) रुपया जुर्माना था उसको बढा कर २ हजार रुपया जुर्माना किया गया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां टिम्बर पैदा होती है, वहां दो हजार, तीन हजार जुर्माना करें, लेकिन यह देखिये कि जहां टिम्बर नहीं होती है ऐसे एरिया के अन्दर से पेड़ काट लिया है, वहां क्या होगा? आज यह हालत हो रही है कि कहीं भी आपका आर्गनाइजेशन नहीं हुआ है। जंगलात के लिये चालीस मील की दूरी पर नाकेदार है और दो सिपाही हैं और कहीं यह हो रहा है कि छः मील के अन्दर चार नाकेदार होते हैं। चालीस, पचास मील पर नाकेदार जायगा, वहां जाकर देखेगा, बांसवाडे और गिट्टी की तरफ जाकर देखेगा कि झौंपड़िया टिम्बर की है, घर बनाते हैं जो बाड़ा बनाते हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उनके लिये कहेगा कि पेड़ काटे हैं और क्योंकि पहले से टिम्बर की कीमत बढ गई है, इसलिये दो हजार रुपया लाओ। जब तक उनकी मुश्किलात दूर नहीं कर देंगे, यह कैसे हो सकता है। यह जब ही हो सकता है, जब आप उनके लिये कुछ करें। आपने वेयर हाउसेज का संशोधन बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया·····

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

.................यां ही क्यों, मैं सही अर्ज करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इस बिल को भी आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये, बल्कि मैं कहता हूं कि वह बिल तो सिर्फ धनाढ्यों से ताल्लुक रखता है, लेकिन यह बिल हर एक आदमी की जरूरतों से ताल्लुक रखता है। काश्तकारों का बगैर लकड़ी के काम नहीं चलता है, खेत में लकडी से काम चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बाड़ा आदि बनाते हैं, उसमें लकड़ी काम आती है। मैं कहता हूं कि अगर आप इसको जल्दी से पास कर देंगे, तो बहुत बड़ा आन्दोलन हो जायगा। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही अर्ज कर देता हूं।

श्री मदनसिंह: उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूराम मिर्धा: उपाध्यक्ष महोदय

श्री तनसिंह: आप कहां से तैयार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ.): उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द मुझे भी निवेदन करने थे। अगर मंत्री महोदय इस बिल को सलेक्ट कमेटी में रखने के लिये तैयार हो रहे हैं, तब तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मुझे दो शब्द इसके पक्ष में निवेदन करने हैं कि ऐसा अमेंडमेंट, जो फोरेस्ट कानून में है, उसे सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि फोरेस्ट का आज ज्यादातर सम्बन्ध हो गया है, वह बड़े बड़े ठेकेदारों से इसका सम्बन्ध कम है और गरीब लोगों से इसका सम्बन्ध ज्यादा है। इसलिये इसमें जो सजा का प्रावधान है, इस पर विचार करना है। इसमें सजा बहुत कड़ी है। कोई भी व्यक्ति चलते रास्ते एक लकड़ी तोड़ सकता है, अगर उसे फंसाना चाहे, तो उसे फंसा सकता है, इसलिये इस पर भी सोचना चाहिये। यह सही बात है कि अगर कोई जंगल के अन्दर जाकर कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही करता है कोई ठेकेदार इस प्रकार की कार्यवाही करता है, तो उसे सजा होती, यह ठीक बात है, लेकिन जो गरीब लोग जंगलों में बसे हुए हैं, उनकी जरूरत की रात दिन की जो चीजें हैं, उनके लिये काफी मुश्किल हो जायेगी। वह किस तरह जाकर इस कानून का किस ढंग से जवाब दे सकेगा और वह सजा से किस तरह बच सकेगा। पहले भी कई बार फोरेस्ट के सम्बन्ध में सवाल आये तो फोरेस्ट मंत्री से निवेदन किया था कि फोरेस्ट का नया एरिया छांटा है, उसमें गरीबों की झौंपडियां तक फोरेस्ट में आगई है और यह निश्चित है कि उनके घर फोरेस्ट में हैं, वे बाहर निकलते हैं तो फोरेस्ट है, अन्दर बैठते हैं, तो फोरेस्ट है, तो वह लकड़ी काट सकता है। मैं नहीं कहता कि सजा नहीं होनी चाहिये, सजा रखिये, मैं तो कहता हूं सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिये पर यह पैसे की सजा नहीं होनी चाहिये, गरीब आदमी पैसा कहां से लाये, पैसे की बजाय जेल की सजा रखदें। इन सब बातों पर विचार सलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से हो सकता है, इसलिये मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट आते हैं और आने चाहिये पर जो गरीबों से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं, उन पर विचार होना चाहिये। पूंजीपतियों के लिये बड़े बड़े रईसों के लिये अमेंडमेंट आता है, तो वह सलेक्ट कमेटी में जायगा, उस पर हजार तरह के विचार होंगे, हजारों लोगों से परामर्श होगा पर जब गरीबों से सम्बन्ध रखने वाली कोई बात आती है, तो खट से निकल आती है, इससे गरीबों को बड़ी मुश्किल होती है, अभी मेरे पहले माननीय सदस्य ने बताया, जिन्होंने वाकइ में जंगल में जिन्दगी बिताई है मैं तो टीबों में रहने वाला हूं, फोरेस्ट में रहने वाले लोग ज्यादा गरीब गरीबों के लिये कोई विचार नहीं हो यह बडे अन्याय की बात होगी। जो शिक्षित लोग हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाली बात आती है, तो उस पर विचार किया जाता है, जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग रईस हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाली बात आती है, तो उस पर विचार किया जाता है, आज सीलिंग को पटका जा रहा है, इधर से उधर, सीलिंग की रिपोर्ट आ गई है, फिर भी सीलिंग को नहीं लाया जा रहा है, जमींदारी और भी पड़ी हुई है, उसको नहीं लिया जा रहा है, पर गरीबों के

(श्री मदनसिंह)
लिये कानून उसे इस तरह ला कर काढना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। यह गरीबों से सम्बन्धित कानून है, जिनके घर जंगलों के बीच में है वे लकडियां तो काटेंगे ही और इस तरह आपके अधिकारी और कुछ कार्यवाही भी कर सकते हैं, माफ करना, वे अधिकार वहीं के लोगों के हाथ में होंगे और इससे भ्रष्टाचार बढेगा। हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की ऐसी आदत पड़ गई है कि वह ऐसी नई चीजें लायेगी जिनसे भ्रष्टाचार बढे और फिर वह कहती है कि विरोधी दल की तो नीति ही ऐसी है कि हर बात का विरोध करता है। गरीब आदमी को तंग करते हैं, तो वह कानून से अपना बचाव करने के लिये अपने बैल और गाडी बगैरह बेचेगा और इस तरह वह बर्बाद हो जायगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये। वैसे मैं सुन रहा था मन्त्री महोदय बातें कर रहे थे कि यह सेलेक्ट कमेटी में आ जायगा। अगर यह सिलेक्ट कमेटी में आ जाता है तो इस पर वहां अच्छी तरह से बात चीत हो सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अभी फोरेस्ट एक्ट के अमेन्डमेन्ट का बिल हमारे पास आया है, उसको लेकर हमारे माननीय मित्रों ने एक भ्रष्टाचार की शंका प्रकट की है और ऐसा मालूम होता है कि माननीय मित्रों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो रहा है.....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): माइक से थोडा मुंह दूर रखें, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर: शास्त्रों का कथन है कि किसी भी चीज का बराबर नाम जपन करने से.....

रावराजा श्री सरदार सिंह: (नियम) शास्त्रों की बात चल रही है या जंगल की बात हो रही है?

श्री जनार्दनराय नागर: मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह: सॉरी।

श्री जनार्दन राय नागर: हमारे शास्त्रों में निश्चित रूप से प्रमाण है, ऋषि मुनियों द्वारा दिये हुए कि एक नाम का बार बार जप करने से उसके गुण नाम का जाप करने वाले में आ जाते हैं।

इतना कहने के बाद कहूंगा कि यह जो जंगलात का कानून बना हुआ है, उसमें दो तीन बातों को लेकर सरकार संशोधन करना चाहती है, इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तो यह प्रवर समिति के महत्व को नजरअन्दाज नहीं कर रहे हैं। यदि सारा फोरेस्ट का बिल होता तो ऐसे बिल को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये था, पर दो चार बातों को लेकर हुकूमत संशोधन करना चाहती है, उसे प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं, तो हम स्वयं ऐसी बात करते हैं जिससे प्रवर समिति का महत्व नजरअन्दाज होता है। कोई विशाल नीति के, व्यापक नीति के विचार करने की बात हो वहां प्रवर समिति में भेजने की बात करना चाहिये, पर जहां तीन चार संशोधन हैं और उनको दूसरे तरीकों से हम हुकूमत के सामने रख कर करवा सकते हैं, तो प्रवर समिति को भेजनें की बात का आग्रह नहीं करना चाहिये।

हां इसमें धन चार गुना बढा दिया गया है, वह ज्यादा मालूम पडता है, इसके लिये यह कहा गया है कि जंगलात में जो चीजें पैदा होती हैं उनकी कीमतें बढ गई हैं, १० गुना बढ गई हैं, ऐसा इस बिल के मकसद में हुकूमत ने कहा है। १० गुना जंगलात की प्रोडक्ट की कीमत बढ गई, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आर्थिक दण्ड भी चार गुना बढा दें। आर्थिक दण्ड उस दशा में बढाया जाता है, जब कि एक कोई दण्ड है उसे हुकूमत नाकाफी समझती है कि इतना दण्ड होने के बावजूद भी लोग नहीं रुकते हैं और उस दण्ड को सहन कर जाते हैं, तो आर्थिक दण्ड बढाया जाता है। तो इस तरह एक दम चार गुना आर्थिक दण्ड बढाना रेवेन्यू बढाने की दृष्टि से भले ही ठीक हो सकता है, पर इसमें मुझे तारतम्य नजर नहीं

आता। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि इस चार गुना को कम कर के दुगुना हो जाय, तो मैं समझता हूं कि संशोधन का मकसद प्रारम्भिक अवस्था में काफी हल हो जायेगा।

रावराजा श्री सरदार सिंह: किसानों की तकलीफों का तो हल बताइये।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं बोल रहा हूं। तो मैं यह कहना चाहता था कि चार पांच गुना दण्ड सरकार ने रखा है, इस दलील पर कि कीमतें जंगल की प्रोडक्ट की बढ गई हैं, इस दलील में मुझे तथ्य नजर नहीं आता। दण्ड बढाने की और बातें होती हैं दण्ड विधान के अन्दर है और दो चार मुख्य हैं, वह यह है कि आर्थिक दण्ड जो रखा है, उससे अपराध का नहीं और उस आर्थिक दण्ड को अपराधी सहन कर लेता है, तो उस हालत में दण्ड बढाना चाहिये। तो यह जो दलील दी गई है कि चूंकि जंगल की वस्तुओं की कीमतें बढ गई हैं इस लिये दण्ड विधान बढाना चाहते हैं, यह सम्यक तरीका नहीं है। इसको बढाते वक्त, यदि सरकार कहती कि जो आर्थिक दण्ड रखा है, वह सह्य हो रहा है, वह दण्ड लोग दे देते हैं, दण्ड की ढंक लोगों को मालूम होता नहीं लोग अपराध करने से रुकते नहीं, सहन कर लेते हैं, इस लिये ऐसा अधिक आर्थिक दण्ड रखना चाहते हैं, जो सह्य नहीं हो, तो अधिक स्पष्टता और तरीकों से विचार कर सकते थे। इस लिये मैं समझता हूं कि जो यह ४,५ गुना आर्थिक दण्ड रखा है, वह सम्यक नहीं है। जंगल को ले कर जो छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं।

जंगल के रहने वालों के लिये कायदे कानून बने हुए हैं, उनका पूरी तरह से सरकार को पालन करना अभिष्ट है। इसलिये सरकार महसूस करती है कि दण्ड का प्रमाण है, यह बढना चाहिये, तो बढाये। लेकिन मैं समझता हूं कि एक रुपये के पांच रुपये कर देगी, तो मैं समझता हूं कि जो मनोविज्ञान हम पैदा करना चाहते हैं, वह थोडा सा एबनोर्मल हो जावेगा। इसलिये सरकार से आपके जरिये मेरी यही प्रार्थना है कि दंड में कमी करें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी लोगों का जिनका संबंध जंगल से ज्यादा है, इस विधेयक पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना अपना फर्ज समझता हूं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूं। अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में कहा गया है कि दफा ६८ में ५० रु० तक का मुआवजा ओरिजनल एक्ट में है, वह बहुत कम है और इसलिये ५० रु० के बजाय २००० रु० बढा दिये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ५०० के बजाय है।

श्री सोहन लाल भटनागर : इसमें ५० रुपये ही हैं, आपने पढा नहीं है।

दफा ६८ में है।

"A Forest Officer shall not be empowered under this Section unless he is a Forest Officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub-section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees.

तो मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो यह कहा गया है कि कीमतें अब लकडी की १० गुनी बढ गई हैं और दूसरी तरफ कम्पेन्सेशन की रकम बढाई जा रही है वह ४० गुना बढाई जा रही है। इसलिये मेरे खयाल से जो स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट एन्ड रीजन्स में जो बातें दी गई हैं, वे कहां मेल खाती हैं, यह एक सोचने की बात है। यह कहा गया है कि कीमतें १० गुना बढ गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) : मैथमैटिक में सप्लीमेन्टरी आया इसी लिये।

श्री मोहनलाल भटनागर : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल फोरेस्ट एक्ट सन् १९२७ में बना और उसको आधार मान कर मूल एक्ट

(श्री सोहनलाल भटनागर)

राजस्थान में १९५३ में बना। जिस समय यह बना उस समय में भी सिलेक्ट कमेटी में था और लेजिस्लेचर में भी था। उस वक्त भी ये सारी बातें थी और उस वक्त भी यही ५० रुपये थे। उस वक्त भी अगर कोई ऐसी बात होती तो कम्पनसेशन की रकम ज्यादा रखी जा सकती थी। २७ के एक्ट को रीपिल कर देते। दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में दरअसल कीमतें जितनी बताई जा रही है कि बढ गई है, नहीं बढी हैं। क्योंकि हमारे यहां पहले गांवों में एक पूली मिलती थी वह एक आने में मिलती थी उसकी कीमत अब दो आने या २॥ आने हो गई है। इसलिये मैं यह नहीं मानता कि कीमतें दस गुनी बढ गई है। इसलिये जो यह फाइन रखा गया है, वह बहुत ज्यादा है।

तीसरी बात दफा २६ और ३३ के एमेन्डमेन्ट के लिये कहा गया। दफा २६ और ३३ में अर्थ दन्ड की रकम ५०० रु. से बढा कर २००० कर दी गई है। दफा २६ रिजर्वड फोरेस्ट के लिये है। अगर माननीय अध्यक्ष, दफा २६ को हम देखें, तो यदि बैल हो या बछड़ा कोई भी जानवर किसी भी तरह से भूल से भी चला जाता है तो वह ओफेन्स हो जाता है। ऐसी सूरत में आदिवासियों के लिये इसका बहुत बुरा असर होगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों दफाओं में ६ माह की सजा रखी गई है। अगर यह सजा जुर्म को रोकने के लिये रखी है, पर्याप्त है। अतः इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि जहां पर इम्प्रीजनमेन्ट की सजा मौजूद है, वहां पर जुर्माने की सजा को बढाया जावे। दलील यह दी जा रही है कि इसको इसलिये बढाई जा रही है कि कीमतें दस गुनी बढ गई हैं और ज्यादा से ज्यादा आमदनी सरकार को हो जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर यह मालूम नहीं होता कि जंगलात की लाइन कहां पर है। मैं मानता हूं कि इससे आदिवासियों को बहुत तकलीफ हो जावेगी इस बात को भी मैं मानता हूं कि सरकार ने आदिवासियों को बहुत सुविधायें दी हैं। इसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि रिजर्व फोरेस्ट की लाइन है, वह उनके खेतों के बीच में हो कर चली जाती है। मैं यह भी मानता हूं कि गैर वाजिब तरीके से दरख्तों को काटने वालों को सजा मिले लेकिन जहां पर कोई व्यक्ति लकड़ी काटता नहीं और मवेशी चले गये, तो भी इन दफा ३३ और २६ के अन्तर्गत उनको वही सजा मिलेगी जो वृक्ष काटने से मिलती है।

इसलिये हमें इसके बारे में सोचना है और जो प्रावधान पहले रखा है वही रहना चाहिये और यह तो आप भी जानते हैं अभी भी मुकदमें में ५-१०-१५ या ५० या १०० रु. तक जुर्माने की सजा दी जाती है अगर माननीय मन्त्री यह चाहते हैं कि सरकार के खजाने की आमदनी बढे तो इसका असर आदिवासियों पर बहुत बुरा होगा।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि ५० रुपये से ज्यादा एक दरख्त की कीमत नहीं बढी। क्योंकि जहां पहाडी क्षेत्र है आप उसका मुलाहिजा करें, तो आपको मालूम होगा कि और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ५० रुपये से कोई अधिक कीमत वृक्ष की नहीं है। इसलिये इसमें तरमीम लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब आप यह कहते हैं कि ठेकेदार जो इल्लीगल ढंग से वृक्ष काट लेते हैं, उसको रोकने के लिये यह रखा गया है। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले से सजा का प्रावधान है मगर आप देखेंगे कि आज तक कितने ठेकेदारों को इस कानून के अनुसार सजा हुई है? आज लोगों की यह आम धारणा है कि ठेकेदार जो कार्यवाही करता है, उसमें जंगलात के कर्मचारियों का हाथ होता है। इसलिये इस कानून को सख्त से सख्त नहीं बनाया जावे जिससे आदिवासियों के लिये जो गरीब है और सैकडों वर्षों से अपना गुजारा करते आ रहे हैं, उनको जंगलात के कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय।

Page No.46

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास। (दूसरे सदस्य से, आप इनके बाद बोलें)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीट) : जो राजस्थान फोरेस्ट संशोधन विधेयक सदन के सामने आया है, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री ने आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल रखा है और महत्वपूर्ण वह है। जहां तक विचारों का प्रश्न है, सरकारी पक्ष से इस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि जंगल में लकड़ी की कीमत पहले से दस गुनी बढ गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात सरकारी पक्ष की ओर से आज सदन में आई है। यह एक सोचने की बात है कि वस्तु स्थिति क्या है? लेकिन साधारणतः सरकार स्वयं यह मानती है कि लकड़ी की कीमत १० गुना बढ चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई मगर इसके साथ सरकारी पक्ष से ऐसी बात भी आती कि दस गुने दाम बढ गये हैं, इस लिये हर आदमी की दिक्कत भी बढ गई है, उसको दूर करने के लिये उनको जो जीवन निर्वाह के साधन बढाने चाहिये बढायें, ऐसी बात आती तो बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन ऐसी बात नहीं आई और न सरकार ने सोचा।

दूसरी बात यह रखी गई कि कीमतें बढ चुकी हैं, इसलिये अगर कोई आदमी इसके मातहत जुर्म करता है, तो उसका जुर्माना भी बढाना चाहिये और वह भी जो पहले था, उसमे चार गुना होना चाहिये। सरकारी नीति की बात है कि जुर्माना जरूर बढाना चाहिये और ऐसी हालत में बढना चाहिये, जब दस गुनी कीमत लकडी की हो गई है। अगर इस मंहगाई की हालत को मद्देनजर रखते हुए कोई दूसरी बात भी कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

परन्तु उस बात का बिल्कुल ख्याल न करते हुए सिर्फ इतनी सी बात आजाये कि रिजर्व फोरेस्ट में कोई आदमी किसी चीज को तोड़ेगा तो उस पर पांच सो रुपये के जुर्माने के एवज में अब २,००० रुपया जुर्माना हो जायगा। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, प्रस्ताव रखा गया है, अब तक मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेते, तो समय जो गया वह व्यर्थ नहीं जाता, हो सकता है कि विचार जानने की दृष्टि से और लोग कहें और उनका सुनने के बाद वे सोचें, मैं इस संबंध में दो ही बातें सदन के संमुख रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जुर्माने का सवाल है आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा यह एक महत्वपूर्ण चीज है। जहां तक जंगलों का सवाल है, जंगलों में रहने वाली प्रजा है, जंगलों में आदिवासी और महनतकश गरीब लोग रहते हैं और उनको छोटे मोटे में आवश्यक साधन चाहियें, वे उनको किस तरह से प्राप्त करते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। इस स्थिति को सरकार अच्छी तरह से जानती है, और जानते हुए उनकी स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार धन खर्च करती है, कहां तक उस धन राशि से उनको लाभ मिलता है, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन सरकार के नोट की बातों को देखते हैं, तो सरकार काफी धन राशि खर्च करती है।

दूसरी बात बांसवाडा से आने वाले माननीय सदस्य ने वस्तु स्थिति को आपके सामने रखा है। जहां तक जंगलों का सवाल है, रिजर्व फोरेस्टस् भी हैं, इतने लम्बे चौडे होते हैं, साधारण आदमी भूल कर सकता है, उसको तोड सकता है, यह अच्छा नहीं है, कि कोई आदमी कानून तोडे, तोड भी सकता है, उसकी इच्छा हो गई हो कि यह गलत कानून आ गया है, लेकिन इस प्रकार की इच्छा सदन की सदन में किसी की नहीं है, लेकिन प्रश्न यह होता है कि उससे लाभ वाकई जो मिलना चाहिए वह मिलता है या नहीं? क्या लाभ हुआ है इसको गहराई से सोचना चाहिए। जहां तक जंगलों का सवाल है, रिजर्वेड फोरेस्टस हैं, लम्बे चौडे हैं, जहा किसी ने बिना इच्छा के भी कोई पेड काट लिया, लोगों के आने जाने के आम रास्तों से वे जंगल लगे हुए हैं लोग आते जाते रहते हैं और इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। अगर उसी साधारण आदमी से पांच सौ रुपये जुर्माने की बजाय

(श्री मुरलीधर व्यास)

दो हजार रुपया जुर्माना लेने की बात करते हैं, तो यह न्यायसंगत नहीं होता । हो सकता है, कीमत बढ़ गई हो, लेकिन चूंकि कीमत बढ़ गई है इसलिये जुर्माना भी बढ़ाया जाय, यह कोई बौद्धिक तर्क नहीं है । यदि कोई जंगल से कोई चीज तोड़ देता है, पेड़ काटता लेता है, उस की कीमत दो हजार तक होगी, तो सोच लेते कि ठीक है, इसमें कोई बात है । लेकिन छोटी सी बात के लिये इतना बड़ा जुर्माना रख दिया जाय और उसकी वसूली का जो तरीका है, जैसा कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि उस तरीके से सरकार चाहती है कि जुर्माना जायगा, लेकिन वसूली नहीं होगी और होगा यह कि भ्रष्टाचार उस क्षेत्र में फलेगा और छोटे मोटे आदिवासी लोगों को सताया जावेगा । इससे अधिक होगा नहीं । जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, एक संमाननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात कह दी, वैसे यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन यह कह देना कि विरोधी पक्ष की ओर से बार बार भ्रष्टाचार की बात कहना अच्छी चीज नहीं है और यहां तक कहा गया कि विरोधी पक्ष ने भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार बना लिया है, मैं समझता हूं कि शिष्टाचार को भ्रष्टाचार कहना भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में कह देना, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहने से किसी की योग्यता नहीं बढ़ती है, लेकिन मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को एक माने में शिष्टाचार ही मान लेना और उसको लगातार छिपाने की कोशिश करना एक प्रकार का रवैया हो गया है, इसको माने या न माने, प्रारम्भ से आज तक ऐसा रवैया देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार को छिपाया जाता है, सामने नहीं लाया जाता और जानबूझ कर सरकारी पक्ष द्वारा उत्तर दिये जाते हैं उसको छिपाया जाता है यह स्पष्ट है । कोई विरोधी पक्ष का सदस्य भ्रष्टाचार की बात कहे तो, कहा जाय कि उसको दोहराया जाता है । मेरे साथी ने पानरवा जंगल कांड की बात कही, कहते हैं कि उसको दोहराने की जरूरत नहीं थी, अगर दोहराई जाय तो मैं कहता हूं कि कोई गलत चीज नहीं है । पानरवा कांड हुआ । इसके दोहराने को कोई कहे कि इस घटना को इस प्रकार नहीं दोहराना चाहिए, मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से दोहराना चाहिये, जब तक उसका समाधान न हो जाय तब तक उसको दोहराना चाहिये, कहना चाहिये, अगर नतीजा न निकले तो मैं कहूंगा कि ऐसी बातों को छिपाने दी जाती है । ऐसी बातों के लिये यह कहना कि विरोधी पक्ष ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया है, जब कि स्वयम् ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया है और छिपाने की कोशिश की जाती है । इसको प्रवर समिति को देने को जो बात है वह तथ्य की बात है । इसमें आम लोगों को दिक्कत होने का सवाल है । सलुम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं उससे बहुत कुछ सफाई, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय की शंकाओं की हो गई होगी । ऐसी सूरत में सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की बात कही गई है, अमेन्डमेंट बिल है, थोड़ा समय ले लें बैठ कर उस पर डिस्कशन कर लें, उसके पीछे तथ्य है और उसको अलग नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन तथ्यों को समझेंगे और लोगों के विचार लेकर इसको सिलेक्ट कमेटी में जो रखने का सुझाव है उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा ।

१.४७ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री लक्षमण हीरात: माननीय उपाध्यक्ष

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

श्री लक्षमण हीरात : पहले मुझे टाइम दिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सतर्क रहूंगा ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष जंगलात संशोधन विधेयक हमारे सामने है और अभी सदन में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय या नहीं ? जहां तक मैं इसमें रद्दोबदली की आवश्यकता देखता हूं, उनको मैं महत्व देता हूं और प्रस्ताव की भावना का भी आदर करता हूं । लेकिन मैं इसको

(श्री नारायणसिंह)

जरूरी नहीं समझता कि इस विधेयक को प्रवर समिति में देने से ही संशोधित हो सकेगा और यहां बैठ कर नहीं कर सकते । जंगलात का विषय एक ऐसा है कि जो ग्राम्य जीवन से बहुत ही नजदीक संपर्क है । ग्राम्य जीवन का हर एक पहलू, तत्व आप्लव है । जब इस विषय में बात चलती है, जब किस भी प्रकार की इस विषय में पोलिसी उठायी जाती है, तो ग्राम्य जीवन के मार्मिक अंगों पर ठेस पहुंचती है । तो ऐसे समय हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है । हम जिस व्यवस्था से ग्राम्य जीवन पर बुरा असर पडता है उनके मार्मिक अंगों पर एक गहरा आघात होता है, उसको बहुत अच्छी तरह विचार कर प्रयोग में लायें । आज आवश्यकता यह है कि जंगलों को बढायें, जंगलों में महफूजियत लावें, जंगलों की रक्षा करें । इधर बढती हुई आबादियों का तकाजा है और उधर जंगलों को बढाना, वृद्धि करने का तकाजा है । हमारी भूमि संरक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का तकाजा है ।

ये दोनों बातें एक दूसरे से टक्कर खाती है । ग्रामीणों को रोजमर्रा गांवों के पास जो जंगल होते हैं उनसे काम पडता रहता है, जैसे चराई के लिये या छोटे मोटे कृषि यंत्र और ईंधन इत्यादि के लिये आवश्यकता पडती है। शहर वालों को जंगल से ज्यादा काम नहीं पड़ता और जब जंगल व्यवस्था में विशेष प्रकार का परिवर्तन आता है, तो सब से पहला उसका असर ग्रामीण जनता पर पडता है । ऐसी हालत में जब उस व्यवस्था में किसी प्रकार की गडबडी होती है, तो गांव के लोगों के लिये वह एतराज का विषय बन जाता है । अच्छी नीयत से आगे बढते हुए भी ग्रामीण लोग उसे कुछ गलत ले बैठते हैं । हमारे लिये आवश्यक है कि हम भूमि संरक्षण की ओर बढे, लेकिन उसमें केवल जंगलात की वृद्धि करना ही उद्देश्य होना चाहिये । यह जरूर है कि हमें उस ओर प्रगति करनी है, लेकिन उसमें हमें ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना होगा । उसमें दंड विधि का ज्यादा अनुसरण न करके प्रचार और सहयोग की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा, जंगलात की व्यवस्था में भी उनको हमें लाना होगा ।

इस प्रकार के संशोधन से हमारी मंशा यह है कि जो टिम्बर इत्यादि के भाव बढे हैं उनके बराबर हर्जाना आदि की शरह बढा दें। यह बात ठीक है कि यदि उन भावों के साथ समानता आजाय तो ठीक रहेगा, लेकिन जहां एक साधारण जनता के लिये काम आने वाली चीजों के लिये इस प्रकार का प्रश्न उठता है, तो जन कल्याणकारी राज्य में किसी का मूल्य बढ जाने से अथवा सरकार के किसी खर्चे में इजाफा हो जाने से हम किसी बात की ओर अग्रसर हो जायें, जो गरीब जनता पर भार स्वरूप हो जाता है, ऐसी बातों पर अग्रसर होने से पहले हमें दो बार सोचना चाहिये ।

इसमें जो सबसे बडी बात रखी गई है, वह टिम्बर के भाव बढ जाने से संबंधित है । उसके लिये जो जुर्माना दर जिसका जिक्र सेक्शन २६ और ३३ में है उस जुर्माने की रकम को पांच सौ रुपये से बढा कर दो हजार रुपये तक करने की बात रखी गई है । मैं समझता हूं वास्तव में टिम्बर के भाव बढे होंगे, लेकिन केवल मात्र इस आधार पर इतना बडा जुर्माना हमें खड़ा कर देते हैं, तो यह बड़ी भारी असुविधा की बात हो जायेगी । हम इसको अमान्य नहीं कर सकते कि आज हमारी नैतिक दशा जन साधारण की इतनी ऊंची नहीं, नौकरियों की इतनी ऊंची नहीं इस दृष्टि से हम यह अमान्य नहीं कर सकते कि जो जंगलात में नौकरशाही है वह इस प्रकार की नैतिक कमी से अभिभूत नहीं होगी, जिसके प्रति हमें एतराज है । इस बात को भी हमें दृष्टिगत रखना होगा । इसके अलावा हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जो जंगलों का डिमार्केशन किया गया है उनके लिये भी गांव वालों का भारी एतराज मौजूद है । जो डिमार्केशन हुए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि गांवों के तीनों तरफ जहां गांव से बाहर निकले कि तीनों तरफ जंगल ही जंगल नजर आते हैं । जो गांव वाले जिस जमीन को अपना समझते थे, शामलात की जमीन समझते थे, उसको जंगल में ले लिया गया है वहां पर जंगल की सीमा लगा दी गई है, इसके बारे में एतराज उठे हैं, उन पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा विचार विमर्श करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया

(श्री नारायणसिंह)

है। उनको भी सुचारू ढंग से हल करने की कोशिश की जायेगी, सहानुभूति के साथ देखने की कोशिश की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में हम अगर इस प्रकार के कानून को लाते हैं और इतने बडे दंड का प्रावधान करते हैं, किसी कसूर के लिये, तो हमें यह एक तरफ तो ब्युरोक्रेसी की नैतिक न्यूनता के कारण और जो जंगलात की सीमा गलत लगी हुई हैं, उससे जो दिक्कतें पेश हो सकती हैं उसमें इस प्रकार दंड लगाना बहुत बुरी बात होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह मानी हुई बात है कि ग्रामीणों के जत्थे के जत्थे आवेंगे और इस तरह से एक आन्दोलन का स्वरूप वृथा ही पैदा होगा। हमारे समाज में हमेशा ही कुछ एक ऐसे विस्फोटक तत्व रहते ही हैं उन्हें भी अवसर मिल सकता है एक बड़ा भारी विस्फोट खड़ा करने का। इसलिये मैं समझता हूं टिम्बर की कीमतें जरूर बढी हैं किन्तु उसके कारण जुर्माने में इतना इजाफा करना उपयुक्त नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि राजस्थान के जंगलों में टिम्बर कहीं कहीं पैदा होता अधिकांश जंगलों में टिम्बर पैदा नहीं होता है, इसलिये टिम्बर के नाम से जुर्माने इत्यादि में इजाफा किया जाता है, तो दूसरी प्रकार के शरब Shrub जंगल हैं या उनके निकटवर्ती गांव है उसका असर उन पर बड़ा भारी होगा और इस तरह से जंगलात की जो नीति है, उस पर भी भारी असर पड़ेगा। इसलिये भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा सेक्शन ५२ जो पेश किया गया है उसके अन्दर जंगलात के अफसर को मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का समझौता कराने का संकेत है। इसके कारण मैं शायद सही यह समझता हूं तो रोजाना डिपार्टमेंटल लड़ाइयां चलती रहती हैं। जंगलात के अफसर और कलेक्टर के बीच में संघर्ष चलता रहता है। कलेक्टर जहां गांव वालों की दिक्कतों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहता है, जहां रेवेन्यु डिपार्टमेंट के अधिकारी जंगलात अफसरों से अलग दृष्टिकोण रखते हैं और जंगलाती काम में रुकावट पैदा होती है उसी को हल करने के लिये है। जंगलात अफसर यह कोशिश करेगा कि जंगलात बढ़ाने की जो पोलिसी है, वह उसको किसी प्रकार आगे बढ़ावे। उसीमें उसकी तारीफ और तरक्की है। इस संबंध में अजमेर राज्य के जंगल विभाग ने भी कुछ नीति निर्धारित की थी। उसके लिये कुछ ऐसे प्रोन्सिपल निर्धारित करने की कोशिश हुई थी कि इतना परसेन्ट जंगल यहां होना चाहिये। किन्तु यह अन्दाज करना भूल गये थे यहां कि आबादी कितनी है, कितने पशु चरने वाले हैं, इस हिसाब से कितनी जमीन चाहिये, मवेशियों की संख्या क्या है, भेड़ बकरियों की क्या संख्या है यह बातें ध्यान में लेना भूल गये। इसी प्रकार का बेसिक कोन्फ्लीक्ट राजस्व विभाग और जंगलात विभाग में रहता है। और मंत्रालय के सामने भी आता होगा जहां कलेक्टर एक बात को घसीटता है वहां फोरेस्ट आफिसर दूसरी बात को। शायद इसीलिये यह इन्तजाम किया गया है। जो मजिस्ट्रेट होगा, उसके अधिकार में यह बात न रख कर जंगलात का जो मौके पर अफसर होगा वही उसको तय करेगा। व्यवस्था की दृष्टि से इसमें कुछ सहूलियत लगती है, लेकिन मैं यह समझता हूं जहां जंगलात आफिसरों की प्रवृत्ति जंगलात को बढ़ाने की है, वहां वे दूसरों की दिक्कतों को सोचना नहीं चाहते। वहां उनको राजनीति या जनता की सुविधा से वास्ता नहीं रहता। जहां इस प्रकार का दृष्टिकोण जंगलात के अधिकारियों का रहता है, जहां नैतिक न्यूनता की कमी है मैं भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार से एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, उसको न कह कर मैं नैतिक न्यूनता की कमी ही कहूंगा। जहां नैतिक न्यूनता की कमी है वहां अधिक अवसर है, वैसी हालत में इन दो अवस्थाओं में जंगलात के अफसर को मजिस्ट्रेटी के पावर दे देना इतने बड़े को कम्प्रोमाइज का काम करने देना मैं ठीक नहीं समझता। इस काम में जंगलात कोम्प्रोमाइज का भार व्यवहारगत हमेशा दो सौ रुपये के रेंजर पर डाला जायगा। ऐसी हालत में जब वह दो हजार का काम कम्प्रोमाइज करने लगेगा वहां कैसी नैतिक न्यूनता आप भी अंदाज लगा सकते हैं। इस काम में जंगलात एवं राजस्व दोनों का संघर्ष उपादेय होता है। जहां रेवेन्यू विभाग अपनी बात रखेगा जंगलात अफसर अपनी सफाई रखेगा वैसी हालत में

Page No.50

(श्री नारायणसिंह)

दोनों की खींचातानी में कभी २ जनता का लाभ हो जाता है। व्यवस्था की दृष्टि से मैं समझता हूं इतनी लम्बी चौड़ी गली न रहे। यह ठीक है कि जहां नियन्त्रण सरकार का हो जाता है वहां, यदि जंगलात के अफसर को इस प्रकार के पावर्स दे देते हैं, तो जहां जंगलात के काम में देरी नहीं होगी, वहां मैं समझता हूं एक वर्ष में परस्पर विरोध होगा, इसलिये इस पर सोचने की आवश्यकता है।

उन पर कितनी नकेल इस विषय में रखी जाय या हम उस नकेल को हटाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि चालान करें तो बड़ी ही सहूलियत से वह हो जाये, तो हम उसके लिये यह व्यवस्था करें कि जंगल पंचायतें बनावें। जिन २ गांवों में जंगल की हद पड़ती है, उन २ गांवों की एक संमिलित पंचायत बना दें और पंचायतों को वन संरक्षता का भार दे दें जंगलात के नियमों के अनुसार और कुछ उनको मजिस्ट्रेटी के हक भी दे दें कि जिसमें वे छोटे मोटे चालानों को निबटा सकें और उनके ऊपर नियंत्रण भी मजिस्ट्रेट का रहे, तो इस तरह से यह मकसद हम हल करना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट का लम्बा चौड़ा टंटा न रहे; वह इस तरह से हल हो भी जायगा और उसमें जनता के साथ होने के कारण ग्रामीण जनता का विश्वास भी होगा कि मैं अपने जंगल की व्यवस्था स्वयं ही कर रहा हूं। तो उसके लिये मेरा यह सुझाव है।

२ म० प०

अब इसमें एक और चीज आती है कि सेक्शन ५३ के अन्दर :

"for the words 'if and when so required', the words 'when and where required to produce the same' shall be substituted."

इसको सब्स्टीट्यूट करने की बात कही है। 'If and when so required' का अर्थ भी वही है और 'when and where required to be produced' का भी अर्थ वही है। केवल एक में बलात्कार की भावना ज्यादा है। इसमें मुकर्रर करेगा एक अफसर तो दूसरी तरफ उसका आशय यह भी निकल सकेगा कि "at any place where required" उसमें गरीब ग्रामीण जनता होगी उसको हैरान करने की बात रहे तो "when and where so required" के हिसाब से ५० मील दूर भी मौके की तारीख निकाल सकता है। और "if and when so required" यह नर्म शब्द है। यह संकेत है कि ग्रामीण की दिक्कत का ख्याल करते हुए वह ऐसे स्थान पर चालान को निबटाये जहां कि वह (ग्रामीण) सहूलियत से आ सके और हमारी यह नीति वन विभाग ने मान्य भी की है। मान्य करने का यह प्रतिफल है कि जंगलात के कई चालान जंगलात आफिसर वहीं मौके पर जाकर तय करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन यहां इस प्रकार की तानाशाही की तरफ इशारा करते हुए इन शब्दों को रख देंगे, तो फिर अपने व्यवहार में कड़ाई बरतने लगते हैं। कुछ लोग कड़ी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं और वे इसका दूसरा फायदा उठा सकते हैं। तो इन बातों को विचारने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इन बातों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और यहीं पर बैठ कर इन पर विचार कर सकते हैं और इस बारे में कोई एमेंन्डमेंट नहीं आया है, तो वन मंत्री स्वयं ही इसमें एमेंडमेंट लाकर इधर उधर करके जो छोटो मोटी दिक्कतें हैं, उनको हल करने का तय कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मण हौरात (गोगुन्डा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय ने इस हाउस के सामने जो राजस्थान फोरेस्ट संशोधन विधेयक, १९५८ रखा है उसके विषय में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। तो मैं भी उनके उन शब्दों का समर्थन करते हुए और कुछ एक आवश्यक बातें माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाने के लिये बताना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा २६ और ३३ में यह बताया गया है

Page No.51

(श्री लक्ष्मण हीरात)

कि कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो इलाका है उसके लिये मैं यह कहूं कि करीब २ सब लोग वहां जंगलों में रहते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना सब जंगल में ही होता है, घर के बाहर निकल गया, तो उसके ऊपर जुर्माना हो जायेगा । तो ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह कानून, मैं किसान के शब्दों में कह दूं, एक काला कानून है । क्योंकि मैं किसान हूं और किसान के नाते जंगल में रहता हूं, और जंगल में रहने के नाते मेरा फर्ज है कि इस विधेयक का विरोध करूं ।

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरे इस धारा में यह बताया गया है कि अगर कोई किसान जहां घर से निकलता और निकलते ही आगे बढा और एक कपड़ा जला कर अपने साथ ले गया तो नं० १ के जंगल में तो वह जुर्म या दण्ड माना जायेगा और उस पर ५००) रु. से लेकर २०००) रु. तक का जुर्माना हो जायगा या ६ महीने की सजा हो जायगी । तो इस तरह का यह कानून है, माननीय उपाध्यक्ष, यह बिलकुल खतरनाक कानून है । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

इसी तरह से एक दूसरी धारा में यह बताया गया है कि वह किसान अपने निजी काम के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए, जैसे हल के लिए, डागते के लिए, लकड़ी लेने जायेगा और पकड़ा जायेगा, तो फोरेस्ट अधिकारी पकड़ कर ले गया तो पकड़कर अपने क्षेत्र का जो अधिकारी होगा, और उसके ऊपर जो अधिकारी होगा उसको अपनी रिपोर्ट देगा और वह अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा तो इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस किसान के लिए एक समस्या हो जायगी और अगर मान लिया जाये कि मजिस्ट्रेट ने छोटे किसान की सुविधा नहीं हो, ऐसे स्थान पर पेशी दे दी, तो गांव के सब किसान वहां जायेंगे, तो यह बड़ी समस्या हो जायेगी । खास कर खेती के मौके पर यदि यह किया गया तो बड़ी डिफिकल्टी हो जायगी । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बिल को जैसे का तैसा वापिस ले लें, तो ज्यादा अच्छा हो ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और इसमें बताई गई है कि किसान, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष, मैंने समय समय पर बताया है, जो कि आदिवासी इलाके में रहने वाले हैं, जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो वह जंगल ही जंगल में रहते हैं । तो इस तरह का अगर कानून पास होगा, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जायगी, माननीय उपाध्यक्ष, कई बडे आन्दोलन हो जायेंगे, और इन आन्दोलनों में हमें स्वयं विवश होकर आगे होना पड़ेगा । इसलिए सबसे अच्छा यही हो कि माननीय वन मंत्री इस ओर ध्यान दें । वहां का जो किसान है, जैसा कि सलुम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, वह जंगल में से मोली लाता है और घास का भारा लाता है, और उसी को बेच कर उससे जो पैदा होता है, यानी उससे जो पैसा मिलता है, तीन या चार आने, उनसे वह अनाज खरीद कर खाता है और ऐसी स्थिति में इस तरह का कानून लाया जायेगा, तो, माननीय उपाध्यक्ष, हमारे लिये तो जयपुर में ही रहना पड़ेगा (हंसी), क्योंकि वहां जायेंगे तो लोग हमको बैठने नहीं देंगे; ऐसी स्थिति हो जायगी ।

एक बात डिमार्केशन की और है । मसूदा साहब ने यहां तक कहा है कि गलत डिमार्केशन लगाया गया है । हमारे इलाके में इस तरह से डिमार्केशन की लाईनें लगाई गई कि फोरेस्ट अधिकारियों को यह पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिमार्केशन लाइन है । उसके लिये इस तरह से करना चाहिये थी कि जिन २ गांवों में वह डिमार्केशन लाइन जाती है उन गांवों से पूछ कर, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के लोगों को इकट्ठा करके सरकार को उनसे पूछना चाहिये । उनकी सलाह से डिमार्केशन लाइन डालनी चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष, हमारा इलाका जंगल का है और हम जंगल में ही रहते हैं हमारा खाना पीना, उठना बैठना सब जंगल में

(श्री लक्ष्मण हीरात)

होता है । तो ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान जाना ही चाहिये ।

दूसरी बात एक किसान जो उस इलाके का है और इस इलाके में औसतन भूमि एक किसान को तीन-चार बीघा आती है, वह उसमें क्या पैदा करता है ? उसमें सिर्फ पांच या छः मन अनाज पैदा होता है और बाकी की वह सारी जिन्दगी जंगल में जाकर जंगल से गोंद है या इसी तरह की नाना प्रकार की चीजें हैं उससे वह अपना जीवन निर्वाह करता है । अगर ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रतिबंध लगा देंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा । मैं अधिक नहीं बता कर उस इलाके की जो अब वास्तविक हालत है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा । वहां के फोरेस्ट अधिकारियों की इतनी धांधली है कि वह गांवों में जाकर कहते हैं कि तुमको पास कटवाना होगा । अब वह तो जरूरी भी है, लेकिन कई जगह ऐसी धांधली करते हैं जिससे हम बहुत तंग हैं, किसान बहुत तंग हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

एक बात अब कई माननीय सदस्यों ने कही कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये और उसको बड़े गौर से देखा जाये । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे इलाके में बहुत जंगल है । अब वहां दो तीन जंगल ऐसे हैं कि जहां लकड़ी भी नहीं मिलती है और इस तरह हम जंगल में रह कर बारहों महीने जंगल की रक्षा करते हैं और अगर आपने इस प्रकार की व्यवस्था की तो ऐसे कानून की जरूरत नहीं है । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कानून को किसी तरह भी नहीं लाने दें ।

एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे उस इलाके के लिये अगर ऐसा कानून पास हो गया, तो हमें तो घर जाना मुश्किल हो जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां के हजारों नहीं लाखों और करोड़ों किसानों का और गांव में रहने वाले व्यक्तियों का सवाल है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून को माननीय मंत्री महोदय वापिस ले लें और अगर वापिस नहीं लेते हैं, तो इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें और इस पर बहुत गौर से विचार किया जाय । पहले भी कई बार ऐसे कानून बन गए हैं जिनसे हमारी बहुत तबाही हुई है . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज । जो कानून बन चुके हैं, उनके संबंध में कुछ न कहा जाय । उन कानूनों की प्रतिष्ठा है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : ऐसा होता है कि हम नहीं बोलते हैं तो कानून बना दिये जाते हैं और हम यों ही रह जाते हैं । अंत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और इस पर वहां गौर से विचार किया जाय । इन शब्दों के साथ और किसान के शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में अवश्य भेज दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखा जाये और उनका ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाये और पढ़ा जाये, तो यह बहुत ही रुचिकर मालूम पड़ता है । जहां रीजन्स यह बताये गये कि हमने दो हजार रुपये इसलिये बढाया है कि क्योंकि पेड़ों की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई है । अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि इस रीजन को ठीक मान लिया जाये, तो जो रद्दोबदल की गई है, उससे क्या फर्क पड़ना है ? अब सेक्शन २६ में एक यह रद्दोबदल किया है कि वहां पांच सौ की जगह दो हजार रुपया किया है । यदि सेक्शन २६ को पढ़ा जाये तो मालूम होगा :

" shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both, in addition to such compensation for

Page No.53

(श्री तनसिंह)

damage to the forest as the convicting court may direct to be paid." तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पांच सौ रुपया जो पहले था यह पहले उस नुक्सान से जो फोरेस्ट में हो चुका है, उसका पांच सौ रुपये जुर्माने का था जो कम्पेन्सेशन उसका देते थे, जो कनविक्टिंग कोर्ट है, वह कोर्ट उस कम्पेन्सेशन को दिला सकती है । मान लीजिये कि एक पेड़ किसी ने काट लिया या उसको घर ले गया, तो ज्यादा से ज्यादा उस पेड़ की कीमत पचास रुपया होगी या दो सौ होगी । तो दो सौ रुपया तो कोर्ट डेमेज के मुताबिक जो डेमेज हुआ है, उसके मुताबिक इस सेक्शन २६ में वैसे ही दिला सकती है । अब इसके बाद में सेक्शन ६७ में बताया कि उसमें भी एक ही बात है और वह यह थी । बल्कि अब रद्दोबदल होने के बाद इसको देखें, तो मालूम होगा कि जो कम्पाउन्ड होगा वह तो दो हजार रुपये में होगी ।

"......as may have been committed and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may relate the same on payment of the value thereto as estimated by such officer."

अब मान लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कोई पेड़ काट दिया या घर ले गया तो दो हजार रुपये में तो कम्पोजीशन हो जावेगा, लेकिन जो पेड़ काट कर गया है और जो प्रोपर्टी उन्होंने ली है वह प्रोपर्टी उसी कीमत में दी जायेगी कि जो आफिसर एस्टीमेट करेगा । इसका मतलब यह हुआ कि जो पेड़ लिया गया है, वह तो जितनी कीमत उसकी बाजार में होगी उतने में बिकेगा । तो यह दलील देना कि क्योंकि पेड़ों की कीमत बढ़ गई है, इसलिये हम जुर्माने की सजा को बढ़ाना चाहते हैं या कम्पोजीशन की मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह दलील फिट नहीं होती । किसी भी सूरत में यदि कोई पेड़ काट कर ले जाता है; तो उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी । दोनों सही सूरत में यह जो दलील दी गई यह फिजूल है और केवल इसलिये कि इस डिसगाईज में लोगों को दिखे नहीं इस कारण से उसके ऊपर लीपा पोती कर की कोशिश की है ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ाने का भाग कितना है । जहां सेक्शन २६ में पांच सौ रुपये के दो हजार रुपये किये हैं । मेरा यह खयाल है कि माननीय मंत्री महोदय का यह अनुमान था क्योंकि ६८ में बताया है इसलिये ओरीजिनल सेक्शन को कौन देखेगा । इसलिये माननीय सदस्यों का यह खयाल था कि पांच सौ की जगह दो हजार किया है याने चौगुना किया है और सेक्शन ६८ में पहले ५० रुपये का था वहां उसको चालीस गुना बढ़ा दिया । जो अपराध होगा उसके लिये सजा दोनों में एक सी ही है । तो एक प्रकार की ही सजा रख कर इन्होंने यह अन्तर कितना बड़ा भारी कर दिया है कि एक को तो चालीस गुना बढ़ा दिया है और एक को चार गुना बढ़ाया है । इसका कोई कारण महसूस नहीं होता । अब जब यह कानून पहले पास हुआ और पहले का सैण्ट्रल फोरेस्ट एक्ट है उसमें एक विशेषता है । उसमें भी यही व्यवस्था थी कि पांच सौ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है । सेक्शन ६८ में पचास रुपये तक का है, वह इसलिये है कि जहां कोर्ट केन्विट करती है, वहां वह पांच सौ रुपये तक जुर्माना कर सकती है; लेकिन जहां कम्पाउण्ड का सवाल आता है उसकी कीमत वसूल कर के उसके बाद में पचास रुपये तक में कम्पाउण्ड किया जा सकता है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेजिस्लेचर की मंशा यह थी कि कम्पाउण्ड की प्रवृत्ति को रोका जाय और चालान की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाये । ताकि कोर्ट यह समझे कि फलां आदमी को जुर्माना किया जाय । तो इस तरह से उसकी एवीडेंस को तोलने का मौका मिलता है । यदि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को कोर्ट की पॉवर्स दे देते हैं कि वह दो हजार रुपया जुर्माना करेगा, यह लेजिस्लेचर की मंशा उस समय नहीं थी । सेक्शन २६ में जो पांच सौ रुपया रखा, सेक्शन ६८ में पचास रुपया रखा था और आज इस विधेयक के अनुसार जो परिवर्तन किया जा रहा है वह

Page No.54

(श्री तनसिंह)

लेजिस्लेचर की मंशा के खिलाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कोर्ट के प्रति ज्यादा आस्था नहीं रख रहे हैं और फोरेस्ट आफिसर को ही अधिक महत्व दे रहे हैं।

दूसरी बात इसमें बताई गई है कि एक्साइज़ एक्ट की धारा ७० के मुकाबिले में लाने के लिये यह रद्दोबदल की गई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि पहले का जो सेक्शन ६८ है और अभी के इस सेक्शन ६८ में बहुत अन्तर है। सेक्शन ७० जो एक्साइज एक्ट का है उसमें एक निश्चित रूप से बता दिया है कि दो हजार तक का कॉम्प्रोमाइज कमिश्नर करेगा और असिस्टेंट कमिश्नर सौ रुपये तक लेकिन इन तीनों के पीछे एक शर्त लगा है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों का कम्पोजीशन जो होगा : That will be subject to the confirmation of the Excise Commissioner लेकिन यहां पर इस प्रकार काफी कन्फर्मेशन की आवश्यकता नहीं। यदि फोरेस्ट आफिसर कर देता है, चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट करता है, तब तो प्रश्न पैदा नहीं होता। Any other officer specially empowered by the State Government; अगर उनको इस प्रकार का अधिकार देते हैं, तो इसका किसी से भी कन्फर्मेशन कराने की जरूरत नहीं। तो मेरा निवेदन है कि जहां तक मेरा अनुमान है, वह यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट इन फोरेस्ट रेन्ज तक यह पॉवर देना चाहेगी और मेरा ख़याल है कि फोरेस्ट रेन्जर और आफीसर तक को ऐसे पॉवर दें कि दो हजार तक कम्पाउन्ड करने की जरूरत हो, तो वे कर दें। एक्साइज एक्ट में ५०) रु. तक कम्पाउन्ड कराने में कन्फर्मेशन की जरुरत नहीं होती, क्योंकि यह बहुत छोटी सी रकम है। इसमें खाने पीने की अधिक सम्भावना नहीं रहती। पर यह दो हजार की रकम बहुत बड़ी है। काफी लेटीच्यूड इसमें दिया गया है। आज के अधिकारियों के नैतिक स्टेन्डर्ड को देखते हुए इतना अधिकार देने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वह अपनी मनमानी कर सकता है। ऐसी अवस्था में रीजन्स से मेल नहीं खाता यह बिल।

यह दलील देना कि चूंकि लकड़ी की कीमत बढ़ गई है इसलिये इसकी रेट भी बढ़ा दी जाये जुर्माने की और कम्पाउन्ड की, तो यह कोई दलील में दलील नहीं है। खास तौर से सेक्शन २६ की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस सैक्शन में इतने छोटे छोटे अपराध हैं जिनके लिये पांच सौ रुपये भी बहुत ज्यादा हैं। आप देखेंगे कि इसमें अपराध क्रमश: आते हैं।

"kindles, keeps or carries any fire"

लगाने की बात दूर, लेकिन केवल फायर का लेजाना

"except at such seasons as the Forest Officer may notify in this behalf."

दूसरा है ट्रैसपासेज का:—

"trespasses, or pastures cattle, or permits cattle to trespass";

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां ये रखते हैं वहां अगर बछड़ा भी चला जावे तो उस पर पर भी पांच सौ रुपया तक का जुर्माना है जिसे अब दो हजार कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि कहीं पर ऐसा अपराध हो जावे कि आग लगादे और उससे जंगल का काफी नुकसान हो जाय, हजारों का नुकसान हो जाय और उस अपराध के लिये दो हजार का जुर्माना वाजिब हो सकता है, पर जहां इतने छोटे २ अपराध हों

"fells, gridles, lops, taps or burns any tree or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages the same.

यानी पत्तियों को तोड़ कर ले जाना आदि, तो इनके लिये इतना जुर्माना कर देना हमारे लिये तो अशोभनीय चीज होगी। कोई भी देखने वाला यही कहेगा कि माननीय मंत्री महोदय ने चूंकि इसे रख दिया है और वे सोचते हों कि चूंकि मैंने इसे रख दिया है, सलिये अब कुछ भी हो, इसे पास कराने

(श्री तनसिंह)

चाहिये, इसलिये अगर इसे पास करने के सिवाय गुंजाइश नहीं तो हमारे लिये यह खेद की बात होगी । हम यह तो देखें कि हम किस कारण से यह बढाने जा रहे है ?

मैं यह भी मान सकता हूं कि दो हजार लिख देने से इतना ही जुर्माना हो यह बात भी नहीं है । कम भी जुर्माना हो सकता है । पर जुर्माना करने वाला कोई हो पर उसके सामने लेजिस्लेशन की मंशा रहती है । वह उसे सब्स्टीट्यूट करके यह देखता है कि लेजिस्लेशन क्या चाहती है ।

अब आप इसके बाद के क्लाज को देखें । सेक्शन २६ में और ३३ में भी जो क्लाजेज रक्खे हैं रिजर्व और प्रोटेक्टिव फोरेस्ट के अपराध एक से ही हैं । इसी प्रकार के जुर्माने उन पर रक्खे गये हैं । तो इन छोटे २ अपराधों पर इतना बड़ा जुर्माना रखना अच्छी चीज नहीं है ।

फिर सिलेक्ट कमेटी में रखना इसलिये भी आवश्यक है कि जो दलीलें हम दे रहे हैं, उनका जवाब अभी मंत्री महोदय दे देंगे और देने के समय यह कह देंगे कि अगर आपके पास वाजिब बात है, तो आप इसके लिये अमेन्डमेंट दे सकते हैं ।

सिलेक्ट कमेटी में भेजने की क्या आवश्यकता है । मैं निवेदन करूं कि इतना समय हाउस का वे आसानी से कम कर सकते थे । आप जवाब देंगे उससे हम संतुष्ट हों यह जरूरी नहीं । पर उत्तर प्रत्युत्तर कुछ क्षणों तक बराबर चलता रहा तो आसानी से प्रतीत हो जावेगा कि वास्तव में गवर्नमेंट की मंशा इस कानून में पूरी हो रही है या नहीं, तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार की यह मंशा है कि रुपया हमारे पास कम है इसलिये यह जुर्माना बढ़ा दो लम्प सम प्रोवाइड कर दो और दो हजार लेलो तो यह गरीब लोगोंपर इतना प्रचण्ड प्रहार होगा । जिसको वे अधिकारी लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी में रहते हैं नहीं अनुभव कर सकेंगे जो हम अनुभव करते हैं । तो मैं इस निवेदन के साथ अनरोध करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का जो यह प्रस्ताव है उसे पास कर दें ।

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

कुछ माननीय सदस्य : वे (कृषि मंत्री) एक्सेप्ट कर रहे हैं साहब ।

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी बहस हो गई है....

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर कोठारी का पहला हक है बोलने का ।

श्रीनाथूराम मिर्धा : मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं कि कोई बोले ही नहीं । आप चाहते हैं तो बोल लें, पर बहुत सी गलतफहमी इसमें चल रही है । इस बिल की क्या मंशा है और वे क्या चाहते हैं मैं इसका जवाब दे दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ? Order ? Shri Manohar Kothari may please continue the debate.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन जो हमारे सामने है उसके उद्देश्य और कारण का विवरण देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि टिम्बर वगैरह की कीमतें बढ जाने के कारण यह जुर्माने में वृद्धि की जारही है । इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं । मैं समझता हूं कि कानून बनाने का एक उद्देश्य और मंशा यह रहती है कि जो अपराधी और जो अपराध कम हों । तथा इसी बात को मद्दे नजर रख कर हरेक कानून बनाया भी जाता है । तो ऐसा स्थति में मैं नहीं समझता कि किसी चीज की कीमत को ध्यान में रखकर सजा की व्यवस्था करना कहां तक उचित है और यदि यह कानून इस बात को मद्दे नजर रख कर बनाया गया है कि जंगलात में जो अपराध होते हैं वे कम हों, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये केवल अर्थ दंड को बढाना ही पर्याप्त नहीं होगा ।

(श्री मनोहर कोठारी)

अगर अर्थ दंड बढाने की योजना के सिद्धान्त को हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें उसी अनुपात में दूसरी शारीरिक दण्ड संबंधी आवश्यकता थी ।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती कि आज जो जंगलात का डिमार्केशन किया हुआ है या नये सिरे से जो डिमार्केशन किया जा रहा है, उसमें बहुत ही बड़ी अव्यवस्था हुई और आज भी आये दिन होती है । यह भी कहूं कि बडे अव्यवहारिक ढंग से गांवों में डिमार्केशन किया गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

कई जगह गांव के गांव और गांवों के बाहर की सीमा जंगलात में आ जाती है, कई जगह लोगों की मकबूजा जमीन जंगलात में आ जाती है, कई जगह उपजाऊ खेत इस में आ जाते हैं । किसान वहां पर अपने बैल ले जाते हैं । हमार यहां के किसान अनपढ हैं और दूसरी बात यह है कि उनकी पुरानी आदत होने के कारण अपने साथ में तंबाखू पीने की दृष्टि से वे लोग अक्सर आग ले जाते हैं, इसी प्रकार से जंगली जानवरों से बचने के लिये भी आग ले जानी पड़ती है ।

आप यदि कभी हमारे उस क्षेत्र की ओर पधारें और देखें, तो आपको पता चलेगा कि जहां गांव की सीमा खत्म होती है उसके कोई २० गज के फासले पर ही कहीं प्रोटेक्टेड जंगल की सीमा शुरू हो जाती है, तो कहीं रिजर्व फोरेस्ट की सीमा शुरू हो जाती है । आये दिन लोगों को अधिकारियों की धांधली बाजी का शिकार होना पड़ता है और व्यर्थ की परेशानियां उठानी पड़ती है । आज यहां पर जो कारण बताया गया है, वह उचित कारण जान नहीं पड़ता है ।

इसके सिवाय यह कहा गया है कि टिम्बर की कीमत बहुत बढ़ गई ह और दस गुनी बढना कहा जाता है । जयपुर या दूसर बड बडे शहरों में यदि इतनी कीमत बढना कहा जाय, तो माना भी जा सकता है, इसलिए कि जयपुर और बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर इतने पेड़ पैदा नहीं होते है । लेकिन हमारे गांवों में लकडी की कीमत इतनी नहीं बढी है, जितनी बताई जाती है । यदि बढी भी होगी तो ड्योढी या दुगुनी बढ़ना मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया है यदि कीमत दस गुनी बढ़ जाती तो हमारे गांवों और जंगलों में रहने वाले लोग आज काफी खुशहाल हो गये होते और उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो गई होती, लेकिन यह स्थिति उनकी नहीं है । यदि हम वास्तव में समस्या का समाधान चाहते और चाहते हैं कि अपराधों में कमी हो, तो सबसे आवश्यक बात यह सोचने की है कि डिमार्केशन की दुबारा जांच होकर पुनः सीमा निर्धारित करनी चाहिये। अभी नई विज्ञप्ति निकली है, उसके अनुसार नये सिरे से कई क्षेत्रों में नया डिमार्केशन शुरू होता है। जहां नया डिमार्केशन शुरू होता है, वहां पर गांवों के लोग इकट्ठे होते हैं और फोरेस्ट अधिकारी बिना कुछ सोचे समझे लोगों की अफवाओं और न्यायोचित लोगों के विरुद्ध डिमार्केशन करके चल देते हैं। ऐसे भी अवसर गांव देखे गये हैं कि बडे अधिकारी मौके पर पहुंचते भी नहीं, जब कि सूचना होने से लोग दिन भर बैठे बैठे परेशान होते हैं। आये दिन ऐसी बातें देखने में आती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कि डिमार्केशन लाइन नये सिरे से जांच करके बनाई जाय और गांवों से दूरी पर डिमार्केशन लाइन शुरू की जाय।

इसके सिवाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे जंगलों में रहने वालों की स्थिति बहुत बुरी और दयनीय है। जानवर आखिर जानवर है। जानवरों को डोरी से बांध कर मनुष्य हर समय उनके पीछे नहीं भाग सकता। जानवर गांवों से निकलते हैं और गांव के नजदीक ही जंगल की डिमार्केशन लाइन होने के कारण उसमें घुस जाते हैं, तो जंगलात के कर्मचारी उनको पकड़ कर हैरान करते है। आज भी जब यह स्थिति है और यदि हमने बिना सोचे विचारे इस तरह की बातों के लिये दो हजार रुपयों तक के जर्माने की व्यवस्था करदी तब तो फिर भगवान ही मालिक है। इसलिये यह

Page No.57

(श्री तनसिंह)

प्रस्ताव अनुचित है। मैं यह भी निवेदन करदू कि हमारे गांवों के कई घरों में दो हजार रुपयों की कुल सामग्री भी नहीं होती। घर, जेवर और घर के दूसरे सामान को जिन्हें वे अपने जीवन का आधार मानते हैं, उसको बेच दिया जाय, तो भी उनको इतनी रकम नहीं मिल सकेगी जिससे यह जुर्माना चुकाया जासके कई वर्षों से पिछड़े हुए लोग हैं उन के घरों में दो हजार रुपयों की सामग्री मुश्किल से मिलती है। ऐसी हालत में आर्थिक दण्ड की परम्परा के जरिये आप अपराधों में कमी नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि राज्य के कोष में पैसा आवे लेकिन इससे आम व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसको कष्टों का मुकाबला करना पड़ता है। इस प्रकार के अधिकार अधिकारियों को आप देते चले जाते हैं उसका बड़ा मिसयूज और दुरुपयोग भी होता है जो आये दिन अनुभव करते रहते हैं। मैं अन्त में यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने एक नई योजना भी बना रखी है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के जरिये जंगलों की व्यवस्था करने की योजना है। लेकिन अफसोस होता है कि उन गांवों में जंगल बनाने की बात तो दूर रही लेकिन आज नये नये झगडे होते हैं फोरेस्ट विभाग और रेवेन्यू विभाग के बीच में। जो बिला नाम जमीन पडी हुई होती है, उसके बारे में फोरेस्ट वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह हमारी है। इसी तरह से ठेका देने के सम्बन्ध में भी झगड़ा होता है, जमीन देने के सम्बन्ध में झगड़ा होता है। अभी नई विज्ञप्ति निकली है, उसके मूल में भी यही बात है जो जमीन रेवेन्यू के हाथ में अभी है वह फोरेस्ट विभाग के हाथ में लेना चाहते हैं। यदि पहाड़ी क्षेत्र में बिला नाम जमीन नहीं बचेगी तो जो जन संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है वह भविष्य में किस तरह से अपना काम चलायेगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह संशोधन उचित नहीं है, किसी भी आधार पर उचित नहीं है और इसके लिये जो कारण प्रस्तुत किये हैं उन कारणों के आधार पर इसकी तस्दीक और ताईद नहीं की जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में हमारे यहां के अपराधों को कम करने की दृष्टि से प्रस्तुत संशोधन लाया जा रहा है।

एक यह दलील भी दी जा सकती है कि हम ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं जो ठेकेदार हैं और रिवर्ज फोरेस्ट में जाकर लकड़ी काटते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार आये दिन अपराध होते हैं लेकिन जान बूझ कर उनको दरगुजर कर दिया जाता है। मैं कुंभलगढ की बात कहता हूं। एक समय था जब कि कुंभलगढ के चारों तरफ घना जंगल था, उस जंगल में होकर किले में जाना आसान नहीं था, वहां की पहाड़ी आज चारों तरफ से सूखी और वीरान नजर आती है, वहां के जंगल काट लिये गये हैं। और वह भी बिना अधिकार के काटे गये हैं। चीरापूंजी में, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसी प्रकार राजस्थान में कुंभलगढ में होती थी वहां आज जंगल कट जाने की वजह से लोग पानी के लिये तरसते हैं और राजसमन्द झील पानी के बिना खाली पड़ी है। यह आज इस बात का प्रमाण है कि आप जंगल की रक्षा कर रहे हैं या बरबादी कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ५४ में जो संशोधन आया है वसा संशोधन क्यों आता है, इसका कारण एक ही मेरी समझ में आता है और वह यह कि हरएक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र को बढाना चाहता है। चाहे वह फोरेस्ट का महकमे का अधिकारी हो या रेवेन्यू का अधिकारी हो हरेक क्षेत्र को बढाने की कोशिश करता है। मैंने एक दफा रफीएहमद किदवाई का भाषण सुना था वह मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि हमारे शासन में तन्त्र होते हैं, जो अपना अपना फैसला करने की दिशा में कानून बनाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरों के अधिकारों को छीन कर अपने अधिकार बढाना चाहते हैं। इसी तरह से शासन तन्त्र के फैलाव की वजह से दफा ५४ में एक अमेन्डमेन्ट आया कि आपके सुपीरियर ऑफिसर हैं वे चालान मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और इसका कारण यह बतलाया

(श्री मूलचन्द डागा)

गया कि क्योंकि ऊंचे अधिकारियों के पास इमिडियेटली पहुंच नहीं सकते, इसलिये आसानी के लियें यह अधिकार देते हैं कि सुपीरियर ऑफिसर चालान पेश कर सकता है। लेकिन जिस आफिसर ने इन्वेस्टीगेशन किया उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने होंगे। आपने लिखा है,..such official superior shall, with all convenient despatch, make a report of the seizure to the Magistrate"

आप सुपीरियर ऑफीसर को अधिकार देते हैं, लेकिन आखिर में उस अफिसर को भी जिसने इन्क्वायरी की है, कोर्ट में पेश होना पड़गा और आपने इसमें जो संशोधन किया है, उसके क्या अर्थ निकलते हैं? उसका अर्थ यह होता है कि चालान पेश करने वाला सुपीरियर ऑफीसर और ऊपर वाला ओफीसर जिसने इन्वेस्टीगेशन किया है, दोनों ही कोर्ट के सामने जायेंगे, इसलिये जायेंगें कि एक तो चालान पेश करता है और दूसरा कहेगा कि मैंने इन्क्वायरी की है। आपने जो संशोधन धारा ५४ में किया है उसका मतलब होगा कि गवर्नमेन्ट का और खर्चा किया जाय और काम बढाया जाय और दूसरा अर्थ इसका सामने नहीं है।

दूसरा आपने संशोधन किया है सेक्शन ६८ में। सारी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश की है। बात यह है कि राजस्थान सरकार सोच रही है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग किया जाये, लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट चाहता है कि एग्जीक्यूटिव की पॉवर को और बढाया जाय। सेक्शन ६८ के द्वारा आप जुडिशियरी की पावर को कर्टेल करना चाहते हैं।

सारी दुनियां इस बात को सारा हिन्दुस्तान इस बात को चाहता है कि जुडिशियल पॉवर्स बढाना चाहते हैं और एक्जीक्यूटिव पॉवर्स कम करना चाहते हैं। आपने यह सोचा कि ६८ धारा के द्वारा आपकी जो एक्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं, वे कर्टेल नहीं होती और जुडिशियल पॉवर्स हैं, वे कर्टेल हो जाती हैं। जो ६८ धारा है, उसमें आपकी मन्शा यह है कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के जो आफीसर्स हैं, जो अधिकारी वर्ग है, उन्हें और अधिकार दिये जायें। इस संशोधन से, मेरे ख्याल से, यह परपज नहीं है कि १० गुनी टिम्बर की कीमत बढ गई है, उसके कारण यह कर रहे हैं। मैं प्रश्न करूं कि जो गांव में रहने वाले हैं उनकी खरीदने की शक्ति बढ गई है, या घट गई है, या क्रय विक्रय की शक्ति बढी है या घटी है। आप देखते हैं कि आज सब चीजों की कीमत बढ गई है, लेकिन आदमी के खरीदने की शक्ति उतनी ही रह गई है? मैं समझता हूं कि आप बांसवाड़ा में जायें और देखें कि खरीदने की शक्ति बढी है या घटी है। सवाल यह आता है कि जितने माननीय सदस्य बोले उन्होंने यह बतलाया कि केटिल ट्रेस-पास के ऑफेन्स की जो धारा है, उसके लिए दो हजार का जुर्माना रखा है। सब माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे और मैं समझता हूं कि हर पढने वाला कहेगा कि इस बिल में छोटे से ऑफेन्स के लिये, केटिल ट्रेसपास के लिये २४ धारा में जो दन्ड देने का अधिकार दे रहे हैं, धारा २४ के अन्दर केटिल ट्रेसपास के लिये २ हजार का जुर्माना रख रहे हैं और उसके विपरीत पंचायत के पास जो अधिकार है, वह कितना है, आप जिस रूप में संशोधन ला रहे हैं और जिस रूप में संशोधन बिल को पारित करना चाहते हैं। आज जो हमारा फोरेस्ट का महकमा है, उसके जो अधिकारी हैं, उनको डर है कि मजिस्ट्रेट और फोरेस्ट अधिकारी में आपस में झगडे न हो जायें। कलेक्टर एक सूचना पूछता है और फोरेस्ट आफिसर कहता है कि मैं इसका कैसे ही निपटारा कर लेता हूं। आपको मालूम होना चाहिये कि मजिस्ट्रेट की जुडिशियल पॉवर्स अलग हैं, उसके फंक्शन अलग हैं, उससे आपको कोपरेशन करना चाहिये। सवाल यह है कि जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव की अपनी अपनी पॉवर्स हैं, इन पॉवर्स को बढाने का झगड़ा है। मैं समझता हूं कि किसी फोरेस्ट आफिसर को कोर्ट में हैरान किया है और उसने यह संशोधन पेश कर दिया है। इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं है। तो मैं यह

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रार्थना करूंगा कि ऐसे संशोधन को, जिस संशोधन से परपज सिद्ध नहीं होता, जो आपका परपज है, उसको पूरा यह संशोधन नहीं करता है, यह संशोधन कोई तथ्य नहीं रखता और तथ्यहीन संशोधन को विधान सभा से पारित करवाना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हमें जनता को देना पड़ेगा। इसलिये म समझता हूं कि यह संशोधन काम का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवचरण दास।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : हमें टाइम नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : समय का विभाजन करना भी बडा कठिन कार्य है।

श्री नाथूराम : उसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसका लिहाज रखता हूं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है, आशा तो यह थी कि आये दिन हमारे सदन के अन्दर वन विभाग, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट, जो नागरिकों के ऊपर एक भार स्वरूप है उसमें कुछ और सुविधायें होंगी। बजाय इसके आज हमारे सामने एक और भार लाद दिया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर अब बहुत ज्यादा वजन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई नई बात नहीं की गई है, सिर्फ, जो बातें थीं, उनको बढ़ा कर रख दिया है। जैसा कि अब तक बोलने वाले माननीय सदस्य ने इसका काफी वर्णन कर दिया है और मैं समझता हूं कि अब इसको प्रवर समिति में तो देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसका इतना विश्लेषण और विवरण करने के बाद मन्त्री महोदय इसको अब पारित करें या पास कराने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा। आज कई माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट किया है कि किसी अपराध को रोकने के लिये हम उसकी कीमत को बढ़ा दें, यह आवश्यक नहीं है। सवाल यह है कि अपराध होता क्यों है, उसके कई कारण होते हैं। अगर थोड़े बहुत अपराध जंगलात विभाग में होते हैं, तो उसका कारण है कि हमारे नागरिकों को लकड़ी रोजमर्रा के लिये चाहिये और वे लकड़ी को प्राप्त करने के लिये विवश हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे साधन नहीं हैं। अगर इस बिल को पेश करने से पहले मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देते कि हमारे प्रान्त में अधिकतर भाग ऐसे हैं, जिनमें निवासियों को सिवाय जंगलात से लकड़ी लाने के काम के दूसरा कोई साधन अपने जीवन को चलाने के लिये प्राप्त नहीं है। ऐसी हालत में उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगायें, उससे पहले उनके जीवन में वे सुविधाये लाने की चेष्टा करते, उनके लिए कोई उद्योग धन्धे खोलते, कोई ऐसा काम करते, जिससे वे अपने जीवन के लिये जो नित्य काम में आने वाले साधन हैं, वे उन्हें पर्याप्त रूप में मिलते, अपने निज के जीवन में आवश्यक सुविधायें प्राप्त कर सकते। ऐसा करने के बाद में संशोधन को लाते, तो फिर भी उपयुक्त होता। लेकिन इस मौके पर आज उन पर यह बन्दिश लगा दी जाती है, तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के जीवन निर्वाह के लिये उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो जायगी। इसके साथ ही आप एक तरफ यह कहते हैं, जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया है कि हम जुडिशियरी को एक तरह से अलग रख कर उसके अधिकार को बढाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके अधिकारों को छीन कर, उन अधिकारों को आप अलग अलग महकमों में विभाजित करते हैं, मैं समझता हूं कि यह हमारे नागरिकों के लिये किसी तरह उपर्युक्त नहीं होगा। इसके लिये कुछ दलीलें दी जाती हैं, जैसे कि हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य, जो मावली से आने वाले हैं, ने एक विचित्र रूप से दलील दी है कि विरोधी दल वालों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप मान लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उच्च आदर्शवादी मानते हैं। उनके शब्दों से मुझे बडा दुःख होता है। मैं कहूंगा कि उन्होंने शिष्टाटार

(श्री शिवचरण दास)

को भ्रष्टाचार का रूप दे दिया है। अगर हम नागरिकों के जीवन की असुविधाओं को दूर करने की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें सुविधायें मिलें, तो उसके लिए विरोधी दल को इस प्रकार आरोपित करते हैं। मैं समझता हूं कि उनके लिए शोभा की चीज नहीं है। आज मुझे यह देख कर खुशी हुई कि हमारे इस सुझाव का दोनों तरफ से एक विचारधारा के साथ समर्थन हो रहा है उसी तरह से वह भी समर्थन करते तो वह एक चीज होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब तक जो कीमत बढ गई है, उससे यह जरूरी नहीं होता कि ५०० रुपये से बढा कर २ हजार तक कर दें। ऐसा कारण नजर नहीं आता। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें, बल्कि मैं तो माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष, आज इस संशोधन बिल को, जस पर आज वाद-विवाद हो रहा है, पेश करने से पहले माननीय मन्त्री महोदय ने पिछड़े हुए क्षेत्र का दौरा करके अध्ययन कर लिया होता तो इस बिल को पेश करने का मौका नहीं होता। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ आदि जिलों के अन्दर हजारों आदिवासी रहते हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी सी जंगलात की जमीन है, जो उनके उदर पूर्ति का साधन है, उस पर वे खेती करते हैं किसी के पास दो बिस्वा जमीन है, किसी के पास पांच बिस्वा जमीन है, किसी के पास दो बीघा जमीन है, वहां वे झौपड़ियों में रह कर जंगलों की रक्षा करते हैं और अपने जीवन के निर्वाह के लिये जंगल से पेड़ों की पतली पतली डालियां को छटतरी कर यानी काट कर लाते हैं और उससे आमदनी कुछ करते हैं। इस संशोधन कानून की धारा २६ और ३३ में इसके लिये ५०० रुपये से लेकर २००० रुपये के दन्ड की व्यवस्था की जाती है, यह बिल्कुल अनुचित है। आदिवासियों क्षेत्रों में रहने वाले काश्तकार सारे जीवन भर काम करें तो भी तो दो हजार रुपया इकटठा नहीं कर सकते। इस बिल से क्या होगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनसे उत्थान के बजाय, उनकी अवनति का यह संशोधन कानून बन रहा है। उन लोगों में न शिक्षा है, न उनके पास कोई दूसरा साधन है, न पर्याप्त जमीन काश्त के लिये है, इसलिये जंगलात में रहने वाले इन लोगों के लिए यह कानून बिल्कुल अनुचित है।

अब माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में ही नहीं, दूसरे जिले और दूसरे डिविजन भी हैं उनमें भी आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं। यह कानून बन रहा है, उनके लिये यह बहुत खतरनाक होगा, उनके घरों से मवेशी निकलते हैं, जंगल में चरने जाते हैं, थोडी बहुत खेती भी कर लेते हैं लकड़ी से निर्वाह भी करते हैं और जंगलों की रक्षा करते हैं। अगर किसी गरीब भाई ने सर्दी की मौसम में ठंड से बचने के लियें साधारण पेड को काट लिया तो उसके घर की बरबादी हो जायेगी, कारण कि वह न तो २००० रुपया दे सकता है, उसके लिये यह होगा कि या तो वह जेल में जाय या अपने बच्चों को गिरवी रख कर कर्मचारियों को पैसे देगा या अर्थ दन्ड देगा। उन निर्धन व्यक्तियों के लिये यह संशोधन बिल बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसकी धारा २६ और ३३ में ५०० से २००० रुपया तक की व्यवस्था जुर्माने की है, उसका मैं विरोध करता हूं। विशेष कर मन्त्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इस संशोधन बिल को वापिस ले लें तो वहुत अच्छा होगा। जहां कोम्युनिटी डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स और एन. ई. एस. ब्लोक्स चल रहे हैं, वहां पंचायतों के द्वारा गांवडी जंगलों की रक्षा के लिये आदिवासियों ने कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं, पर उस पर गौर नहीं किया गया है। किसी जंगले में रहने वाले निर्धन झौंपडी में हैं तो उसके आस पास जंगल की रक्षा होती है और जहां झौपड़ियां नहीं हैं वहां जंगल नष्ट हो गये हैं और जो सर्वे भी जंगलों की है वह ऐसी हुई है कि पत्थरों के ढेर पृथक पृथक इकट्ठे कर दिये गये हैं और आबादी के बीच में सर्वे की

(श्री नाथूराम)

लाइने लगादी हैं, वे गरीब लोग समझते नहीं हैं, वे यही जानते हैं कि जंगलात वालों ने लाइनें लगादी हैं। जो सर्वे की गई है, वह ठीक ढंग से नहीं की गई है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निर्धनों के लिये ये कानून बहुत खतरानाक हैं, वे इस संशोधन बिल को वापिस ले लें या जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने निवेदन किया है इसे प्रवर समिति में दे दिया जाय, नहीं तो लाखों निर्धन लोग जंगलों में रहते हैं। उनकी इस कानून से बर्बादी हो जायगी।

(अनेक माननीय सदस्यों से बोलने के लिये खडे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, वन मन्त्रीजी ने हमारे जंगल के कानून में संशोधन करने के लिये जो एक बिल पेश किया है, उसका उद्देश्य बताते हुए यह बतलाया है कि आज कल लकड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा होगई हैं इसलिये कम्पेन्सेशन और जुर्माने की जो रकम रखी गई है, वह बहुत थोड़ी है, उन्हें बढ़ाना चाहिये, जुर्माने और कम्पेन्सेशन की रकम बढ़ानी चाहिये, ५०० रुपयों के जुर्माने के स्थान पर २००० रुपया जुर्माना और ५० रुपये कम्पेन्सेशन के स्थान पर २००० रुपया कम्पेन्सेशन रखा जाय। सदन के सदस्यों पर इसका यह असर पड़ा कि इस बिल को पेश करने के पीछे मन्त्री महोदय का आर्थिक स्वार्थ है। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय से कि इसके उद्देश्य के पीछे एक धारणा और है जिसको स्पष्ट करने की मन्त्री महोदय ने कोशिश नहीं की, यदि वह इसे प्रकट कर देते तो आज इस बिल का इतना विरोध नहीं होता। मन्त्री महोदय की इस उद्देश्य के पीछे धन इकट्ठा करने की धारणा नहीं है, उनकी धारणा राजस्थान की वन सम्पत्ति की रक्षा है। उसको अधिक से अधिक उन्नत किया जाय और उसी धारणा को लेकर यह विधेयक सदन के सामने रखा है। पर मन्त्री महोदय जिस वक्त सदन में पेश करने के लिये इस बिल का निर्माण करने, बिल बनाने बैठे तो क्योंकि आपका सम्बन्ध कान्ट्रेक्टर्स (ठेकेदारों) से रहता है और आप हर वक्त ठेकेदारों के विचार में मग्न होते हैं इसलिये आपने सोचा कि इस बिल का सम्बन्ध ठेकेदारों से होगा इस लिये आपने सोचा कि ५०० के स्थान पर २००० का जुर्माना रखें तो ठीक होगा और कम्पेन्सेशन के ५० रुपयों के स्थान पर २००० रुपये रखें तो ठीक होगा। पर आपको विचार करना चाहिये था कि इस कानून का सम्पर्क राजस्थान की उस गरीब जनता से है, जो जंगलों में रहती है। अगर मन्त्री महोदय इसमें एक धारा और एड कर दें कि यह कानून केवल ठेकेदारों पर लागू होगा और गरीब जनता पर लागू नहीं होगा तो मुझे विश्वास है कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य इस कानून का स्वागत करेंगे। पर कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिये या वर्ग विशेष के लिये नहीं बनाया जा रहा है, यह तमाम राजस्थान के लिये बनाया जा रहा है इसमें ५०० रुपया जुर्माना के स्थान पर २००० रुपया जुर्माना और ५० रुपया कम्पेन्सेशन के स्थान पर २००० रुपया कम्पेन्सेशन की रकम रखी है उसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसे इस सदन से पास करायेंगे, तो इसके बुरे से बुरे जो परिणाम निकलने होंगे वे हम लोग जानते हैं। राजस्थान का कोई आदमी इसका सामना नहीं कर सकेगा। और फिर हम आपको आकर कहेंगे कि यह कानून राजस्थान की गरीब जनता के योग्य नहीं है, तो उस समय हमारी कोई नहीं सुनेगा और अगर हम आकर कहें कि उन लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है, इसलिये इस कानून को हल्का करदें तो उस समय हमारी कोई नहीं सुनेगा।

अगर इस कानून का सम्पर्क अमीरों के साथ होता, तो एक अमेन्डमेन्ट आने की जरूरत होती। आज अस्पृश्यता निवारण कानून बन गया, उसकी राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में अवहेलना हो रही है, हम मन्त्री महोदय से कहते हैं कि इस कानून का

(श्री रामचन्द्र)

पालन नहीं होता है, तो वे कहने लगे "कानून तो कानून होता है, इसका सम्बन्ध हृदय परिवर्तन से है...."

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member wil speak to the question please.

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को नहीं कहना चाहता, म तो एक रेफेरेन्स के रूप में कहता हूं, इस विषय में आगे नहीं बोलूगा। दो सिमिलर कानून बन रहे हैं, जहां अस्पृश्यता निवारण कानून की अवहेलना होती है और मन्त्री महोदय को आकर कहते हैं कि इस कानून का पालन नहीं होता, इसकी सब जगह अवहेलना हो रही है, तो उत्तर देते हैं कि इसका सम्बन्ध हृदय परिवर्तन से है। पर आप जो कानून बनाने जा रहे हैं वह गरीबों से सम्बन्धित रखता है और इसको तो मन्त्री महोदय भी मानेंगे कि इसे गरीबों के वास्ते हल्का करना चाहिये।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति को तो सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं, वह वन मन्त्री जी स्वयं वन विभाग के मामलों में एक्सपर्ट हैं आप स्वयं इसको ऐसा बनादें कि जनता इसको सहन कर सके।

(पुनः कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान फोरेस्ट अमेन्डमेन्ट बिल, १९५८ को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और जिसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सदन में अपने विचार रखे, यदि वे सारे विचार मन्त्री महोदय ने सुने होंगे तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि एक मावली से आये हुए माननीय सदस्य को छोड़ कर सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए और कोटा डिविजन से आये हुए माननीय सदस्य ने उन गरीबों और गरीबी के नाम पर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की दलील दी।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो समझता हूं कि जितनी भी दलीलें और तकरीरें इस सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखी है, उन सबके पश्चात् यह अभी कहने की आवश्यकता नहीं और मैं यह समझ रहा था कि माननीय मंत्री महोदय इनको सुनने के बाद अभी तक खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर लेते। प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव यद्यपि इस पक्ष से था, लेकिन उस पक्ष के अधिकांश लोगों ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि कानून की दृष्टि से जितनी खामियें है, उन सारी बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो बातें स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दी गई है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कानून तो प्रस्तुत कर दिया मगर उसके पहले उन्होंने इसको पढ़ा नहीं, अगर पढ़ते, तो वे इस प्रकार की तर्क और दलील कभी नहीं देते। माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने शुरू में कारण बताया और सबसे मोटा कारण यह बताया है कि जिस कारण से यह संशोधन हुआ और वह यह कि लकड़ी की कीमत ज्यादा हो गई। कीमतें बढ़ गई है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि लकड़ी की कीमत ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। सब की कीमतें बढ़ रही है। उसको बिना कोई आधार लिये कानून में संशोधन किया जाना, कहां तक न्याय संगत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेंज खाली हैं और कोई माननीय मंत्री नहीं हैं, इसलिये

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। कौन सुनेगा और उत्तर देगा।

श्री उपाध्यक्ष : He is presumed to be within the precincts of the House.

एक माननीय सदस्य : वे सदन में ही हैं। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, हम सुनते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसका जवाब थोड़े ही देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) मैं निवेदन कर रहा था कि यह तर्क दिया गया है कि कीमतें १० गुना ज्यादा बढ़ गई है और इस बात के लिये आवश्यकता समझी कि जो लोग चोरी करके लकड़ी ले जाते हैं उन लोगों को १० गुना या ४० गुना ज्यादा पेनाल्टी देनी होगी और इसीलिये यह पेनाल्टी रखी जावे। इसलिये उसको रोकने के लिये यह बिल हमारे सामने आया जिस प्रकार सदन में दूसरे आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले पनरवा कांड का जो जिक्र आया कि इतना बड़ा भारी जंगल १८ हजार में क्यों ठेके पर दे दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी ने जवाब दिया कि पहले यही जंगल १५ हजार में दिया हुआ था और अब १८ हजार में दिया है। माननीय उपाध्यक्षजी, उन्होंने उस समय यह कहा था कि १५ हजार के जंगल का ठेका १८ हजार में दिया गया है, यह तर्क देकर सब को चुप करना चाहा। उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी को चाहिये तो यह था कि इस कानून के अनुसार जैसा वे कहते हैं कि कीमतें १० गुनी बढ़ गई हैं और चोरी करने वालों को सजा दी जावे, उसी प्रकार दस गुना लकड़ी की कीमत के हिसाब से जो बढ़ी हैं, १५ हजार के जंगल को १॥ लाख में देना चाहिये था, मगर जब इस प्रकार की बातें आती हैं, तो उनका जिक्र नहीं करते, उन बातों को चबा जाते हैं, खा जाते हैं। उनके बारे में यह कह कर कि जनता के साथ न्याय नहीं होगा, सरकार को घाटा नहीं हुआ, ३ हजार का फायदा हुआ, जनता का हित नहीं होगा आदि कह कर टाल देते हैं। उसके बारे में कानून नहीं रहता, जांच नहीं करते, कदम नहीं उठाते और न उनको दंड देते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका असर गरीबों पर पड़ेगा। गरीबों का सबंध आपका नहीं है, गरीबों का संबंध हमारा है, गरीबों का संबंध इस पक्ष का है, इसीलिये हम बोलते हैं। आपका संबंध गरीबों से नहीं, आपका संबंध अमीरों से है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि उन गरीब लोगों के गांवों में छोटे २ झोंपड़े हैं, ढाणियें हैं, गांव हैं उनके पास से होकर डिमार्केशन लाइन शुरू हो जाती है और जंगल विभाग शुरू हो जाता है। जंगल के बीच से होकर सड़कें जाती हैं, जंगल के बीच में लोग रहते हैं। वे लोग जंगल में रहते हैं और हो सकता है कि उनके जानवर जंगल में चले जाएं। अगर कोई भी उनका जानवर जंगल में चला गया और इंचार्ज और रेंजर से उसका आपस में कोई झगड़ा हो गया या डी. एफ. ओ. से उसकी दुश्मनी हो गई, तो वे लोग उससे बदला लेने की भावना से किसी प्रकार का जुर्म बना सकेंगे। या उसने किसी प्रकार की रिश्वत उनको नहीं दी, तो वे इस प्रकार का जुर्म बजा कर उससे कह सकते हैं कि हम दो हजार रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यह तो एक बड़ी विचित्र सी बना होगी। मान लें कि किसी नागरिक का जंगल में कोई जानवर चला गया और रेंजर या डी. एफ. ओ. उससे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, तो वह उस पर इस कानून के अनुसार जुर्माना कर सकते हैं। इसके आगे चूंकि उसको कम्पाउण्ड के पावर दिये गये हैं, इसके लिये आज निश्चित रूप से कहा जा सकता है और माननीय सदस्यों की इस प्रकार की भावना और शंकाएं हैं कि आज राजस्थान में फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट ही ऐसा डिपार्टमेण्ट है जिसमें सब से ज्यादा

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल)

भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करप्शन है और जिस समय उसका जिक्र किया जाता है तो मावली से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस पक्ष का भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। अगर आपके आचार विचार ऐसे होते तो आपको अपने विचार शिष्टाचार के नाते रखने होते। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि इस विभाग में छोटे से लेकर बड़े जिम्मेदार तक अधिकार देना कि वह २,०००) रु० तक के केस को कंपाउंड कर सके वह कतई उचित नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो १,०००) रु० वह खुद ले लेगा। माननीय उपाध्यक्ष, बात उसूल की है। डी. एफ. ओ. कहेगा कि तुमने नियम के अनुसार कसूर किया है और कानून अनुसार २,०००) रु० तक जुर्माना हो सकता है। ५००) रु० या हजार रुपये तुम हमको दे दो। तुमको फायदा होगा वह कहेगा कि हजार रुपये कहां से लाऊं। वह कहेगा कि १,०००) रु० का तुमको फायदा हो जावेगा और हजार का फायदा उसको जावेगा। यह उसूल की बात उसको समझाएगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून के द्वारा एक और गरीबों का कसूर नहीं होते हुए भी उनको अपराध में जकड़ लिया जायेगा और उनकी मुश्किलात होगी वहां दूसरी ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और वह चर्म सीमा पर पहुंच जावेगा और जितनी ज्यादा बुराइयें हो सकेंगी होगी।

इसलिये सारी दलीलें देने के बाद क्लॉज ६८ के एमेण्डमेण्ट के लिये कहा है कि इसको एक्साईज एक्ट के आधार पर बना रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्साइज एक्ट पहले बना हुआ है। पहले बने हुए कानून के आधार पर नया कानून बनाना कहां तक उचित होगा। एक तरफ तो आज इण्डियन एक्ट के अनुसार नई बातें पैदा हो गई हैं इसलिये उसके अनुसार कानून बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर एक्साइज एक्ट के आधार पर आप कानून बना रहे हैं जो पुराना बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, एक्साइज एक्ट में दूसरी बातें हो सकती हैं, उसके सामान्तर चलने के लिये कोई न्यायसंगत बात नहीं हो सकती कि उसके आधार पर कानून बनाये जावें।

इसलिये जो दलीलें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में दी हैं, मैं समझता हूं वे न्यायसंगत नहीं हैं और जो संशोधन करना चाहते हैं वह खतरनाक होगा। इसके लिये इस पक्ष के लोगों ने और उस पक्ष के लोगों ने शिकायत की है। इसलिये मैं वन मंत्री महोदय से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये जो प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस भावना का समर्थन करें और इसके लिये किसी प्रकार का व्हिप इश्यू नहीं हुआ है और न इस प्रकार के व्हिप की जरूरत है। यदि माननीय मंत्री महोदय सारे माननीय सदस्यों की भावना का आदर नहीं करते हैं और छोटी सी मांग को कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जावे जहां पर इस पर विचार हो जावेगा कि कितनी पेनल्टी रखनी चाहिये और कानून में क्या सजा रखनी चाहिये, इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा, तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर अपना मत दें।

३ म. प.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फोरेस्ट संशोधन बिल प्रस्तुत हुआ है और उसमें जो संशोधन पेश किया गया है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो दलीलें इसके बारे में अभी दी गई हैं कि गांवों में डिमार्केशन गलत हुआ है, जनता को बड़ी कठिनाई है और ग्रामीण लोगों को लकड़ी काटने में बड़ी दिक्कत ह वगैरा। मैं समझा नहीं कि आया जो संशोधित बिल है उसको पास नहीं करने से और प्रवर समिति के सुपुर्द करने से क्या डिमार्केशन बदल जावेगा?

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

क्या उससे लकड़ी काटने वालों को सुविधा मिल जावेगी ? जो हमारे सामने संशोधन बिल प्रस्तुत है और उसमें बताये संशोधन उपयुक्त हैं या नहीं ? इस बिल में पांच चार धाराओं में संशोधन करने का उल्लेख किया है उनमें ही परिवर्तन करना है। धारा २६, ३३, ३४, ५२ और ६८वीं धारायें हैं। यहां पर पानरवा कांड का जिक्र किया, लेकिन मैं कहता हूं कि जो संशोधन बिल आया है उसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यह देखना है। वह बिल कोई भ्रष्टाचार के लिये तो संशोधन नहीं लाया है। मेरी समझ में नहीं आया कि एक छोटे से संशोधन की बात को लेकर इतना प्रपंच बताना उचित नहीं है। हमें यह देखना चाहिये था कि जो संशोधन बिल में रखे हैं वे क्या इसमें आ सकते हैं ? इतना ही सवाल है फिर प्रवर समिति में भेजने का सवाल कहां रहता है ? मूल एक्ट की दफा २६ व २४ में जुर्माने की सजा बढ़ाई गई है, मैं उसके खिलाफ हूं। किसी कानून में अपराध की अर्थ-दण्ड से कीमत नहीं आंकी जाती है। माल की कीमत बढ़ जाने से क्या अर्थ-दण्ड बढ़ा दिया जाय ? यह उपयुक्त नहीं। यदि ऐसा ही होता तो भारत सरकार को भी डाकू और चोरों के लिये भारतीय दंड विधान की धाराओं में अर्थ दंड बढ़ा देना चाहिये। मैं कहूंगा कि यह कोई न्यायसंगत सिद्धान्त नहीं है। अर्थ दंड का जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक तो व्यक्ति विशेष से है, कि वह अपराधी अर्थ-दंड दे सकता है या नहीं। न्यायालय यह सोचता है कि अर्थ-दंड का भोगनेवाला उसका भार उठा सकता है या नहीं। इसलिये इस बिल में यह बताया गया कि चूंकि टिम्बर, लकड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं इसलिये अर्थ-दंड भी बढ़ा देना चाहिये, यह मेरी समझ में नहीं आया। अर्थ-दंड बढ़ा देने से जुर्म कैसे मिटेगा यह भी मेरी समझ में नहीं आया ? सजा भी इन धाराओं में पहले से ही मौजूद है वैसी स्थिति में अर्थ दंड को बढ़ाना उचित नहीं है। मूल एक्ट की इन धाराओं में यदि सिर्फ मामूली अर्थ दंड होता तो मैं भी समझता कि अर्थ दण्ड कुछ बढ़ाना चाहिये। अब मूल एक्ट में सजा का प्रोविजन पहले से मौजूद है, तो अर्थ-दंड को बढ़ाने की जो व्यवस्था इस अमेण्डमेण्ट बिल में मंत्री महोदय ने रखी है उसके समर्थन में मैं नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने इस विषय में जितनी बातें रखी हैं, जो वन एरिया से आनेवाले माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनके विचार में भी अर्थ-दंड बढ़ जाने से ज्यादा कष्ट बढ़ जावेंगे, इस भावना को सामने रखते हुए अर्थ दंड का जो संशोधन रखा है मंत्री महोदय उसके बारे में मेरे सुझाव को मान लेंगे और उस अर्थ-दंड के बढ़ाने के संशोधन को इस बिल से निकाल देंगे तो अच्छा होगा।

दूसरी बात दफा ५२ व ५४ के बारे में मुझे कहनी है। एक माननीय मित्र ने कहा कि एक इमिजियेट ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के सामने आना पड़ेगा और उससे बड़े ऑफिसर को भी आना पड़ेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें यह उल्लेख है कि दूर दूर जंगल है, वह मजिस्ट्रेट जिसके के अधिकार क्षेत्र में वह जंगल है, यदि वहां जुर्म हुआ है तो उसकी फोरेस्ट ऑफिसर को मजिस्ट्रेट को इन्फोर्मेशन देनी होगी। और वह इसकी खुद भी दे सकता है और उसका उच्चाधिकारी भी दे सकता है। यदि खुद न जाय और जुर्म की सूचना न पहुंचे तो कानून का उल्लंघन होता है। इसलिए मंत्री महोदय ने इसमें यह संशोधन रखा है कि दोनों ही तरह से, यानी उच्चाधिकारी या खुद इमिजियेट ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने आवे और सूचना दे। इसमें जो बातें कही गई हैं गरीबों के गले घोटने की बातें हैं मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

दफा ६८ में मुआवजे की रकम को अधिकतर बढ़ाया गया है। यह दफा समझौते के लिए है। समझौता दोनों पार्टीज में होता है। दोनों पार्टीज के एक मत होने से ही समझौता हो सकता है और अगर मान लिया जाय कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी नहीं मानती है तो अधिकारी को चालान पेश करना पड़ता है। समझौते के लिए जो बात कही जाती है उसे न समझ कर उस आधार के विपरीत यह कहा जाय कि ऐसे अधिकारी दे दिये हैं

Page No.66

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

कि जैसे ऑफिसर दो हजार रुपया जुर्माना कर देगा, मैं निवेदन करूंगा कि यह उपयुक्त नहीं, यह तो समझौते की बात है । यह इसलिए है कि लोग न्यायालयों में न घूमें और आपस में समझौता करलें ।

२६ व ३४ धारा के संशोधन ठीक नहीं हैं उन पर माननीय मंत्री महोदय फिर से विचार करेंगे और संशोधन लाकर उनको हटा देंगे जिससे अधिकतर सदस्य को जो संशय हुआ है वह मिट जावेगा । बाकी धाराओं के लिए जो संशोधन रखा है उचित है और जल्दी से जल्दी इसको पास करना चाहिए ।

श्री सूबेदार सिंह (वाडी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है जंगलात के विषय में है । राजस्थान में जंगलात का जो महकमा है वह विशेष महत्व रखता है । राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां रेगिस्तान का हिस्सा ज्यादा है । वृक्षों को संरक्षण देने के नियम सरकार ने बनाये हैं । वे आवश्यक हैं और मदद करनी चाहिए और नियम बनाने चाहिए । लेकिन जहां तक यह बिल पेश किया गया है और यह बताया गया है कि लकड़ी की कीमत बढ़ जाने के कारण जो दंड देने का तरीका अपनाया हुआ है उसमें बढोत्तरी करके ५०० से २,००० तक मात्रा बढा दी जाय । यह बात समझ में नहीं आयी । राजस्थान प्रान्त में अधिकतर गांवों में बसनेवाले लोग हैं और जंगलों में बसनेवाले किसान लोग हैं । जब जंगलों का डिमार्केशन हुआ तो उनके गांवों के नजदीक हुआ । बहुत सी जगह यह देखने को मिलता है कि जहां जंगलात का एरिया मुकर्रर होता है उसके बीच में भी गांव के गांव आ गये हैं । कुछ डिमार्केशन उन गांवों के नजदीक भी है । अधिकतर किसानों को खेती के लिए लकड़ी चाहिए, हल के लिए लकड़ी चाहिए, जुए के लिए लकड़ी चाहिए, चारपाई के लिये लकड़ी चाहिये। कुंए पर लगाने के लिये उसको लकड़ी चाहिये। छोटे २ कामों के लिये किसान को हर वक्त लकड़ी की जरुरत पड़ती रहती है और निजी लकड़ी उसके पास न होने के कारण वह जंगलों से लकड़ी प्राप्त करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखने को मिलता है कि फोरेस्ट में फोरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो सिपाही मुकर्रर होता, है वह अधिकतर किसानों को तंग करता है क्योंकि ठेकेदार को तंग करने से मजबूर होता है। ठेकेदार के पास पैसा होता है, पढ़ा लिखा हुआ होता है वह उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता है और जब ठेकेदार नाजायज तौर पर काम करता है तो उसको वह रोक नहीं सकता । वह तो किसानों को ही तंग करता है । कोई किसान मवेशी चरने के लिये छोड़ता है, उसके छोटे २ ग्वाल नाबालिग हैं और अनजाने में किसी पेड़ पर कुल्हाड़ा चला देते हैं और लकड़ी कट कर जंगल में गिर जाती है, ऐसी सूरत में वहां के सिपाही को उन चरवाहों को अधिकारियों के पास ले जाने चाहियें । मैं जहां से आया हूं उस क्षेत्र की बात कहता हूं कि वहां यह हाल है । वह सिपाही अधिकारियों के पास नहीं ले जाता । गांव गांव के किसानों को पकड़ कर यह कह कर बैठ जाता है कि इतना रुपया दो नहीं तो तुमको पेश कर दूंगा, जुर्माने के रूप में तुम पर बड़ी भारी रकम होगी, वह तुमको चुकानी पड़ेगी और वहां तुमको तंग किया जायेगा, मुझे दे दो, शिकायत नहीं होगी । बेचारे किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं अधिकारियों के सामने जाने में झेपते हैं। उनको वैसे ही डर बना हुआ रहता है । मजबूर होकर सारे गांव से चन्दा इकट्ठा करके मवेशी चराने के रूप में दाखिल करते हैं । यही नहीं, एक पत्र मेरे पास अभी आया है मथुरा तहसील से । वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता का है । वे लिखते हैं कि आपके फोरेस्ट वालों के जुल्म चरम सीमा पर पहुंच गये हैं बाजार में लोगों को बिठा कर तंग कर रहे हैं, जाने नहीं देते । ठेकेदारों का एक छोटे से एरिया का भी कान्ट्रेक्ट होता है, फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट से परमिट मिल जाता है ।

लेकिन जब लकड़ी काटी जाती है, उसके बजाय सारा का सारा जंगल काट कर उसकी लकड़ी को बाहर भेज देते हैं यही कारण है कि विरोधी पक्ष की ओर से यह बात उठाई गई है कि इस बिल को प्रवर

(श्री सूबेदारसिंह)

समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से जो असर होंगे, उसके दंड का जो असर होगा वह किसी ठेकेदार को न होकर गरीब किसानों पर पड़ेगा। इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इस प्रकार का जो दंड रखा गया है वह ठीक नहीं है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के युग में हम रहते हैं इसलिये यह किसी को भी शोभा नहीं देता कि किसी व्यक्ति का चालान किया जाय और उसे अदालत में पेश न किया जाय। होना यह चाहिये कि अदालत में उसको पेश किया जाना चाहिये और वहीं से न्याय की शरण मिलनी चाहिये। यहां पर यह रखा जा रहा है कि अगर कोई जंगल से लकड़ी काटता है तो वह मामला जंगलात के अफसर को सौंप दिया जायेगा कि वह उस पर जुर्माना करे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि कहीं इसी प्रकार का बिल गृह मंत्री महोदय पेश कर दें कि पुलिस में जितने मामले आते हैं उन मामलों का निपटारा पुलिस विभाग ही कर दे तो जनता का क्या हाल होगा? इस संबंध में सारे माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रगट की है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तभी किसानों का और न्याय का हित होने वाला है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): I move that the matter be put, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Pardon?

श्री सोहनलाल भटनागर: I move that the matter be put.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): The matter cannot be put, Sir. The right of reasonable debate cannot be defeated.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): जो माननीय सदस्य बोल चुके उनको तो इस प्रकार प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: Since I have allowed Dr. Chandra Kala to continue her debate, you can put the question after she has spoken.

श्री श्रीभानसिंह: No, Sir, the Hon'ble Member cannot move that the matter be put. He has exercised his right of speaking and now he wants to check the other Hon'ble Members from speaking.

श्री उपाध्यक्ष: Dr. Chandrakala to continue please.

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान फोरेस्ट संशोधन विधेयक, १९५८ जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ, मैं समझती थी कि मेरा काम शहर से अधिक पड़ता है, जंगलों से मेरा विशेष मतलब नहीं इसलिये मैं तटस्थ थी, लेकिन जब यहां पर इस विषय में विचार प्रगट किये जाने लगे तो मैंने भी सोचा मैं भी अपने विचार इस संबंध में रखूं। जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की बात है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। आखिरकार यह संशोधन विधेयक है, एक कानून जो आज से पांच साल पहले बन चुका है। उस कानून की धाराओं में कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं नहीं समझती इतनी सी छोटी बात के लिये प्रवर समिति की औपचारिकता निभाई जाय और उसमें समय और शक्ति खर्च की जाय इसकी कोई आवश्यकता हो। इसके साथ साथ मेरा नम्र निवेदन है कि प्रवर समिति भी मीनियेचर ऑफ दी हाउस होती है। वैसी हालत में हमारे लिये यह ठीक होगा कि सदन की भावना को जान कर हम किसी समझौते पर आ जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य और कारण बताते हुए बताया गया है कि लकड़ी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसलिये इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। हम सब जानते हैं कि यह कानून १९५३ में बना था और मंहगाई आई है द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही। जिस समय यह कानून बना था उस समय जितनी मंहगाई बढनी थी वह बढ चुकी थी। लेकिन उस समय इस

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। आज इतने सालों के बाद जब इस आधार को लेकर ऐसा किया जाता है, तो निश्चय ही इसमें सरकार की नीति गलत मालूम होती है। शायद इसके द्वारा सरकार यह चाहती है और उसका यह प्रयत्न है कि किसी भी तरह से हो हमारे कोष में अधिक से अधिक धन आये। लेकिन जब सदन में विधेयक के रूप कोई बात आती है तो हम यह नहीं सोचते कि जनता किस रूप में इससे प्रभावित होगी। इसका प्रभाव जनता की भावना पर किस प्रकार पड़ेगा इसका विचार सरकार ने नहीं किया। इसीलिये इस संशोधन के बारे में तरह २ के विचार प्रकट किये गये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वह हमें इस बात का भुलावा न दें कि लकड़ी की कीमत दस गुनी बढ गई सन् ५३ से। यह मैं कह सकती हूं कि सन् ५३ से आज तक लकड़ी के भाव इतने नहीं बढे। इसलिये यह आधार जो यहां बताया गया है, यह बिल्कुल गलत है। जुर्माने की रकम में वृद्धि करके कोष भरने का जो उद्देश्य है वह सही नहीं कहा जा सकता है। यह मैं मानती हूं कि सरकार को धन की आवश्यकता रहती है लेकिन धन प्राप्त करने के और भी श्रोत हैं, केवल जंगल ही नहीं, इसके लिये दूसरे भी साधन हैं, दूसरे विकास के कार्य करके राज्य कोष में धन इकट्ठा किया जा सकता है। इस बिल के अन्दर जुर्माने का प्रावधान रख कर किसी भी तरह से, हर तरीके से गरीब जनता से पैसा वसूल करना सरकार के लिये और जनता दोनों के लिये हितकर नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहती हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में देने की आवश्यकता नहीं। सदन इस बारे में अपनी भावना प्रगट कर चुका है; उन भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए मंत्री महोदय ऐसा फैसला करलें जिससे इस बिल में जो आपत्तिजनक धारायें हैं उनमें संशोधन कर लें और फिर उस रूप में संशोधन विधेयक को पास कर दें।

डा० बहादुरसिंह (धोलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फोरेस्ट संशोधन विधेयक, १९५८ प्रस्तुत हुआ है उसमें करीब आधा दर्जन धाराओं को संशोधन प्रस्तुत करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इन संशोधनों में जो मुझे सबसे ज्यादा खटकता है, वह संशोधन है, कार्यपालिका को न्यायपालिका के साथ मिला रहे हैं। इसमें हम अधिकार दे रहे हैं जंगलात के आफिसर को जो चाहे किसी को पकड़ और केस कम्पाउन्ड करले। इस प्रकार के अधिकार से मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं, इसमें भ्रष्टाचार बढेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती। मैं स्वयं देखता हूं मेरे पड़ोस में एक्साइज वेअरहाउस है, वहां पर किसी का केस कम्पाउन्ड होता है। यहां उसमें एक हजार रुपये का जुर्माना है लेकिन जो कुछ भी हम अधिकार दें उसमें केस कम्पाउन्ड के अधिकार न दें। इस तरह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसमें भी यदि इस प्रकार के अधिकार दे दिये तो भ्रष्टाचार होगा। यह क्लॉज इसी लिये बढाई जा रही है कि उनको कुछ न कुछ रास्ता मिले कुछ प्राप्त करने के लिये।

दूसरी बात यह है, जुर्माना करने की जो बात है, उसको देख कर मुझे दुःख होता है। मुझे याद है हमारे राज्य में एक दफा एक आदमी पत्ती तोड़ते समय एक राज कर्मचारी ने जान से मार दिया था। जहां जंगल का मामला ह, वहां आप दो हजार रुपया जुर्माना करना चाहते हैं जिस पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये था आज उस पद्धति को और बढावा दे रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन था कम से कम इस पर विचार करने के लिये जिस बिल को पिछली विधान सभा ने पास किया था उस पर संशोधन आते हैं तो समय की बचत के लिये यह जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इसमें और भी खामियां हैं। मैं एक खामी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो ठेकेदारों के बारे में हैं। मैं जहां से आया हूं उस क्षेत्र में फोरेस्ट बहुत काफी है। तीनों गेम सेन्चुअरी वहीं पर हैं। तीनों सेन्चुअरी करीब २ मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं, उसके अन्दर ठेकेदारों ने किस कदर बर्बादी की है। उसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार की कार्यवाही ठेकेदार करते हैं

(डॉ० बहादुरसिंह)

उसको आर संरक्षण देना चाहते हैं और दूसरी तरफ कोई थोडी सी गलती करले उस पर दो हजार रुपया जुर्माना लगाना चाहते हैं । इससे क्या होगा कि जो लोग ज्यादातर जंगली इलाकों में रहते हैं उनके आये दिन चालान होंगे और उनकी मुसीबतें बढ जायंगी । जिनके पास खेती है नहीं, क्योंकि पुराने राज्यों ने भूमि को उनको जंगल बना दिये वैसी हालत में लकडी काटने के सिवाय उनके पास दूसरा धंधा नहीं होगा ।

अगर दूसरा धंधा है, तो डकेती डालने का । इसलिये अगर डकैती को रोकना चाहते हैं तो······

श्री मूलचन्द डागा (पाली): डकैती डालना धंधा है क्या ?

डॉ०बहादुरसिंह : मेरा यह निश्चित मत है कि या तो आप उनको जमीन दीजिये या फोरेस्ट में से लकड़ी ले जाने, बेचने खाने की रियायत दीजिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करें और इसके लिये यह बिल अवश्य प्रवर समिति के सुपुर्द होना चाहिये ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल मेम्बर ऑन माई लेफ्ट साईड ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबडा) : हमारे सामने यह जो विधेयक है इसके अन्तर्गत कुछ अमेन्डमेंट्स रखे गये हैं । मैं निवेदन करूं कि जो अमेन्डमेन्टस् जिस विचार को लेकर रखे गये ह उन विचारों की भावनाओं की कद्र तो हरेक व्यक्ति करेगा । इसके पीछे महत्वपूर्ण भावना यह है कि जो अपराध आज बढ रहे हैं उनको रोका जावे । पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज वन विभाग में जनता की ओर से अपराधों की वृद्धि क्यों हो रही है ? मैं कहूंगा कि आज वन विभाग की ओर से जिस प्रकार के आदेश शाया किये जा रहे हैं, वे सारे के सारे अव्यावहारिक और कठोर आदेश हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस प्रकार के नियम बनाय गये हैं कि एक तहसील का रहनेवाला अपनी ही तहसील के जंगल से लकड़ी ले, फिर चाहे उस गांव के रहने वाले को अपनी तहसील का जंगल २० मील दूरी पर ही क्यों न हो और पास में ही लगी दूसरी तहसील का जंगल भले ही दो, चार मील ही क्यों न हो, जैसे मेरे यहां अटरू तहसील है । इसमें एक जंगल पड़ता है वह इतना दूर पडता है कि वहां जाकर लाना बहुतों के लिये तो संभव नहीं पर पास ही दूसरी किशनगंज तहसील का जंगल नजदीक पड़ता है, तीन चार मील दूरी पर ही पड़ता है जब कि खुद की तहसील का जंगल बीस, बाईस मील दूर पड़ता है । तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऐसे आदेश कितने अव्यावहारिक और अदूरदर्शिता से भरे हैं । ऐसे आदेशों के अस्तित्व में रहते हुए कोई यह आशा कैसे कर सकता है कि अपराध न बढें ? मैं निवेदन करूं कि इन आदेशों से पहले ऐसे कोई आदेश नहीं थे और जिले भर में कहीं से भी जो नजदीक और सहूलियत की जगह हो लकडी ला सकते थे। पर इस प्रकार के नियम बन जाने से आज कई समस्याएं खड़ी हो गई ह ।

मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि इन अपराधों की वृद्धि का कारण यही नहीं है और भी कई बातें हैं । जगह २ प्रोटेक्टेड फोरेस्ट बनाये जा रहे हैं, जो जगह २ पशुओं के चरने की जगहें थीं, उन तक को चरने की जगह आज नहीं रह गई है । अब पशुओं की तो आदत वहां चरने की पड़ी हुई है, जहां पहले चरते थे वहीं आज भी चले जाते हैं और जब जाते हैं, तो फोरेस्टर उनको पकड़ लेता है, कांजी हाउस में बन्द कर देता है, बार २ रिश्वतें लेकर उन्हें छोडते भी जाते हैं आदमी अब बिचारे उन जानवरों का कहां तक ध्यान रखें । फिर उन प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के चारों तरफ फेन्सिंग भी नहीं कि जिससे जानवर जाने से रुक सकें । तो इस प्रकार के झगडे किशनगढ तहसील में आये दिन चलते हैं । फोरेस्टर को जिनके पास से पैसा रिश्वत का मिल जाता है, उनके जानवर वहां पर बराबर चरते रहते हैं और जिनसे पैसा नहीं मिलता, उनके जानवरों को पकड़

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पकड कर रोज कांजीहॉउस में बन्द करते हैं और इस तरह से जनता से संघर्ष की स्थिति दिन ब दिन बढती जाती है और किसी भी दिन किसी की गाय को पकड़ लेते हैं, किसी का बैल पकड़ लेते हैं और उनका बार बार चार्ज करते हैं ।

फिर लकड़ी के भाव बढने का कारण यह है कि एक तरफ तो इस तरह की सख्ती बरती जा रही है दूसरी तरफ जंगल अनाप शनाप ठेकेदारों से कटवाये जा रहे हैं । अब ठेकेदार सारे के सारे जंगल को बड़े मनमाने ढंग से काटते रहते हैं । काटते समय जिन नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिये, उस तरफ फोरेस्टर कोई ध्यान नहीं देते ।

जो गरीब जंगल से गट्ठे काट कर लाते थे और उसको बेच कर अपनी जीविका चलाते थे, उनकी दिक्कतें बहुत बढ गई हैं । उन्हें ये वन विभाग के लोग हैरान कर देते हैं । गट्ठे उनसे रखवा लेते हैं । वे रिश्वतें भी देने में असमर्थ हैं । तो आज उनकी भी एक भयंकर समस्या बन गई है ।

अब आप चाहते हैं कि ये जो समस्याएं आपकी अदूरदर्शिता से आपके अव्यवहारिक आदेशों से पैदा हो गई हैं और जिनके कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं वे अपराध आपके अब दंड बढा देने से रुक जावेंगे ? अब आपको इस दंड को बढाने के विधेयक को पास करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि इन अपराधों का आखिर कारण क्या है ? कारण है, आपके अव्यावहारिक कानून । आज जनता के कष्ट आपके इन अव्यावहारिक कानूनों से बढ़ गये हैं । इसका परिणाम है कि छोपा बडोद सरीखी घटनाऐं हम देख रहे हैं । वहां जनता ने कानून अपने हाथ में लिया और रेंजर की अच्छी पिटाई कर दी । आज वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह का सुलूक चल रहा है ।

आप वन विभाग से आमदनी चाहते हैं । आप आमदनी लें, सही तरीके से लें पर गरीब ग्रामीण जनता पर इस तरह के अत्याचारों को बन्द करें । इससे आपकी आमदनी कोई बढ जावेगी, यह भी सही नहीं है । आपकी आमदनी तो उन रिश्वतों के रूप में इन जंगल के अधिकारियों की जेब में चली जा रही है । इसके लिये आप रास्ता सोचें अगर सोचना ही चाहते हैं तो आज जिस जनता की भलाई और सुविधा के लिये आप शासन चलाते हैं, उस जनता के लिये सुविधाएं और सुलभता उपलब्ध करना तो आपका कर्तव्य है । यह तो आपको करना होगा । आज आपका वन विभाग हो एक ऐसा विभाग है कि जो जनता के लिये सुलभता पैदा करने एवं उसकी सुविधाएं बढ़ाने के स्थान पर ही उनको कठिनाइयां ही दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है ।

आपने सेक्शन ५२ में रखा है कि किस दर्जे पर केस को मजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं और किस दर्जे पर सुपिरियर आफिसर को दे सकते हैं और वह कैसे इसे इन्स्टीगेट करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो डिले होगी इसमें और प्रोसीक्यूशन में, केस को फाईल करने में उसमें क्या होगा कि फिर केस दबाया जावेगा और रिश्वतों का बाजार गर्म होगा । मैं ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकता हूं कि रिश्वतें लेकर केसों को दबा दिया जाता है । इससे सरकारी आमदनी कम हो रही है और रिश्वतों से इन अधिकारियों की जेबें भरती जा रही हैं । सरकार ये चीजें नहीं देख रही । अगर जल्दी ही केस कोर्ट में चला गया तो वहां उस केस के फैसले के अनुसार जो जुर्माना हो सकता है वह सरकार के पास आवेगा पर इस देर करने से केस दबा दिया जावेगा रिश्वतें लेकर । तो इस देर करने से सरकार को पैसे का नुक्सान होगा और कर्प्शन बढेगा ।

जैसा मेरे एक पूर्ववक्ता ने कहा कि हम एजीक्यूटिव को जूडीशियरी से मिलाना चाहते हैं । अधिकार एक सुपिरियर अफसर को देना चाहते हैं । इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी । तो यह जो सेक्शन ५२ में रखा गया है, वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है जो प्रोसीजर चलता आ रहा है उसमें कठिनाई ही डाली है । तथ्य भी तोड मरोड कर नीचे के अधिकारी ऊपर भेजते जावेंगे । इस तरह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से उच्च अधिकारी को तो तथ्यों का भी सही पता नहीं चल पावेगा। रिश्वतें खाने से वास्तविक तथ्य् खतम कर दिये जावेंगे। इस तरह से व्यक्तियों को नुकसान होगा, उनके प्रति अन्याय होगा और यह उस विभाग के द्वारा होगा जो जनता को आराम देना चाहता है। तो इस पृष्ठभूमि को रखते हुए में निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह संशोधन रखा गया है वह अत्यन्त अव्यावहारिक है।

दण्ड में आप वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि लकड़ी के भावों में वृद्धि हो गई है तो अगर करना चाहते हैं तो भले हो करें। वृद्धि पर दण्ड ऐसा हो वह कि गरीबों से बिना जाने जो अपराध हो जाए उस पर इतना भार न पड़ जाय कि जो उसकी हैसियत के बाहर की बात हो। दण्ड देते वक्त हैसियत भी देखें। अगर इस प्रकार विचार नहीं करेंगे और इसलिये नहीं करेंगे कि हमें तो किसी प्रकार राज्य को आमदनी बढानी है तो फिर यह अलग बात है। पर आपको यह तो सोचना ही होगा कि यह दण्ड जनता दे भी सकेगी या नहीं, उसकी सामर्थ्य भी है या नहीं। इन स्थितियों में अगर दण्ड से हमारा उद्देश्य अपराध रोकने का है तो इस दण्ड से वे अपराध नहीं रुकेंगे यह मेरी धारणा है। इन कारणों से मेरा यह निवेदन है कि इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे।

हम किसी दण्ड में चौगुनी वृद्धि करने जा रहे हैं। यदि दो, चार या दस रुपये की वृद्धि करते तो हो सकता था कि मामूली वृद्धि होती। आखिर इस प्रकार की वृद्धि के ऊपर विचार करना चाहिये और जब तक विचार नहीं होगा तब तक सारी बातें अव्यावहारिक रहेंगी। आज हमारे सामने फोरेस्ट की इतनी बड़ी समस्या हो गई है। आज कितने ही केसेज करप्शन के फोरेस्ट के बारे में हमारे सामने आते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने काफी केसेज करप्शन के सदन के सामने रखे हैं। इसका कारण यह है कि आज भ्रष्टाचार के ऊपर सारे दफ्तर चल रहे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यदि इसमें कुछ दुरुस्ती करनी है, कुछ ठीक चीज लानी है तो इस प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, जैसे एक तहसील से लकड़ी लाना, ऐसे जो कानून हैं इन सबको देखते हुए इस बिल को नहीं रखा जाय तो अधिक उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक नहीं बोला हूं। तो इसके लिये मेरा यह निवेदन था कि मैं सब की बातें सुन करके अपना वक्तव्य पेश करूं। इसके तारतम्य के वास्ते जो इतने सवाल गुंथ रहे हैं और इधर के ओर उधर के दोनों ही ओर के महानुभावों और सदन के जो यहां सदस्य हैं, उन सब में यही भाव है कि जहां तक हो सके ऐसे मामले में जो कठोरता बरती जा रही है नियमों में वह बंद होनी चाहिये। तथा मैं वन विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में जैसे कि दो, तीन मामलों में कठोर नियम के वास्ते बात चली है उसके दो सबब हो सकते हैं। एक तो यह कि इस बात के लिये जिस प्रकार प्रश्न यहां उपस्थित हुआ उन्होंने सोचा कि जैसे नीचे से सवाल आया उस पर यों का यों ज्यादा गौर नहीं करके आगे बढ़ा दिया और इसको पास कर दिया या यह हो सकता है कि डिट्रियोरेन्ट तरीके से इसको रोका जाये। तो यह हो सकता है लेकिन मेरे विचार में उनको किसी भी हालत में यह जरूर देखना चाहिये कि आज के समय में जब जनता और वह जनता जो वनों में रह कर बड़ी कठिनता से निर्वाह करती है वह बड़ी दया का पात्र है और उनके लिये जरूर गौर करना चाहिये। मैं खुद भी जागीरदार रहा हूं और मैंने अपने जंगलों के वास्ते पूरा विचार इस तरह से किया हुआ था कि मैंने जहां तक हो सका····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना अनुभव नहीं कहेंगे। इस बिल पर ही कहेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : थोडा सा अर्ज करने में और भूमिका के तौर पर कहने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा उस समय यही कहना था कि मैंने अपने लड़के के ऊपर कुठाराघात करना और वृक्ष को कटाना बराबर समझा। मैं आपको बताऊं जोबनेर के अन्दर

Page No.72

रावल श्री नरेन्द्रसिंह

वन के लिये पांच २ लाख रुपये लोगों ने देने चाहे और मैंने उनको लेना हराम समझा और दूसरी जगह यह पूरी तरह से नियम पालन नहीं किये गये। लेकिन इसके लिये यह जरूर होना चाहिए कि किसी काम के लिये जैसे मकान के बनाने में या दूसरे कामों के वास्ते लकड़ी लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन यह जरूर बात है कि बेचने के लिये या दूसरे काम वास्ते लकड़ी का काटना है वह रोका जाये और रोके जाने के लिये इस प्रकार का तरीका होना चाहिये कि अधिक कड़ा दण्ड न दिया जाये बल्कि लोगों की भावना को बदलना चाहिये। दण्ड से कोई चीज नहीं रुका करती है वह तो लोगों को एज्यूकेटेड करने से रुकती है और यह कहने से कि यह जो वनराशि है यह आपके लिए ही है और आपको अच्छी तरह से इसकी रक्षा करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं और आपके द्वारा सदन को भी और इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे वन चराई है, दूसरी चीजें हैं, मवेशी के वास्ते जो चराई .. प्रबन्ध है इसके लिये कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिये। अगर इस तरह का यह प्रतिबन्ध रहा तो न तो उन लोगों को जो उस भूमि से निर्वाह करते हैं उनका काम एक तरह से देखा जाय तो जानवरों की रक्षा करना और उनका पालन करना ही है और इसी कारण से न तो उनके पास जमीन का सुभीता है और न किसी दूसरी बात का सुभीता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में या दूसरी कमेटी बनाकर उसमें रखने की क्या जरूरत है? आप सदन के हाथ पर नब्ज रखें उस समय इधर और उधर दोनों तरफ के जो सदस्य हैं वह बराबर इसके लिये चाहते हैं कि यह बिना विचार हुए इस प्रकार का प्रश्न सामने आ गया है इसके लिये उनको खुद को कह देना चाहिये कि यह जो दोनों, तीनों बातें जो गलती से या डट्रिमेन्ट पोलिसी अख्तियार करने से इस प्रकार के प्रश्न आ गये हैं, तो इनको खत्म करके यह जो लम्बी-चौड़ी बहस है उसको नहीं बढ़ने देना चाहिये। मेरा तो यही निवेदन है।

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को प्रवर समिति को देने का समर्थन करता हूं...

श्री किशनसिंह बटेड (लक्ष्मणगढ़): हमें भी बोलने का मौका

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या कहा, पक्षपात हुआ है?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): यह किसने कहा कि पक्षपात हुआ है?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जिसने भी कहा, यह आरोप है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आक्षेप है चेयर पर.

श्री उपाध्यक्ष : It was just a vibration in the air.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I beg to submit that the Chair has just made this observation that some of the Hon' ble members has observed.

"पक्षपात होरहा है"

It appears to be darogatory. Therefore, I request for a ruling about such words.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair was not in a position to locate the Hon'ble Member.

श्री भैरोंसिंह : मैं बताऊं चेयर की मदद के लिये कि किस आदमी ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not definite to me. There was some sort of vibration.

Page No.73

श्री भानसिंह : Under the circumstances, I again submit, Sir, that the House would like to know so as to enable it to establish a healthy practice.

श्री भैरोंसिंह : कहने वाले सदस्य कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, वह सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)।

श्री भानसिंह : I again humbly submit, Sir, that the matter may not be treated like this.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कुछ नहीं कहा और केवल आपने सुन लिया कि पक्षपात हो रहा है; यहां किसी ने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : That was just an enquiry from the Chair whether there was something of this sort.

श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। ये शब्द हमने भी सुने हैं और चेयर ने भी सुने हैं और यह केवल वाइब्रेशन हो, ऐसी बात नहीं है। यह हमने सुने हैं कि माननीय सदस्य ने कहा कि "पक्षपात हुआ है।" माननीय सदस्य स्वयं इस बात को कहने के लिये तैयार हैं, तो उनको खड़े होकर एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाये।

श्री किशनसिंह बट्टड़ : हम खड़े हुए थे, तो हमको बोलने का मौका नहीं मिला और एक मोटे ठाकुर साहब खड़े हुए थे तब यह बात कही थी।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटे ठाकुर साहब इसमें शब्द 'मोटे' बहुत आपत्तिजनक है, वह पहले वापिस लें और फिर आगे चलना चाहिये।

श्री भैरोंसिह : सदस्य ही आपत्तिजनक हैं।

(हंसी)

श्री किशनसिंह बट्टड : उनको मौका दिया इसलिये कह दिया। आपने क्या कहा अंग्रेज़ी में ? क्या आप बोले हमारी समझ में नहीं आया। आप हिन्दी में बोलते और उसमें कोई आपत्ति की बात होती तो माफ़ी मांग लेता। अगर वे शब्द ऐसे थे तो मुझे माफ़ी मांगने में एतराज़ नहीं था। मतलब मेरा यह था कि हमको बोलने का मौका होना चाहिये। मैं यही कहना चाहता था और कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपने 'पक्षपात' शब्द का प्रयोग किया या नहीं, यह क्लेरीफ़िकेशन करदें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 'पक्ष' कहा या उसके बाद में 'पात' भी कहा या अलग अलग शब्दों को कहा उसको बतलादें।

श्री किशनसिंह बट्टड : हमको मौक़ा मिले बोलन का।

श्री पी. के. चोधरी (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सलेक्ट कमेटी में देने के पक्ष में हूं। इसका कारण यही है कि मैं समझता हूं कि इस बिल में जो प्रोविज़न रखे गये हैं उनमें कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिनको मैं अच्छा नहीं मानता हूं बल्कि उनको मैं इन्फिजिबल मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के आब्जक्ट्स एन्ड रीज़न्स में चाहे कोई भी बात कही गई हो, लेकिन उसके प्रोविज़न्स हम देखते हैं तो इसमें लिखा है ....

३.५३ म. प.

(डा० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

कि ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में जो बात कही गई है वाक़ई में जो इस बिल का मक़सद है, जो ऑब्जेक्ट है, वह नहीं है। बिल के

(श्री पी. के. चौधरी)

आब्जेक्ट्स में यह कहा गया है कि लड़ाई के बाद लकड़ी की, टिम्बर की कीमत बढ़ गई है, इसलिये प्राइसेज़ बढ़ाना चाहिये। मिसाल के तौर पर उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि सेक्शन ५२ में ५०) रु० तक जुर्माना करने का या कम्प्रोमाइज़ करने का उनको हक़ था, उसको बढ़ाकर ५० से २ हज़ार तक कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात का वहां यह भी रेस्ट्रिक्शन था कि जो आदमी ५०) रु० वसूल करेगा, उसकी तनख्वाह कम से कम १००) रु० से कम न हो। लेकिन आज वह रेस्ट्रिक्शन था कि जो आदमी इतने पैसे को डील करेगा, वह कितना रेस्पोन्सिबल आदमी होगा, उसकी कोई स्क्योरिटी रहेगी या नहीं, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सेक्शन ६८ में कम्पाउन्डिंग का जो इन्तज़ाम किया जा रहा है, वह काफ़ी आब्जेक्शनेबल है और इसका हम लोगों को एप्रिहेन्शन रहता है, डर रहता है कि जिस ढंग से यह किया जा रहा है, उसमें जो आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स बताये गये हैं, उन आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स का जो पर्पज़ है, वह सर्व नहीं होता है, जब कि हम एक प्रेटी फ़ोरेस्ट आफिसर को २ हज़ार रुपये तक के पैसे का कम्पाउन्डिंग करने का अधिकार देते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं कम्पाउन्डिंग होने के बाद और कोई कार्यवाही नहीं होगी उसका भी प्रोविज़न किया गया है। उसमें लिखा हुआ है :—

"No further proceedings shall be taken against such persons or property in respect of such offence."

यानी एक तो यह है कि जहां तक ५०) रु. की लिमिट थी तो ५०) रु० तक का जुर्माना करने का हम उस आफ़िशियल को अधिकार दे रहे थे, जिसकी तनख्वाह कम से कम १००) रु. हो और जो १००) रु. की तनख्वाह पाने वाला अधिकारी था वही २ हज़ार रुपये तक का कम्पाउन्डिंग कर सकता है और पैसा वसूल कर सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रेटी फ़ोरेस्ट आफ़िशियल के सामने हम इस क़िस्म का टेम्प्टेशन रखेंगे तो आखिर जो करप्शन आता है वह इसी ढंग से आता है कि टेम्प्टेशन का जितना मौक़ा देते हैं उतना ही ज्यादा करप्शन का मौक़ा होता है। एक माननीय सदस्य ने इस बात का ज़िक्र किया है और मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि जो रीज़न्स दिये गये हैं कि लड़ाई के बाद १० टाइम्स प्राईसेज़ बढ़ गई हैं और इसके लिए गवर्नमेन्ट १० साल से सोच रही है और आज जानकारी हुई है कि जब कि १० साल से क़ीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले इसी सदन में मैंने एक सवाल पूछा था कि पानरवा जो ढाई लाख सालाना का देता है और साढ़े नौ लाख का जहां नुक़सान उठाते हैं और उसके बारे में सरकार कोई डिसीज़न नहीं लेती है। वह कहती है कि केबिनेट डिसीज़न के लिये पड़ा हुआ है लेकिन डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है। वहां सरकार को नुक़सान नहीं होता है। वहां कैसे मालूम हो गया सरकार को कि १० टाइम्स बढ़ गई हैं और काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन लड़ाई के टाइम में बढ़ी हैं और उसके बाद में भाव कुछ नहीं बढ़े हैं। यह जो आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताया गया है और इसका इम्प्लीमेन्टेशन जो है इन दोनों में रात दिन का डिफ़रेन्स है। उसमें कन्ट्राडिक्शन है। आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स बहुत अच्छे हैं। वे बहुत साफ़ हैं। आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स काफ़ी बढ़िया हैं और ट्रेज़री में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं। उसको फ़ाइन करने का जो राइट होना चाहिये। जहां तक ५००) रु० से २०००) रु० बढ़ाया है उसमें मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है। फ़ाईन करने का नाम बढ़ा है लेकिन वह मजिस्ट्रेट करेगा। उसको मैं मन्ज़ूर करता हूं। लेकिन कम्पाउन्डिंग का लिमिट जहां ५०) रु० का था उसको बढ़ा कर २ हज़ार का कर दिया है और उसके लिये जो कम्पीटेन्ट आथोरिटी जैसा कि पहले एक क्लॉज़ था कि जिसकी तनख्वाह ५०) रु० से ज्यादा होगी वही ५०) रु० तक का कम्पाउन्डिंग कर सकता है और ५०) रु० तक फ़ाइन वसूल कर सकता है। मैं यह कहूंगा कि २ हज़ार का कम्पाउन्डिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी तनख्वाह ४ हज़ार हो। उसमें एक रिस्क रहता है कि कम्पाउन्डिंग में माल प्रेक्टिसेज़ कर सकते हैं। उसका एक रिस्क रहता है कि उसको महीने के ४ हज़ार की नौकरी खोनी पड़ेगी। एक सौ रुपये की तनख्वाह वाले को आप पॉवर दे दें २ हज़ार के माल का कम्पाउन्ड करने का, तो मैं कहूंगा कि अगर वह १०-५ कम्पाउन्ड करेगा तो

(श्री पी. के. चौधरी)

सरकार की नौकरी की परवाह नहीं करेगा और २०,२५ हज़ार रुपये जमा हो जायेंगे तो वह १००) रु० की नौकरी को सरकार को सौंप देगा और २० हज़ार रुपये खराब नहीं कर सकता है। और जो कम्पाउन्डिग के लिये क्लॉज़ रखी है उसको रि राइट किया है, उसके रिपरकशन्स मुझे एप्रिहेन्शन, मुझे यह भय है कि उससे भलाई न होकर उससे काफी करप्शन ज्यादा बढ़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्टल पेटी (petty) आफ़िशियल्स को इस बिल के मातहत पॉवर्स दिये जाते है। जो ओरीजिनल सेक्शन था, उसमें सेक्शन ५२ में यह है कि "make a report of such seizure to a Magistrate".

कोई पकड़ा जाता है, तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करनी पड़ती थी, लेकिन आज यह प्रोवीज़न रखा है कि वह रिपोर्ट अपने सुपिरियर आफिसर को कर देगा। हैड-कान्स्टेबल सब-इन्सपेक्टर को और सब-इन्सपेक्टर इन्सपेक्टर को रिपोर्ट कर देगा और तब इन्सपेक्टर साहब को रिपोर्ट पर सोच विचार करने का पूरा मौक़ा मिल जायेगा। यही नहीं वह चाहेगा तो कम्पाउन्डिग करेगा। एक छोटे मोटे कान्सटेबिल की हिम्मत नहीं है कि वह दो हज़ार का कम्पाउन्डिग करे। वह इन्सपेक्टर साहब करेंगे। तो इस प्रकार से एक पेटी आफिशियल को इतना लेटीट्यड दिया जाता है, तो जैसा कि बिल के मक़सद में बताया गया है कि सरकार के लिये ज्यादा पैसा वसूल करें, तो मैं समझता हूं कि तमाम का तमाम जो आब्जेक्ट है वह डिफ़ीट होगा और इस बिल की वजह से सरकार को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा और उनमें ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। सरकार जब पानरवा के जंगल के बारे में फ़ाइनल डिसीज़न नहीं ले पाती है और साढ़े नौ लाख का नुक़सान सह सकती है तो मैं नहीं समझ सका कि किस तहर से यह रखा गया है एक पेटी आफ़िशियल के साथ में इतनें ज्यादा एमाउन्ट का कम्पाउन्डिग करने की रेस्पान्सिबिलिटी दी है। तो मैं समझता हूं कि वह चीज़ ठीक नहीं है। इस वजह से इस बिल को सलेक्ट कमेटी को देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हाउस में इस बिल के बारे में मैं तो देखता हूं कि काफ़ी स्ट्रोन्ग ओपीनियन है और जो स्ट्रोंग ओपीनियन है वह किसी इन्ट्रेस्टेड ग्रुप की नहीं है। यह सभी की तरफ़ से हमारी स्ट्रोंग ओपीनियन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय से जब कि सारे हाउस की यह ओपीनियन है, सब तरफ़ से आवाज़ आ रही है कि भाई उसको देना चाहिये सलेक्ट कमेटी में और माननीय मन्त्री महोदय से एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं कि आखिर सदन में जो सदस्य आते हैं उनके मन में शंका पैदा होती है, एक एप्रिहेन्शन उनके दिमाग में होता है कि क्लॉज़ ६८ का मिसयूज़ होगा, उसका मिसयूज़ किया जायेगा और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठायेंगे तो...

तो ऐसी बड़ी भारी शंका पैदा होती है और इस बिल का जो पोर्शन है वह सेक्शन ६८ में है, यह मैं मानता हूं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के तमाम सदस्यों की राय को देखते हुए मन्त्रीजी को इसे सलेक्ट कमेटी में देने के लिये राज़ी हो जाना चाहिये और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

४ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ़ इन्फ़ोर्मेशन, सभानेत्री महोदया, अभी कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य ने "मोटा साहब" कह कर संबोधित किया था और माननीय सदस्य ने उस पर एतराज़ किया था, उस संबंध में क्या हुआ? क्या वे शब्द प्रोसिडिंग्ज से हटा दिये गये?

श्रीमती सभानेत्री : शायद आपने सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा, उसके लिये माफ़ी मांग लेता हूं।

श्री विद्यासागर (फलासिया): राजस्थान फोरेस्ट संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करता हूं और यह प्रस्ताव जो आया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय उसका समर्थ

(श्री विद्यासागर)

करता हूं। यह संशोधन विधेयक आया है उसमें जुर्माने की रकम ५०० से २००० रु० तक की बढाई है, वह किसानों के लिये असह्य है। उनकी ताकत नहीं है कि वे दो हजार तक का जुर्माना दे सकें कारण कि आज बहुत से किसान ऐसे हैं जो जंगल से लकड़ियें काट कर लाते हैं और अपना निर्वाह करते हैं, वे इसके बिना किसी भी हालत में जिन्दा नहीं रह सकते।

दूसरी बात यह है कि फोरेस्ट के बारे में जो रीति नीति सरकार की है वह ठीक नहीं है। कारण यह है कि जो गांव हैं, उनके पास ही डिमार्केशन लाईन डाली गई है जिसके कारण छोटे मोटे झगड़े होने की संभावना हर वख्त रहती है। इसके अलावा जो फोरेस्ट के अधिकारी फोरेस्ट गार्डस, रेन्जर्स वगैरा हैं वे उसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ रेन्जर्स के उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। खेरवाड़ा के पास में एक रेन्ज है, वहां रेन्जर, फोरेस्ट गार्ड आदि मिल कर किसानों को खूब सताते हैं और ऐसा बर्ताव उनके साथ करते हैं जैसा चोरी की हालत में माना जा सकता है। यह स्वाभाविक बात है कि किसान रोजमर्रा की जरूरत के लिये लकड़ी काटते हैं जैसे खेती करते समय हल की डांड टूट गई तो लकडी काट कर उसको ठीक करते हैं लेकिन फोरेस्ट के अधिकारी उनको पकड़ कर उन पर जुर्माना कर सकते हैं और आज किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि वे दो हजार रुपयों का जुर्माना दे सकें।

जो डिमार्केशन लाईन डाली हुई है उसको देख कर कोई नहीं कह सकता कि यह रिजर्व फोरेस्ट है या खुला जंगल है। इसके कारण किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह से किसानों के अन्दर पूरा असंतोष फैला हुआ है क्योंकि वे हर तरह से दुखी हो रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह २६ वीं धारा उनके लिये असहनीय है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि डिमार्केशन लाईन का पुनः निरीक्षण किया जाय और फिर डिमार्केशन लाईन खैंची जाये। बहुत से जंगल ऐसे हैं जहां गांव के दरवाजे से डिमार्केशन लाइन शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि खेरवाड़ा के पास में एक गांव है जिसके बाहर से ही यह डिमार्केशन शुरू हो जाता है। जब इसके बारे में राज्य के अधिकारियों और फोरेस्ट के अधिकारियों से प्रार्थना की गई तो उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन वे टालते रहते हैं। धीरे धीरे सब को रिजर्व फोरेस्ट कर दिया जाता है और गांववालों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है और मनमाने ढंग से जंगल को घेर लिया जाता है। गायों और भेड, बकरियों के चरने के लिये भी कोई गोचर या जंगल नहीं रखा जाता है। सरकार को सोचना चाहिये था कि गांव की गायों, बकरियों आदि के चरने के लिये पर्याप्त जमीन गोचर के रूप में रखी जानी चाहिये। लेकिन इस बात का कोई ध्यान नहीं रखता कि गांव की भेड, बकरियों और गायों के चरने के लिये कोई जमीन है या नहीं। आम रास्ता आता है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है और डिमार्केशन करके कह दिया जाता है कि यह रिजर्व फोरेस्ट है। किसान लोग एक तरह से जंगलों पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। वे किस तरह से वहां से बिना लकड़ी काटे रह सकते हैं? वे लोग लकड़ी काट कर ही अपना पेट पालन करते हैं और उनके जानवर भी हर तरह से इस पर ही आश्रित हैं। उनको अगर रोका जायगा तो उनको दिक्कत होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो २६ और ३३ धाराओं में ५०० से २०००रु. का जुर्माना करने की रकम रखी है वह किसानों के लिये किसी भी तरह से उचित नहीं है और आज का किसान किसी भी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि यह बिल पास भी हो जाय लेकिन इससे हमारी सरकार को और हमको इसके लिये तकलीफ उठानी पडे और हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय तक और यहां तक भी किसान आकर प्रार्थना करें। किसान एक तरह से स्वतन्त्र जंगल में बसनेवाले हैं। उनके लिये हर तरह की आसायस होनी चाहिये। इसमें यह बताया है कि २००० रु० का जहां सवाल है, वहां आपस में समझौता कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह होगा कि फोरेस्ट

Page No.77

(श्री विद्यासागर)

गार्ड, रेन्जर आदि उनको दबाने की कोशिश करेंगे और नाजायज फायदा उठायेंगे। इससे फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को कोई बड़ी आमदनी नहीं हो सकती बल्कि उन कर्मचारियों की जेबों की पूर्ति होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जहां पूरी तरह से इस पर विचार करके किसानों को फायदा पहुंचाया जाये।

श्री नरोत्तमलालजोशी (झुंझुनु): Madam, I have taken this opportunity

श्रीमती सभानेत्री: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे हिन्दी में ही बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री श्रीभानसिंह: I beg to submit to the Chair that the Chair should not give instructions to the speakers that they should speak in Hindi or English.

श्रीमती सभानेत्री: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि स्पीकर हाउस का प्रतीक है, इसलिये वह हाउस के लिये कोई भी सलाह दे सकता है। यह आज्ञा या आदेश नहीं है बल्कि सलाह है।

श्री श्रीभानसिंह: मैं यह निवेदन चेयर को करना चाहता हूं कि ऐसा निवेदन नहीं किया जाये क्योंकि मैं इंग्लिश में अपने आपको बैटर एक्सप्रेस कर सकता हूं तो (it is our right to have freedom of expression

श्रीमती सभानेत्री: आपकी बारी आवे तो आप देख लीजिये।

श्री नरोतमलाल जोशी: मैं सभानेत्रीजी की आज्ञा को स्वीकार करके अपने विचार हिन्दी में प्रकट करना चाहता हूं। जो संशोधन इस वन विधेयक के ऊपर आया है उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसके पक्ष में उन्होंने नाना प्रकार से अपनी युक्तियें प्रस्तुत की हैं। मैं उन सारी युक्तियों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा और जब मैंने इस विधेयक की धाराओं को देखा तो ज्ञात हुआ कि केवल एक पेज का यह विधेयक है और इसके अन्दर ६ धाराएं हैं और इस संशोधन के जो उद्देश्य और कारण रखे हैं उनमें इसका ठीक तरह से स्पष्टीकरण किया गया है। मैं नहीं समझता कि आये दिन इन जंगलों में जो होनेवाले अपराध हैं और इन जंगलों का जो विकास किया जा रहा है उसमें जो कठिनाइयां हमारी राज्य सरकार को महसूस होती हैं उन कठिनाइयों का सामना करने के लिये जो युक्तियें इस विधेयक में प्रस्तुत की गई हैं उनको स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है।

किन्तु हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सैद्धान्तिक स्वरूप को न समझ कर या उनकी कठिनाइयों को महसूस न करके, कुछ और प्रवाह में बह गये। वन के अन्दर या वनों को काटने के अन्दर जो अनियमिततायें होती हैं, वहां के रेन्जर या अन्य अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रुपये बनाते हैं, वे माननीय सदस्य शायद उस आवेश में बह गये, लेकिन वह एक विषय अलग है। उसका इससे संबंध अवश्य है किन्तु हमको उसकी अलग से परिचर्या करनी पड़ेगी। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए अलग से हमारे सामने रास्ता खुला हुआ है, उसकी दूसरे तरीके से परिचर्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को लॉ कोर्ट्स में ला सकते ह। मैं इस बात को नहीं मानता कि जो अधिकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने चाहे हैं उनको दिये जाने में आपत्ति हो सकती है। उसके ऊपर बहुत सी युक्तियां और बहुत से व्याख्यान माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनकी क्या संगति है, क्या रेलेवेन्सी है, इससे कोई खास तात्पर्य हो सकता है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी प्रकरण में ऐसी बातें कह गये जिनका तात्पर्य वनों के प्रशासन से है, जिनके अन्दर इन अधिकारियों को इस प्रकार अधिकार दिये जाते हैं। किन्तु मूलभूत रूप से यह मानना पड़ेगा कि जो छः धारायें इस

(श्री नरोत्तमलाल)

विधेयक में रखी गई हैं वे छः धारायें ऐसी हैं कि जिनके अनुसार अधिकार दिये जायें तो ठीक तरह से वनों का प्रशासन हो सकेगा में माननीय सभानेत्री महोदया उन धाराओं का संक्षेप रूप से जिक्र करना चाहूंगा । सबसे पहले धारा २६ और ३३ के अन्दर कुछ संशोधन चाहे गये हैं । इन २६ और ३३ धाराओं के अन्दर एक्ट्स प्रोहीबीटेड-इन फोरेस्टस और धारा ३३ के अन्दर कुछ पेनेल्टीज प्रेसक्राइब की गई है, जैसे ५०० रुपये के बजाय २ हजार रुपये तक की पेनेल्टी रखी है । मैं नहीं समझता कि जो कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये दिये गये हैं उनके देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो सकती है । दूसरी जो धारा आती है वह धारा ५२ है। उसके अन्दर जो वनों को ध्वंस करने वाले लोग हैं उनकी निगरानी रखने के लिये अगर कोई उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसको अधिक अधिकार दिये जाते हैं तो उस अधिकारी को नियुक्त किये जाने में क्या आपत्ति हो सकती है, सिवाय इसके कि हम यह अनुमान और शंकायें करें कि भ्रष्टाचार और बढेगा और क्योंकि उस अधिकारी को अधिक अधिकार दिये गये हैं, उसको २ हजार की कम्पाउन्डिग पॉवर दी गई है, उसके कारण भ्रष्टाचार करेगा इन शंकाओं का निराकरण करने के लिए और जरिये इस्तेमाल करने पड़ेंगे । किन्तु यदि शंकाओं को ध्यान में रख कर जिस सुपीरियर ग्राफिसर को सुपरवाइजिंग के अधिकार दिये जाते हैं, उसको सुपरवाइजिंग के अधिकार नहीं दिये गये तो किसी प्रकार से वनों का प्रशासन ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

एक और बात धारा ६८ के बारे में कही गई । धारा ६८ के लिए कहा जाता है कि यह मूल धारा है, यह धारा इस विधेयक की प्राण है, इसमें पॉवर-टू-कम्पाउन्ड आफेन्स के बारे में कहा गया है । मैं नहीं समझता ऐसे केसेज होते हैं जिनको यदि हम कलॉ कोर्टस में लाते हैं तो लीगल टेकनीकल्टीज के आधार पर वह केस फेल हो जाता है और जो अपराधी होता है वह बिल्कुल मुक्त हो जाता है । इसमें राज्य सरकार और कोई भी प्रशासनिक दृष्टि रखनेवाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अदालत की ऐसी बारीकियां होती हैं जिनके अन्दर कानूनी पेचीदगियों को लेकर अपराधी मुक्त हो सकता है। यह छूट जाने की साधारण सी बात है। हम जानते हैं कि आज का जमाना कानून का जमाना है। इस कानून के जमाने में अदालत की टेकनीकल्टीज के ऊपर बड़े बड़े मुलजिम छूट जाते हैं । इसलिये यदि ठीक तरह से देखें कि केस वीक है और ग्राफेन्डर को अदालत के सामने ले जाकर ठीक तरह से दंडित न करवा सकें, तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार जो इसमें दिया गया है, कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स का, यह ऐसा अधिकार है जिस अधिकार को दिया जाना बिल्कुल ठीक है । मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को इस प्रकार के दृष्टिकोण से लेने की आवश्यकता है ।

मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अधिकतर वक्ता लोगों ने इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने का आग्रह किया है । माननीय मंत्रीजी इसे स्वीकार करें या न करें, यह उनकी इच्छा की बात है लेकिन इस वादविवाद में वन विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के प्रति सारे सदस्यों की आवाज की प्रतिध्वनि इस विधेयक के जरिये से हुई है, उन सबका नोट लेने के लिए वन मंत्रीजी से अवश्य कहूंगा वे देखेंगे कि किस प्रकार से उनके विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है, वह दूर हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि ये विधेयक और इसमें जितनी धारायें हैं वे ऐसी हैं कि जिनको हम इन्नोसेन्ट कह सकते हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं । इस विधेयक के अन्दर कुछ अधिकार जरूर दिये गये हैं । अधिकार देने की बात ऐसी है कि विधेयक में अगर छोटे अधिकार हैं तो जो रिश्वतखोर कर्मचारी हैं वे छोटी रिश्वत लेंगे अगर बड़े अधिकार दिये जाते हैं, तो रिश्वत बड़ी ले सकते हैं । इसके अलावा जनतंत्र प्रणाली में और क्या उपाय हो सकता है कि अधिक वेतन भोगी, अधिक योग्य अधिकारी को रखें और अदालत में जो केसेज फेल होते हैं,

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

उनको कम्पाउन्ड करके इस विधेयक को इम्प्लीमेन्ट करें ? यह ऐसा मार्ग है, जिसे हम अपना सकते हैं। राज्य सरकार ने जो विधेयक हमारे सामने रखा है, मैं समझता हूं कि उसे सदन के अन्दर विचारार्थ अभी ले लिया जाय, क्लॉज-बाई-क्लॉज पास कर लिया जाय और उसमें जो संशोधन हों उन संशोधनों पर विचार करके, जो ग्राह्य हों, जो स्वीकार्य हों, उनको स्वीकार कर लिया जाय। इन शब्दों के साथ, इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने रखने के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय 'कालाबादल'

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह फोरेस्ट संशोधन बिल आज हाउस के सामने आया है। जिस समय इसकी प्रतिलिपि मुझे मिली तो इसको ऊपर से पढ कर प्रसन्नता हुई कि अब जंगलों के अन्दर बहुत कुछ सुधार हो रहा है। हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में गांव के लोग यह कहते है कि सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन वन विभाग ने अत्याचार मचा दिया। (थम्पिग) हर गांव में यह आवाज मिलती है। वे कहते हैं कि हमारी परेशानियों को देखनेवाला कोई नहीं है। अभी, माननीय अध्यक्ष महोदया, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इलाके में दौरे पर गये थे, वहां पर हजारों की संख्या में किसानों ने कहा कि जंगल विभाग से तो हम बहुत दु:खी हो गये हैं। मेरी समझ में तो यह आया कि कानून संशोधन में करना चाहिये। तो मैंने यह समझा, जब यह फोरेस्ट संशोधन बिल आया, हो सकता है कि माननीय चीफ मिनिस्टर ने आकर हमारे माननीय वन मंत्री को कहा होगा कि काश्तकार बहुत दु:खी हैं, गांवों में जंगल विभाग के प्रति बहुत असन्तोष है, तो उसके कारण जंगल में संशोधन हो रहा है, जंगल विधेयक में संशोधन हो रहा है, पुराने विधेयक में। जंगल बिल (हंसी) जंगल बिल में संशोधन आ रहा है, इस बात को सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इस पर विचार करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैंने यह समझा कि फोरेस्ट बिल में संशोधन हो गया तो यह बिल सरल हो जायेगा और गांव के लोगों को रियायत मिलेगी। मैं यही समझे बैठा था लेकिन जब मैंने माननीय सदस्यों का वाद विवाद सुना और यह सुना कि इस बिल को भी प्रवर समिति को दिया जाय तो मैं अचम्भे में पड गया कि एक अच्छा कानून आ रहा है, अच्छा संशोधन हो रहा है, इसके लिए क्यों मांग करते हैं कि इसे प्रवर समिति को दिया जाय ? बहुत धीरे धीरे, सोच करते करते, मेरी समझ में आया कि वाकई यह बिल प्रवर समिति को दिया जाना चाहिये। क्यों दिया जाना चाहिए ? इसका कारण यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि ५०० रुपये की जगह २,००० रुपये रख दिये जायं। अगर इस बिल में यह होता कि यह रुपया बड़े बड़े ठेकेदारों से वसूल होगा, गांवों से वसूल नहीं होगा, किसानों से वसूल नहीं होगा मजदूरों से वसूल नहीं होगा, तो कोई जरूरत नहीं थी प्रवर समिति को देने की। माननीय अध्यक्ष महोदया मैं बताऊं कि गांव का आदमी वन में गाडी लेकर लकडी लेने जाता है, उसको केवल सूखी लकडी लेने की इजाजत है। वहां अगर गाडी का सालिया टूट जाता है और गाडी में केवल गीली लकडी का सालिया लगता है तो वह कहां इजाजत लेने जायगा तो जो वन विभाग के अधिकारी हैं वे वन में तो रहते नहीं। तो अगर वह गाडी में गीली लकडी को तोड कर सालिया लगाता है और जब घर जाते समय उस किसान को अगर कोई वन विभाग का अधिकारी देख लेता है तो वह कहता है कि इस किसान ने हरा दरख्त बिगाड़ दिया, इसने सालिया लगा लिया, इस पर २००० रुपया जुर्माना लगा दिया जावे तो ऐसी हालत में उस गरीब किसान की गाड़ी बिक जायगी, उसके बैल बिक जायेंगे और वह बर्बाद हो जायेगा। यह बड़े बड़े ठेकेदारों पर तो लागू हो सकता है, दयाभाव जंगल, सांगोड़िया, फूटबावड़ी रीछवां आदि के जंगलों के हजारों पेड़ ठेकेदारों ने काट डाले और उन ठेकेदारों की जो ठेके की थी उससे बाहर सरकार के हजारों दरख्तों को ठेकेदारों ने काट लिया पर

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

चौथ वगैरह लेकर उनको बरी कर दिया गया। इस तरह की हरकतें तो राजस्थान के फोरेस्ट विभाग की ओर से होती है और इस तरह जंगलों में फ़ोरेस्ट विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो है और उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हज़ारों जंगल काट दिये गये, उनके टेन्डर भी नहीं दिये जाते। एक तरफ़ कहा जाता है कि वन को सुरक्षित रखने के लिये, वन की रक्षा करने के लिये हमारी वन सम्पत्ति है, उसको बढ़ाना है, इस लिये यह बिल पेश किया जा रहा है। हमारे वनों की रक्षा हो, तरक्की हो, इसलिये यह ज्यादा ज्यादा जुर्माना किया जा रहा है। उधर ये सारे अधिकार फ़ोरेस्ट ऑफ़िसर को दिये हैं। होता क्या है कि पहले तो अदालतों को केसेज देते थे, अब उनको देते हैं। इससे होगा क्या कि वन विभाग के लोगों ने अब तक तो बदमाशी की, अब कोई किसान को फंसा देंगे कि इसने हरी लकड़ी काट ली। अगर किसान की गाड़ी टूट जाय तो उसको गीली लकड़ी काटनी पड़ेगी और वह चक्कर में फंस जायगा तो उसको २००० रुपये देने होंगे। उस वक्त किसान कहेगा कि मेरे बैल बिक जायें तो पर्वाह नहीं हम यहीं फैसला कर लें और वह उन वन विभाग के अफ़सरों को ५००) रुपया देकर फ़ैसला कर लेगा। तो इस तरह सरकार को डेढ़ हज़ार का नुक़सान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में यह संशोधन कर लिया जाय कि यह २००० रुपया है वह ठेकेदारों पर ही लागू होगा, किसानों पर, ग़रीबों पर लागू नहीं होगा। तो इस प्रवर समिति को देने की जरूरत नहीं है और अगर यह सभी आम जनता पर लागू होता है। तो उस हालत में इसे प्रवर समिति को देना होगा और इस पर पूरी तरह से विचार करना होगा।

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु.) : सभापति महोदया यह बिल वन विभाग का पेश हुआ, ५०० की बजाय २००० रुपया जुर्माना और ६ महीने की सज़ा यह किसान के ऊपर ही है और लोगों के पर नहीं है। मैं देखता हूं कि जहां पहले के गांव बसे हुए हैं वो डूंगर में और वनन में बसे हुए हैं। उनकी आबादी की ज़मीन है, आबादी में बाक़ी ज़मीन सब वन विभाग में है। वे भी अनबोलिक हैं और उनके बच्चे भी अनबोलिक हैं। लकड़ी काट लेते हैं, उनको दो हज़ार रुपये का जुर्माना और ६ महीनान की सज़ा सरकार करेगी तो वे ग़रीब किसान, जो रात दिन पसीना बहा कर कमा कमा कर खाते हैं, तब भी उनका पेट नहीं भरता है, तो वो कहां से सरकार को दो हज़ार रुपया दें। राजा, महाराजान के वक्त में भी ऐसा कड़ा दण्ड नहीं था। करोली महाराज के आठ-आठ, दस-दस कोसन के बड़े बड़े जंगल हैं जिनका पता ही नहीं। वहां वे लोग जंगल में ही रहते हैं, वहीं पेट भरते हैं। उनके और कोई जमीन नहीं, वा लोगन के एसो कानून हो गयो तो ऐसा जीवा बिन मरबो ही भलो। तो यह बिल है वह प्रवर समिति को भेज दिया जाय या हमारे मन्त्री महोदय, इसे वापिस ले लें। ऐसा जो बिल पेश हुआ है वह किसानन के लेखे तो बहुत खराब हुआ है, बहुत कडवा हुआ है। जिनकी पांच, पच्चीस रुपयों की हैसियत नहीं वो दो हज़ार रुपया खां सु देवे ? एक अंगुलीमान लकड़ी काट लेवे, कर्मचारी दो हज़ार का खौफ लगा कर सो, दो सो रुपया मांगे लेंगे; सरकार को तो एक पैसे की भी आमदनी नहीं होवेगी।

काश्तकाराना के वास्ते सरकार बिल काढ रही है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : माननीय चेअरमैन, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट में संशोधन करने के लिये सदन में संशोधन बिल मूल धाराओं के संशोधन के लिय आज सदन के सामने पेश है। माननीय सदस्यों ने इन धाराओं के संशोधन के विरोध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, कई माननीय सदस्यों न यह भी विचार व्यक्त किये हैं कि यह बिल जिस रुप में उसी रूप में पास हो जाना चाहिये और उन्होंने यह विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है, उनकी शायद मंशा यह नहीं रही हो कि इस समय राजस्थान में वन संपदा का विनाश हो रहा है, उसको रोकने के लिये कानून न रहें।

(श्री भीमसेन)

अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की मंशा इस बिल के बारे में यह है कि जो अधिकार इससे अफसरों को दे रहे हैं उनका विरोध माननीय सदस्य कर रहे हैं। ऑफिसर्स को जो अधिकार कम्पाउन्ड वगैरह करने के दिये जा रहे हैं उनका विरोध करने की भावना माननीय सदस्यों की है न कि वन सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिये, रोकने के किसी कानून का विरोध करने की भावना उनके दिल में है।

डेमोक्रेसी का यह सिद्धान्त है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होनी चाहियें। जो एग्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं उनको ही सारे जुडिशियरी के अधिकार दे दिये जायें तो यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा, हमारे संविधान ने भी हमें सुविधा दी है कि जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों जुदा होने चाहिये जिनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं, उनके हाथों में जुडिशियरी पॉवर्स नहीं देने चाहिये। तो मूल भावना माननीय सदस्यों की इसके विरोध करने में यह रही है कि एग्जीक्यूटिव आफ़िसर्स को जो जुडिशियरी पॉवर्स दिये जा रहे हैं वे नहीं दिये जाने चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के पॉवर्स उन्हें देने से उनमें करप्शन फैलेगा और उस करप्शन को मिटाने के लिये माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और मैं समझता हूं इस आधार पर जो इसका विरोध किया गया है वह वाजिब है और यह संभावना की जा सकती है कि इस प्रकार के अधिकार देने से आफिसर्स करप्ट हो जावेंगे। जो संशोधन पेश किया जा रहा है उससे हो सकता है कि आफिसर्स करप्ट हो जाय और साथ ही साथ ये पॉवर्स आफिसर्स के बढाये जा रहे हैं उनसे गवर्नमेंट को कोई लाभ हो, ऐसी बात मैं नहीं देखता। माननीय सदस्यों की भावना है कि वन सम्पत्ति को नष्ट नहीं किया जाय, गवर्नमेंट को पूरे पॉवर्स दिये जायं कि इसका चैक हो सके। पर हम चाहते है कि इस तरह कम्पाउन्डर करने के पॉवर्स हों वे with permission of the courts हो तो फोरेस्ट के आफिसर्स को ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि जिससे उनको करप्ट होने का मौका मिले।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह वापिस लिया जाय।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा): सभानेत्री महोदया, यह जो फोरेस्ट एक्ट का संशोधन सदन में पेश हुआ है इस पर काफी वाद-विवाद हुआ है और इसमें कोई विशेष सुझावों की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें जंगल की लकड़ी की कीमत बढी है इसलिये इस पर जुर्माना भी जो गुन्हेगार होगा उस पर ५०० रुपये से बढा कर २००० रु० तक किया गया है; इसके संबंध में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

वैसे तो माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि आज दिन कई शिकायतें आई होंगी और बांसवाड़ा जिला से फोरेस्ट विभाग में क्या क्या कारनामें हुए हैं, उसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय को मिली होगी और आज भी जो फोरेस्ट की लाईन निकाली जाती है उसमें ऐसे लोगों के मवेशी चरने को जावेंगे तो उन पर जुर्माना किया जावेगा। उनके मवेशियों को चरने के लिये जगह नहीं है फिर भी लाईन जबरदस्ती निकाली जाती हैं, उसके लिये दर्ख्वास्तें और तार दिये और बागर के लिये कई प्रकार की मांगें उन लोगों ने की, जिला कलेक्टर के मारफत और मिनिस्टर महोदय तक भी उसकी इत्तिला दी और यहां से आर्डर दिये जाते हैं कि जो बागर बन रही है, उसको रोकी जावे और दूसरी जगह लाईन निकाली जावे। इस हुक्म के बावजूद भी कोई इसकी परवाह नहीं करते और किसानों से रिश्वत खाने की गर्ज से वहां के फारेस्ट के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और सरकार को ३,०००) रुपये अपने मन मर्जी से बांट दिये और जबर्दस्ती बागर बनादी और तार लगा दियें और यहां से आर्डर दिये थे कि उनकी जमीन को छोड़ दी जावे कोई ध्यान नहीं दिया। मगर रिश्वत खाने और बदला लेने के लिये इस प्रकार से किसानों के साथ

(श्री मोगजी भाई)

में ऐसा बर्ताव किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जब हम ५०० रु० से २,००० रु० का जुर्माना करने जा रहे हैं तो ऐसी हालत में कोई भी जो व्यक्ति गुन्हेगार होगा या गुन्हा करेगा या जंगल का नुकसान करेगा तब तो उसको सजा दी जानी चाहिये और जुर्माना किया जावे, यह तो उचित है लेकिन कोई व्यक्ति कोई गुन्हा न करे उसको भी सजा दी जावेगी, यह कहां तक उचित होगा? इन रात-दिन जंगलों में रहनेवाले काश्तकारों के लिये हमेशा खेती बाड़ी के काम में और औजार वगैरा बनाने के लिये, अपनी बागर बनाने के लिये उनको जो सुविधा दी गई है और उनके साधन के जो जरिये हैं, उससे अपने सारे घरबार के खेती बाड़ी का कारोबार चलाते हैं और उनके बैल या बछड़े जो हमेशा जंगल में रहते हैं और खेती बाड़ी में काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में रह जाते हैं। ऐसी सूरत में यदि उनके साथ इस प्रकार के कानून बना कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस पर जुर्माना हो तो उन लोगों के लिये बड़ी मुसीबत हो जावेगी। जिस समय सरकार इस प्रकार का कानून बनावेगी तो सरकार के फोरेस्ट विभाग की तरफ से जो नये नये स्टाफ के व्यक्ति होंगे, फोरेस्ट गार्ड और दूसरे लोग होंगे, वे इन लोगों के पीछे अपने कन्धे पर बन्दूक और लाठी लिये हमेशा उनके पीछे लगे रहेंगे और जानवरों की तरह किसानों को खाने के लिये खड़े रहेंगे। ऐसी सूरत में किसानों की क्या दशा होगी, आप ही सोचें कि वे किस प्रकार अपनी जिन्दगी बिता सकेंगे?

क्या सरकार यह चाहती है कि उनके साथ अन्याय हो? क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि उन लोगों के साथ किस प्रकार का आज तक व्यवहार रहा है और इस प्रकार के अधिकार देकर नया स्टाफ और नया विभाग कायम करेंगे और इससे क्या वे यह आशा करेंगे कि जंगल की रक्षा होगी? क्या यह स्टाफ जंगल की रक्षा करेगा? वैसे तो पंडितजी पोथी लेकर कई कानून बनाते हैं मगर कानून ऐसे होने चाहिये जिससे उसकी रक्षा हो। हम भी चाहते हैं कि जंगलों की रक्षा हो लेकिन जिलों में जो माननीय सदस्य रहते हैं और जिनके साथ हमारा संपर्क है, हम जानते हैं कि जंगलों की रक्षा कैसे होती है। पहले भी कैसे होती थी हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जंगल की रक्षा की व्यवस्था हो सकती है और वह आसानी से हो सकती है, नहीं हो सकती हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कानून बना कर बन्दूक के बल से या लाठी के बल से जंगलों की रक्षा जो होगी उसमें कभी शांति नहीं रह सकती हम इसको व्यवस्था रूप से राष्ट्रीय संपत्ति मान कर चलते हैं और मानते ह कि जंगलों की रक्षा होनी चाहिये और इसी भावना से हम काम करते हैं लेकिन ऐसा न हो कि इस कानून से काश्तकारों को नुकसान हो। आप यह चाहते हैं कि इससे जंगल की लकड़ी नहीं काटी जाए मगर मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार ने रिजर्व फोरेस्ट से कितने लोगों ने भ्रष्टाचार करके रुपये खाये और मोटरों में हजारों मन लकड़ी भर कर बाहर भेज दी और बेच दी और जंगल बर्बाद कर दिये, उनके प्रति सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है, क्या सरकार ने उसको कोई सजा भी दी है? ऐसी कोई बात आज तक हमारे सामने नहीं आई। ऐसा कोई मुकद्दमा हमारे सामने नहीं आया कि सरकार ने कोई इसके लिये व्यवस्था की हो। तो फिर मैं यह कहता हूं कि इस कानून की आज क्या जरूरत पड़ी? क्या सरकार के खजाने में कमी हो गई, इसलिये जंगलों की लकड़ी पर कीमतें बढा कर लोगों पर रोजाना फाईन करे और रात दिन उन लोगों से जिनके पास पहिनने को कपड़ा नहीं और खाने को अन्न नहीं उनके पास से उनकी रही सही लंगोटी भी छीनने की कोशिश करेगी और इसके लिये यह अधिकार उस विभाग के लोगों दे रही है। वे जंगलों की रक्षा करेंगे या कोरिश्वत खायेंगे? वे जंगल को खाना चाहेंगे या काश्तकार को खावेंगे?

मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस कानून को वापिस ले लें तो बहुत अच्छा होगा और यह काश्तकारों के हित में रहेगा। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि पहले आदिवासियों को हल

(श्री भोगजी भाई)

और घर के काम के लिये लकड़ी के लिये संरक्षण मिलता था और उसके आधार पर उनको कुछ लकड़ी दी जाती थी और कभी कभी वे लोग थोड़ी बहुत रिश्वत दे कर भी लकड़ी प्राप्त कर लेते थे। मगर अब यह कहा जाता है कि कीमत बढ़ गई है इसलिये ५० रु० से ५०० और ५०० से २,००० रु० जुर्माना रखा गया है। मगर मैं यह कहूंगा कि कीमतें किस आधार पर बढ़ी हैं, यह मालूम नहीं। जिन ठेकेदारों ने जंगल ठेके पर लिये उन ठेकेदारों ने लकड़ी लेकर बम्बई, गुजरात आदि बड़े बड़े शहरों में बेची है न कि जंगलों में रहनेवाले आदिवासियों ने। जंगल तो बर्बाद ही हुए हैं इससे जंगलों की रक्षा नहीं हुई, जंगलों में तो भ्रष्टाचार हुआ है। यदि हम सही रूप में, असली माने में व्यवस्था करना चाहते हैं तो विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों और राज्य सरकार से अपील करूं कि इन जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं तो इनको पंचायतों के ऊपर छोड़ दीजिये। इस प्रकार की व्यवस्था करके उनका रूप देखिये और उनके मुकाबले में सरकार की ओर से जंगलों की कितनी रक्षा होती है, व्यवस्था होती है, उसका रूप देखिये। ऐसा करके छोड़ दें ग्राम पंचायतों के ऊपर तो फिर देखिये कि जंगलों का कैसा संरक्षण होता है।

ठेके में काफी पक्षपात होता है। ठेकेदारों के उस पैसे से सरकार का खजाना भरें और दूसरी तरफ लकड़ी कर से किसानों को लूटना चाहते हैं, जुर्माना करके लूटना चाहते हैं, दोनों तरफ से इस तरह का कानून बना दें तो उन जंगलों में रहनेवाले किसानों का क्या हाल होगा? इस पर सोचना पड़ेगा। जंगलों के प्रसार का कानून बनाना पड़ेगा इस तरह के कानून से, जबर्दस्ती ऊपर से कानून बना कर उन पर लादा है, इससे वे लोग कोर्ट कचहरियों में आवें, सम्पत्ति बेच कर, बाल-बच्चे बेच कर बे-घरबार हो जांय, उनको वकील लोगों का सहारा लेना पड़े, इस प्रकार के कानून की आज के जमाने में कोई जरूरत नहीं है। यदि यह हमारी भावना है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़े, जंगलों को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानते हैं, उसको प्राप्त करना है, उसको बढ़ाना है तो उसके प्रति ऐसा कानून बनायें, सबकी जिम्मेदारी समझें और जंगल बढ़ सकें। यही मेरा निवेदन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या सदन में अखबार लाकर पढ़ने की इजाजत है?

श्रीमती सभानेत्री: माननीय श्री श्रीभानसिंहजी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे निश्चित समय में ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I assure the chair that I will finish exactly at five.

श्रीमती सभानेत्री: दो मिनट पहले, थोडा दूसरा काम भी है।

श्री श्रीभानसिंह: May I beg for your permission, whether I should speak in English or in Hindi?

श्रीमती सभानेत्री: मेरी पर्मिशन के पहले यदि हाउस की सुविधा को देख सकें तो अच्छा है। उसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह: In that case I will try and prefer to have my expression in Hindi.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मेडम, आज यहां जो फोरेस्ट अमेन्डमेन्ट बिल पर हाऊस के अन्दर प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने यहां पर हाऊस की बहस सुनी और बहस सुनकर मेरी यह निश्चित धारणा हुई कि जिस बिल को एक पूर्व वक्ता ने यह कहा कि बड़ा इन्नोसेन्ट है, बड़ा हार्मलेस है, हो सकता है मगर मेरी यह मान्यता है यह इन्नोसेन्ट है इसका जहां तक इम्प्लीमेन्टेसन है, वह गरीबों के लिये हार्डशिपदायक हैं

(श्री श्रीमानसिंह)

और इसके इम्प्लीकेशन्स हैं वे कहीं हद तक डेन्जरस हैं। क्या गरीबों के लिये यह हार्डशिप या ट्रबल्स क्रियेट करेगा, इम्प्लीकेशन्स डेन्जरस होंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा किन्तु पहले यह कह दूं कि मेरा दृष्टिकोण यह नहीं है कि राजस्थान का जो फोरेस्ट वेल्थ है वह डेस्ट्रोय हो। उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिये और यह भी है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट अब तक प्रिजर्व नहीं कर सका है। जिन स्टेट्स में फोरेस्ट्स फ्लेरिश कर रहे थे, उन्हीं स्टेट्स में आज देखा जाय तो फोरेस्ट्स वेल्थ गिरी हुई है, अफोरेस्टेशन होता है, सब्सिडी होती नहीं और एक्सपेण्डीचर फोरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रहा है। कुछ हद तक मैं यह कहूं कि माननीय मंत्रीजी के नीचे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स आ गये हैं जिनके लिये कह दिया जाय कि प्रोफिटेबल हैं लेकिन हमारा एक्सपेण्डीचर होता है और वाईट एलीफेण्ट जैसा प्रूव हो रहे हैं। इस बिल में जो अगर कहूं एक एक्सक्यूज यह दी गई है कि प्राईसेज बढ़ गई है। मेरी समझ में नहीं आता। प्राईसेज के बारे में जितना लिटरेचर हिन्दुस्थान में मौजूद है, जिसकी कमी नहीं है, उसको देखा जाता, हर एक प्राईसेज इण्डेक्स को देखते, जब वार शुरू हुई थी, उस वक्त जो इण्डेक्स थे वे अब इण्डेक्स नहीं हैं, इस ईयर में सन् फिफ्टी-एट (५८) में प्राईस लेवल डाउन हो रहा है, प्राईसेज स्टबिलाईज्ड हो गई हैं और उसी लेवल पर आ गई हैं जब कि वार टाईम नहीं था। प्राईसेज का लेवल दिया जाय तो अनरीजनेबल नहीं है लेकिन उसकी आड़ में, हम प्राईसेज की आड़ में बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ पैनेल्टी को, दूसरी तरफ कम्प्रोमाईज को, कम्पाउण्डेबल नहीं रखते हैं। हो सकता है कि फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट है, उस पर एक्सपेण्डिचर ज्यादा बढ़ गया हो, ऑफिसर और सबोर्डिनेट स्टाफ मल्टीप्लाई कर दिया हो, आखिर उसके प्रोविजन के लिये कहां से लायें? प्राईसेज की आड़ लेकर बढ़ा दें और एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज को मीट आउट कर लें यह रीजन नहीं हो सकता बढ़ाने का। इसको अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता। बढा लीजिये यह दूसरी बात है। लेकिन इसके पीछे बढ़ाने का आर्गूमेन्ट न पेश करते हैं और न आर्गूमेन्ट स्टेन्ड करता है। एक्सपेण्डीचर का आर्गूमेन्ट स्टेन्ड भले ही कर जाये।

दूसरा, इसमें पैनेल्टी रखी है जिसको पांच सौ से दो हजार बढ़ाई गई है उसको देखा जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आर्थिक स्तर को देख कर लगायें। पांच सौ से दो हजार तक बढ़ाने का क्या कारण है, यह मंत्री महोदय बता नहीं सकते। यह कह सकते हैं कि फोरेस्ट रिजर्व के लिये डेटेरेण्ट करना चाहते हैं। आप इम्प्रीजनमेण्ट रख देते हैं, डेटेरेण्ट है। आखिर फोरेस्ट्स कौन आदमी काटते हैं? नीड्स देखनी हैं। एक तरफ सेलिंग के लिये काटेगा, सेल करने वाला पेड़ काटेगा नहीं। वह तो वह आदमी होगा जिसके पास कोई ओक्यूपेशन नहीं होगा। होगा भी तो इतना प्रोफिटेबल नहीं होगा जिससे पेड़ काटने पड़े और बाजार में बेचे। जो अगर बड़ा आदमी काटता है तो पेड़ कहीं जाने के नहीं क्योंकि वह एक आध नहीं काटेगा। वह काटेगा जंगलों को और आपके ऑफिसर्स को राईट या रोंग बना कर काटेगा। मार्केट में बेचनेवाले होंगे व पूवर होंगे जो सबसीडियेरी ओक्युपेशन या सबसीडियरी इन्कम लायेगा वह काटेगा। दूसरा तो पेड़ काटनेवाला होगा कौन? जिनको नीड होगी एग्रीकल्चर के लिये, दूसरी होगी हाउसिंग के लिये और तीसरी नीड होगी फ्युल के लिये। जिन व्यक्तियों को हाउसिंग, एग्रीकल्चर और फ्युल के लिये नीड हो वह बाजार में बेचने जायेगा नहीं, वह तो उसको उपयोग में लावेगा। यदि एग्रीकल्चर के उपयोग में लावेगा तो उससे प्रोडेक्शन बढ़ेगा। उसके काटने मे कोई प्रोफिट ड्राइव नहीं करेगा और प्रोफिट ड्राइव नहीं करते हैं। उनको पैनेलाइज करना जब कि वे कॉण्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके कोण्ट्रिब्यूशन को पैनेलाईज करना यह कोई राईट नहीं है, इसको आप जस्टीफाई नहीं कर सकते।

इसमें जस्टिफाई आप कर नहीं सकते। जब आप फाईनेन्सियल इन्कम का क्रिटेरिया रखते हैं तो आप देखिये भारतवर्ष के अन्दर

(श्री श्रीभानसिंह)

५०० से २००० रुपये तक की ग्रामदनी बहुत कम क्लास से ग्राती है। उनमें से कोई पेड़ काटने वाला नहीं। पेड़ काटने वाले हैं, जिनकी ग्रामदनी रोज़ाना दो रुपये है या जिनकी ग्रामदनी मासिक ६० रु० की है वे ही व्यक्ति हैं जो पेड़ काटनेवाले हैं ग्रौर जिनके पीछे पांच सात डिपेन्डेन्ट हैं। पांच सौ से २००० रुपये देनेवाले ग्रादमी पेड़ काटने वाले नहीं। ग्रगर ग्राप ऐसे व्यक्तियों को जिनकी ग्रामदनी दो रुपया रोज़ है ग्रौर जिनके डिपेन्डेन्ट पांच ग्रादमी हैं, उन पर, यदि ग्राप पेड़ काट नेपर ५०० रुपये से दो हजार रुपये तक जुर्माना करते हैं तो ग्राप उन लोगों को चोरी, डकैती करने के लिये बाध्य कर रहे हैं उनको ह्यूमिलियेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्राज जिनकी इन्कम दो हज़ार रुपये नहीं ग्रौर उन पर पैनेल्टी इम्पोज़ करते हैं तो वह क्या करेगा उसकी पूर्ति के लिये ? वह व्यक्ति या तो चोरी करेगा, डकैती करेगा ग्रौर उन रुपयों को चुकाने की कोशिश करेगा। यदि इन ग्रपराधों में उसको जेल होती है तो उनके जो डिपेन्डेन्ट्स बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा ? मान लीजिये मुझे ग्राप किसी चीज के लिये पेनेलाइज़ करते हैं ग्रौर मेरी जितनी भी इन्कम है उसको ग्राप पेनेल्टी के रूप में ले लेते हैं तो गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है कि मेरे पीछे जो पांच बच्चे हैं, जो डिपेन्डेन्ट्स हैं, उनकी लाईबिलिटी गवर्नमेन्ट पर होगी। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट पर लाइबिलिटी होगी, वन मन्त्री महोदय पर वह लाइबिलिटी होगी। ग्रापके पास कोई ग्रार्ग्युमेन्ट नहीं है पेनेल्टी इम्पोज़ करने का। ग्राप जो पैनेल्टी इम्पोज़ कर रहे हैं, वह उस ग्रादमी की इन्कम को देख कर नहीं कर रहे हैं जो ग्रादमी एफ़ोर्ड नहीं कर सकता जिसके पीछे पांच बच्चे हैं, उनके लिये, उन बच्चों के लिये समाजवादी राज्य के ग्रन्दर यह नहीं हो सकता कि बच्चे भूखे मरें ग्रौर उनका प्रबन्ध सरकार न करे।

इसके ग्रलावा इस बिल में एक क्लॉज़ माननीय सदस्य ने बताया कि एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में जुडिशियरी के पॉवर्स दे देना डेन्जरस होगा। इसके ग्रलावा कम्पाउन्ड की भी व्यवस्था की गई है। कम्प्रोमाईज़ ग्रौर कम्पाउन्ड एक स्तर के ग्रादमियों में हो सकता है। मान लीजिये एक वीकर ग्रौर दूसरा स्ट्रोन्ग ग्रौर माइटी है। इन दोनों में कम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। वैसी हालत में होगा क्या कि जो पेनेल्टी है दो हज़ार की वह इम्पोज़ कर दी जायेगी। इससे ग्राप चाहते क्या हैं? जिस व्यक्ति की ग्रामदनी ५०० रुपया भी नहीं है, उससे ग्राप दो हज़ार रुपया पैनेल्टी के रूप में वसूल करके स्टेट ट्रेज़री में लाना चाहते हैं? लेकिन ग्रापको यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब तक जुडिशियरी से सेंक्शन नहीं हो तब तक पैनेल्टी करने का ग्रधिकार नहीं है। यह जो प्रोवीज़न रखा है यूज़लैस है, यह हो नहीं सकता, कम्पाउन्ड ग्रौर कम्प्रोमाइज़ ऐसे ग्रामिदयों में हो नहीं सकता। जहां तक माइट बैलेन्स करता है वह कम्प्रोमाइज़ होगा। स्ट्रोन्ग ग्रौर वीकर में कम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। स्ट्रांग ग्रादमी कभी वीक ग्रादमी से कम्प्रोमाइज़ करने की चेष्टा नहीं करेगा ग्रौर ग्रगर किसी प्रकार कम्प्रोमाइज़ उनमें हो जाता है तो उस पर हैवी पेनेल्टी इम्पोज़ होगी। हमेशा वीकर पर एडवर्स पैनेल्टी होगी। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि ग्राप लेबर लॉज़ को देखिये ट्रेड यूनियन्स बनने का क्या कारण है? हमेशा से यह चला ग्राया है कि लॉ जो बनते हैं वे स्ट्रोंगर के लिये बनते हैं। उसी का परिणाम यह है कि लेबर यूनियन्स बनी। क्योंकि केपीटेलिस्ट स्ट्रोंगर थे, स्ट्रोंगर होने के कारण वे मज़दूरों का एक्सप्लोइटेशन करते थे। जब मज़दूरों ने देखा क़ानून बन जाने पर भी उनका एक्सप्लोइटेशन होता है तो वैसी हालत में उन्होंने ग्रपनी यूनियन्स बनाई जब उनकी यूनियन्स बन गई तो दोनों इक्वल टर्म्स पर ग्रागये, वैसी हालत में उनमें कम्प्रोमाइज़ का सवाल पैदा हुग्रा ग्रौर बारगेन इक्वल टर्म्स पर होने लगा। इसी तरह से इसमें भी यही हालत है। जहां कम्प्रोमाइज़ करने का सवाल ग्राता है वहां इक्वल स्टेन्डर्ड वालों में ही कम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जब तक ग्राप इन लोगों को इक्वल स्टेन्डर्ड पा नहीं ले ग्राते तब तक यह कम्पाउन्डेबल क्लॉज़ है वह यूज़लैस है। इसको रखने की ज़रूरत नहीं की, इसके इम्पलीकेशन्स से यदि किसी प्रकार पनिशमेन्ट

(श्री श्रीभानसिंह)

होता है तो उसको कम्पाउन्ड नहीं कहा जा सकता।

इसमें एक प्रोविजन रखा है अरेस्ट करने का। उसके लिये आप सुपीरियर आफिसर को हैन्ड-ओवर कर सकते है। इसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं एक जो लकड़ी काटता है मार्केट में बेचने के लिये नहीं बल्कि अपने कन्जम्पशन के लिये और जो मार्केट में बेचने के लिये काटेगा वह हमेशा लकड़ी ऐसी जगह से काटेगा जो वुड निअरेस्ट टू दी अर्बन एरिया होगा। क्योंकि प्राईस पर लकड़ी वहीं मिल सकेगी। सेलिंग प्राईस अर्बन एरिया में ही ज्यादा मिल सकेगा अगर वहां कोई ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वहां तो उसको नेगोशियेट करने के लिये मजिस्ट्रेट मिल सकता है।

दूसरा आदमी जो फार ऑफ़ जंगल में रहता है, वह व्यक्ति तीन चीजों के लिये लकड़ी काटेगा जैसा कि मैंने बताया, एक तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये, दूसरा हाउसिंग के लिये और तीसरा फुअल कन्जम्पशन के लिये। इस प्रकार से तीन चीजों के लिये काटता है, इस तरह से काटनेवाले व्यक्ति को पैनेलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिये यह प्रोविज़न रखना कि बिना मजिस्ट्रेट परमिशन लिये अरेस्ट कर ले, ग़लत है।

जो व्यक्ति सेल करता है, जो निअरेस्ट टू दी सिटी है, उसके अरेस्ट करने में मजिस्ट्रेट की सेंक्शन होनी चाहिये। इसके अलावा जो फार ऑफ सिटी है, जो जंगलों में रहते हैं और जो होम कन्जम्पशन के लिये काटता है उसको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिये तो फोरेस्ट ऑफिसर को यह चाहिये कि वह इस प्रकार की लकड़ी उनको बताये, जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिये, एग्रीकल्चर के इम्पलीमेन्टस् के लिये काम आ सके। ऐसी चीजों के लिये उन लोगों को गाईडेन्स की जरूरत होती है पनिशमेंट की जरूरत नहीं। वहां उनकी सरलता से एप्रोच हो सके, वे भी अपने फोरेस्ट को नेशनल वेल्थ मानें। आज आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गांवों में जाता है, वहां पर वह प्रोपेगेन्डा करता है कि मेन्योर काम में लीजिये, लेकिन मेन्योर वे काउ डंग से बनाते हैं, लेकिन गांव के रहने वाले लोग काउ डंग से खाना पकाते हैं। वैसी हालत में जब एक तरफ काउ डंग का प्रयोग मेन्योर के लिये करवाने का आप कहते हैं वहां दूसरी ओर आपको चाहिये कि आप उनको एडीक्वेट फ्यूअल सप्लाई करें रिजनेबल प्राइस पर। आप जहां अर्बन एरिया में लकड़ी सप्लाई करते हैं, उससे आप गांवों में काउ डंग से सेटिसफाई हो सकते हैं, उसका मेन्योर बना कर एग्रीकल्चर के काम में ले सकते हैं। लेकिन यह भी तभी हो सकता है जब कि आप उनको फ्यूअल कन्जम्पशन के लिये दे सकें।

श्रीमती सभानेत्री : आप अब एक मिनिट में खत्म कर दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : आप अगर उनको जंगलों से फ्यूअल लाकर सेटिसफाई कर सकते हैं तो काउ डंग से मेन्योर बना सकते हैं। जब आप एक तरफ तो कहते हैं मेन्योर दीजिये, जब यह करते हैं तो वे अपनी रोटी कैसे पकायेंगे इसका भी तो आपको इन्तजाम करना पड़ेगा। आपके फोरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछा जाय कि राजस्थान का फ्यूअल कन्जम्पशन क्या है, उसको आप किस प्रकार से मीट आउट करना चाहते हैं। इस प्रकार के स्टेटिसटिक्स राजस्थान सरकार के वन विभाग के पास नहीं हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है कि राजस्थान के फ्यूअल कन्जम्पशन के लिये इतना फोरेस्ट प्रीजर्व रखा जाय, इतने जंगलों को काटने से फ्यूअल कन्जम्पशन इतना हो जायगा यदि इस बारे में मंत्री महोदय से भी पूछा जाय कि अगर सब को खुली छुट्टी दे दी जाय जंगल काटने की तो कितने अर्से में, कितने सालों में आपका राजस्थान का फोरेस्ट गायब हो सकता है, यह माननीय मंत्री महोदय नहीं बता सकते। आपके पास पोपुलेशन जिस कदर बढ़ रही है, उसकी नीडस् को सेटिसफाई करने का प्रोग्राम नहीं सिर्फ अपील रेस्टोरेशन करने से फ्युअल कन्जम्पशन कर सकते हैं, यह भी बात नहीं। इस बारे में भी प्लान्स

(श्री श्री भानसिंह)

होने चाहिये । जब तक प्लान्स नहीं तो शायद ऐसा हो सकता है कि पार्ट आफ दी फोरेस्ट को पयुग्रल के लिये छोड़ सकते हैं, जब तक इस बारे में स्टेटिस्टिक्स नहीं, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो फोरेस्ट खत्म होता है वह हुआ न करे अगर हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हों तो । और स्टेटिस्टिक्स के और बगैर फैक्टस के हमने प्रस्ताव रद्द कर दिया कि हमें राजस्थान के अन्दर इतना फोरेस्ट प्रिजर्व करना है और इस फोरेस्ट वेल्थ को इस तरह से युटीलाईज करना चाहते हैं, यह हमारा प्लान है।

अब एक माननीय सदस्य ने यह कहा

(घंटी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : पांच बज गये हैं, सभानेत्री महोदया।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अब तो समाप्त होना चाहिये, साहब ।

श्रीमती सभानेत्री : समाप्त कर देते हैं अभी, थोडा सा काम और है।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अब तो कल के लिये रखदें, साहब।

राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज । राजस्थान गोदाम विधेयक, ५७ को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये स्वीकार किया गया था, उस प्रश्न को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं । प्रश्न यह है कि राजस्थान वेअर हाउसेज बिल, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १५ अप्रेल, १९५८ तक सदन में प्रस्तुत करदे । उसकी सदस्य-सूची निम्न प्रकार है ।

मिनिस्टर इन्चाज, श्री पुरुषोत्तमलाल, डॉ बहादुरसिंह, श्री धर्मपाल, श्री शिवनाथसिंह, श्री गोपाललाल पुरोहित, श्री रामचन्द्र, श्री मनोहर कोठारी, श्री सुगनचन्द, श्री ज्वालाप्रसाद, श्री भैरोंसिंह खेजड़ला, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री तनसिंह, श्री मोहरसिंह, श्री बेनाराम ।

(स्वीकृति)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

श्री श्री भानसिंह (बयाना) : ओन ए पोईन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, मैडम, कल सदन की कार्यवाही आठ बजे प्रातः से शुरू होगी पर कब तक चलेगी यह भी बता दिया जाये तो ठीक रहेगा। अब यह १२ बजे तक चलेगा या कब तक चलेगा दोनों टाईम मिलने चाहिये; यह टाईम बता दिया जावे ।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही ५ बज कर २ मिनट पर, कल दिनांक १० अप्रेल, ५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

संक्षिप्त विवरण

तारांकित प्रश्नोत्तर

भेड़-पालकों को दी गई सहायता

जिला बोर्ड द्वारा आयोजित शल्य चिकित्सा शिविर, लालसोट

सिकराय बांध

भेड़ों के लिये चरागाह की व्यवस्था

हॉस्पिटल, सरदारशहर के चिकित्सकों के विरुद्ध की गई शिकायतें

जयपुर-कोटपूतली बस सर्विस

विद्युत व्यवस्था, भीलवाडा

नगरपालिकायें बीकानेर

अजमेर-जयपुर सड़क की मरम्मत

मोरेल बांध

चलते-फिरते पशु चिकित्सालय

सुल्तानपुर, तहसील दीगोद में चोरियां

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

नटों द्वारा की जानेवाली चोरियों से फैला हुआ आतंक जिला पाली

जिला बोर्डों व नगरपालिकाओं के सचिवों की नियुक्ति

बुनकर सहकारी समिति, बांसवाड़ा

पीतल के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

बस सर्विसेज, धोलपुर

जसवन्त सागर बांध, पिपियाक

पशु चिकित्सा विभाग के मोटर ड्राइवरों का फिक्सेशन

थानेदारों के स्थानान्तरण

आबूरोड भंडार बस सर्विस

मुंसिफ कोर्ट, सांचोर

नगरपालिका, नावां

सी. सी. एफ. के कार्यालय के लेखकों को हैड आफिस अलाउन्स न दिया जाना

दौसा तहसील में घटित चोरियां

बीकानेर शहर की जल-व्यवस्था को सुधारने संबंधी व्यवस्था

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला नागौर में बांधों व तालाबों का निर्माण

अध्यक्ष चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण

भाखरा से प्राप्त होने वाली बिजली का वितरण

कृषि फार्म सूरतगढ

विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७

(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं प्रवर समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति)।

उपरोक्त विधेयक पर प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावों पर आज भी बहस की गई। वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्य इस प्रकार हैं। समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक १५ अप्रेल, १९५८ तक उपस्थित करेगी।

१. प्रभारी मंत्री
२. श्री पुरुषोत्तमलाल
३. डा० बहादुरसिंह
४. श्री धर्मपाल
५. श्री शिवनाथसिंह
६. श्री गोपाललाल पुरोहित
७. श्री रामचन्द्र
८. श्री मनोहर कोठारी
९. श्री सुगनचन्द जैन

१०. श्री ज्वालाप्रसाद

११. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला

१२. श्रीसतीशचन्द्र

१३. श्री तनसिंह

१४. श्री मोहरसिंह

१५. श्री बेनाराम

२. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श)

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, वन विभाग, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया। जिस पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री हीरा भाई

२. रावराजा श्री सरदारसिंह

३. श्री मदनसिंह

४. श्री जनार्दनराय नागर

५. श्री सोहनलाल भटनागर

६. श्री मुरलीधर व्यास

७. राव श्री नारायणसिंह मसूदा

८. श्री लक्ष्मण हीरात

९. श्री तनसिंह

१०. श्री मनोहर कोठारी

११. श्री मूलचन्द डागा

१२. श्री शिवचरणदास

१३. श्री नाथूराम

१४. श्री रामचन्द्र

१५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

१६. श्री पुरुषोत्तमलाल

१७. श्री सूबेदारसिंह

१८. डॉ० चन्द्रकला

१९. डॉ० बहादुरसिंह

२०. श्री दयाकृष्ण विजय

२१. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

२२. श्री पी. के. चौधरी

२३. श्री विद्यासागर

२४. श्री नरोत्तमलाल जोशी

२५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

२६. श्री पृथ्वीराज

२७. श्री भीमसेन

२८. श्री मोगजी भाई

२९. श्री श्रीभानसिंह

बृहस्पतिवार, १० अप्रेल, १९५८ की कार्य सूची

प्रवर समिति के सुपुर्द किये गये विधेयक

१. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८

२. राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

३. राजस्थान पशु [illegible] सुधार विधेयक, १९५७

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ का उत्तर देखिये)

बन्ध मोरेल से ५ वर्ष में निम्न सिचाई हुई हैं	व पेटे में सिंचाई बाद निम्न पानी बचा है व सिंचाई और हो सकती है ।
सन् १९५१-५२ में ९९ एकड़	३१-३-५२ में ९ फी. ४ ई.। ३६३० एकड़
सन् १९५२-५३ में ३०४९ एकड़	मार्च सन् ५३ में १९ फु. १॥ ई.।१०८१०
सन् १९५३-५४ में ४४०२ एकड़	सन् ५४-५५ में १४ फुट। ४६४० एकड़
सन् १९५४-५५ में ४३७६ एकड़	सन् ५५-५६ में २७ फु.६ ई.।२०४३एकड
सन् १९५५-५६ में ८८९२ एकड़	सन् ५६-५७ में २७ फुट। २११८० एकड़
सन १९५६-५७ में २३०१ एकड़	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२५ का उत्तर देखिये)

LIST OF SECRETARIES AND EXECUTIVE OFFICERS APPOINTED IN THE YEAR 1956 & 1957

List of Officers and Executive Officers appointed in the year 1956 and 1957

S.No.	Name	Designation	Name of Municipal Board where originally appointed.	Date of joining duty	Grade	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Mangi Lal Jat..	Secretary.	Rajsamand	14-2-56	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
2.	Shri Kapoor Chand	,,	Todaraisingh	1-4-56	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	
3.	Shri Man Mohan Jain	,,	Jhalarapatan.	1-4-56	Rs. 75-4-95-EB-5-150/-	
4.	Shri Madan Gopal Pareek	,,	Chaksu	1-6-56	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	
5.	Shri Sagar Mal Dadeech	,,	Chhapar	30-6-56	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
6.	Shri Singh Tanwar..	,,	Kapasan	1-7-56	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
7.	Shri Vijandra Singh	,,	Rajgarh (Bikaner)	7-7-56	Rs. 120-5-150-EB-15/2-240/-	
8.	Shri Chaturbhuj Shukla	,,	Nenwa	2-8-56	Rs. 50/- fixed.	
9.	Shri Chiranji Lal Tiwari	,,	Pirawa	28-8-56	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
10.	Shri Raghu Nath Prasad	,,	Mukandgarh	12-9-56	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
11.	Shri Laxman Singh II	,,	Ramgarh	2-1-57	Rs. 75-4-95-EB-5-120/-	
12.	Shri Gopal Ram ..	,,	Gangapur (Jaipur)	3-1-57	Rs. 75-4-95-EB-5-150/-	
13.	Shri Roshan Singh	,,	Sirohi	5-1-57	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
14.	Shri Ram Kumar Singh	,,	Udaipurwati	7-1-57	Rs. 50-2-60-EB-5-120/-	
15.	Shri Madhava Lal C. Dave	,,	Jhunjhunu	21-1-57	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
16.	Shri Vishnu Dutt Vyas	,,	Balotra	28-1-57	Rs. 75-4-95-EB-5-120/-	
17.	Shri Ramesh Kumar	,,	Newai	21-2-57	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	

६६६५

1	2	3	4	5	6	7
18.	Shri Shri Chand Soni ..	Secretary.	Khetri	22-2-57	Rs. 50/2-60-EB-4-100/-	
19.	Shri Brij Kishore ..	,,	Khandela	26-2-57	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	
20.	Shri Triloki Nath ..	,,	Fatehpur	22-3-57	Rs. 75-4-95-EB-5-150/-	
21.	Shri Narendra Singh ..	Executive Officer.				
22.	Shri Dungar Karan ..	Secretary.	Pali	3-4-57	Rs. 125-7-1/2-200/-	
23.	Ram Kumar ..	,,	Laxmangarh	2-8-57	Rs. 75-4-95-EB-5-120/-	resigned.
24.	Shri Ram Sharan ..	,,	Nohar	4-10-57	Rs. 75-5-125/-	
25.	Shri Paras Mal Jain ..	,,	Rajgarh (Alwar)	9-10-57	Rs. 120-5-150-EB-15/2-240/-	
26.	Shri Suraj Bhan Sharma ..	,,	Pirawa	2-1-58	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	
		,,	Pilani	-do-	Rs. 60-3-90-EB-5-120/-	Joining report awaited.
27.	Shri Nemi Chand Chhazed ..	,,	Pirawa.	not joined.	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	Did not accept the appointment.
28.	Shri Bachna Ram ..	,,	Bissau	not joined.	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	
29.	Shri Milap Chand ..	,,	Jobner	1-4-57	Rs. 50-2-60-EB-4-100/-	
30.	Shri Faqir Mohammad ..	,,	Newai		Rs. 75-4-95-EB-5-150/-	

List of Secretaries appointed in the District Boards in the year 1957 by Government.

S. No. 1	Name of Secretary 2	Designation 3	Name of District Board 4	Date of Appointment 5	Grade 6
1.	Shri Rajendra Kumar ..	Secretary.	Dungarpur	5-2-57	Rs. 175-10-275-EB-12-1/2-400/-
2.	Shri S. K. Sharma ..	,,	Bikaner	2-2-57	Rs. 175-10-275-EB-12-1/2-400/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२४१ का उत्तर देखिये)

Copy of letter No. 1331/F. 1(g) (35)LSG/56, dated 21st March, 1957 from the Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur to the Collector Kotah enclosed in this office file No. 17 dated decision 4-7-57 sale of land.

Subject:—Free grant of land to displaced persons for their colony at Baran.

Reference: Your Memo. No. 6017 Rev. A.56 dt. the 9th December, 56.

I am directed to convey sanction of the Government to free grant of land lying between the Railway line and the main road near the Railway Station at Baran measuring about 5,52,500 sw. ft. to the displaced persons as resolved by the Municipal Board, Baran on the condition that no further request from the refugees for allotment of lands for rehabilitation purposes will be entertained. The Municipal Board will also not charge any compensation from the refugees.

Assistant Secretary to Government
Local Self Government (B)
Department, Rajasthan, Jaipur.

Copy of letter No. F. 1(g) (35)LSG/56 from the Secretary to the Government of Rajasthan Jaipur to the Collector, Kotah and copy to the Chairman, Municipal Board, Baran.

Subject :—Free grant of land to the displaced persons for their colony at Baran.

Reference: This Department memo, No. dated 18-4-57.

I am directed to say that the matter was reconsidered by the Government and it has been decided that the land should not be allotted to the refugees when the Relief and Rehabilitation Department not consider it necessary to do so. The Government have, therefore, been pleased to cancel the allotment of land to the refugees sanction under this Department order No. D. 1531pF. 1(g) (35)LSG/56, dated the 21st March, 1957.

Assistant Secretary Local Self
Government (B) Department,
Rajasthan, Jaipur.